खण्ड-374, अंक-5
बुधवार, 23 माघ, शक संवत् 1907
(12 फरवरी, 1986 ई0)

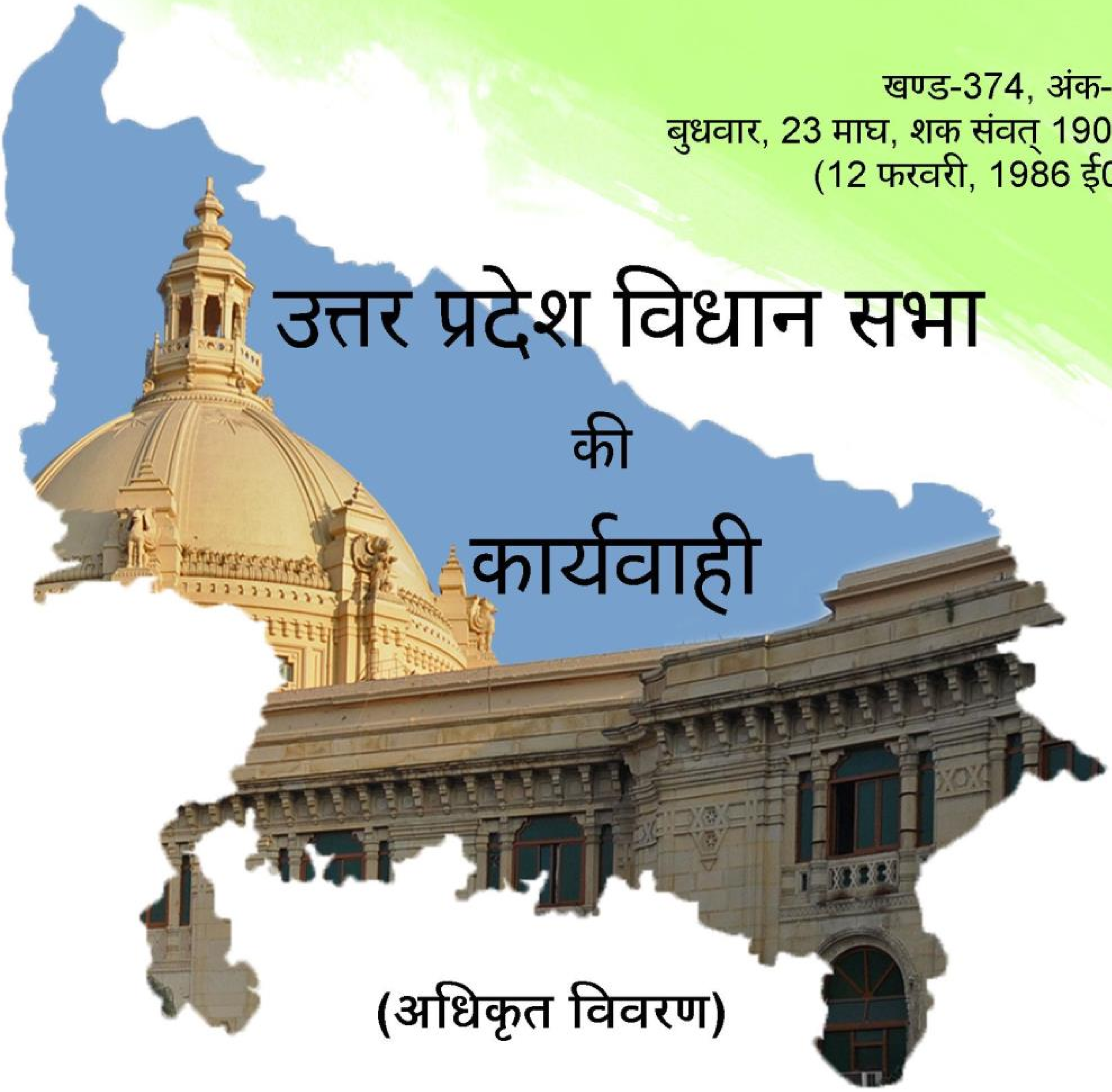

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 374 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1986

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 12 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊमें 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:—

अचल सिंह, श्री	फतेहपुर	मोहम्मद असलम खां, श्री	सहारनपुर
अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ	योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
अमरनाथ सिंह, श्री	फतेहपुर	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी	रामगोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़	राम लाल, श्री	सीतापुर
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
जगदीश नरायन, श्री	हमीरपुर	विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
जफर अली नकवी, श्री	लखनऊ	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा	शिवेन्द्रसिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
जयराम वर्मा, श्री	फैजाबाद	शूरवीर सिंह सजवाण, श्री	टेहरीगढ़वाल
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सन्तन बड़थ्वाल, श्री	चमोली
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
फूल सिंह सौदाई, श्री	मुजफ्फरनगर	सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
मंगलदेव, श्री	गोण्डा	सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
मनहरन नाथ कौल, श्री	बहराइच	सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली

नोट:—श्री सिब्ते रजी, शिक्षा मंत्री, श्री निसार अहमद अंसारी लघु उद्योग एवं हथकरघा राज्य मंत्री।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 12 फरवरी, 1986 ई0

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 में विचाराधीन संशोधन

**1—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश में भू-राजस्व कानून में परिवर्तन शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है?

राजस्व राज्य मंत्री—(श्री गौरी शंकर)—

यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1901 में संशोधन शासन के विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विधेयक सदन में यथासमय पुरः स्थापित किया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो संशोधन प्रस्तावित है, उसमें क्या लैण्ड रेवेन्यू की दरें दुगुनी और तिगुनी की जा रही हैं? क्या जनता शासन ने जो छोटी-छोटी अलाभकर जोतों को लगान मुक्त कर दिया था उन पर फिर लगान लगाने जा रहे हैं?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो संशोधन के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की है इस संशोधन के संदर्भ में, वह यह है कि अभी तक सेक्शन 33(क) में यह व्यवस्था थी कि जो सीलिंग से जमीन निकलती है उसमें जो आवंटी हैं उनका इन्द्राज अभी तक तहसीलदार द्वारा किया जाता है और एप्रूवल एस0डी0ओ0 करता है। इस बात को देखते हुए कि इसमें अनावश्यक रूप से तहसील के चक्कर काटने पड़ते हैं, खर्च और समय ज्यादा लगता है। तो इस संदर्भ में यह क्रांतिकारी कदम शासन द्वारा उठाया गया है कि अब इसमें कानूनगो द्वारा ही इन्द्राज कर दिया जायेगा। उसका मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्यों को स्वागत करना चाहिये।

श्री हरिश चन्द्र (हरीश जी)—

मान्यवर, माननीय राजस्व मंत्री जी ने प्रथम अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। प्रश्न यह है कि क्या शासन द्वारा लगान की दरों में बढ़ोत्तरी की जा रही है? और जिन अलाभकर जोतों का लगान माफ हो गया था उसको फिर लगाने जा रहे हैं? इसका उत्तर देने की कृपा करें।

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, मैं कृपा पूर्वक अनुमति और संरक्षण चाहता हूं कि जो प्रश्न किया गया है उसमें है कि कोई संशोधन विचाराधीन है। उस पर मैंने निवेदन किया कि यू0पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1901 के अन्तर्गत जो संशोधन विचाराधीन है वह मैंने निवेदन किया। अब लगान आदि के विषय में जो जानकारी चाही है वह इससे सम्बन्धित नहीं है। अगर वह इस तरह की जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए अलग से प्रश्न कर लें। उसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप अरबन जमींदारी को समाप्त करने की सोच रहे हैं? यदि हां, तो उसके सम्बन्ध में क्या इसी सत्र में बिल लाया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का इससे क्या ताल्लुक है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राजस्व कानूनों में पूर्ण संशोधन करने के लिए एक राजस्व संहिता बनाने का शासन ने निर्णय लिया था। उसके

लिए एक प्रवर समिति भी बनी थी उसकी रिपोर्ट इस सदन को मिल गयी थी और उसके आधार पर विधेयक तैयार हो गया था, लेकिन जब नयी विधान सभा आई तो वह लैप्स हो गया। अब राजस्व नियमों में संशोधन शासन के विचाराधीन है। तो क्या वह राजस्व संशोधन विधेयक जो प्रस्तावित था वही आ रहा है अथवा उसके कुछ हिस्से हटा कर नया लाया जा रहा है? उसे मुख्य बिन्दु राजस्व परिषद् को भंग करने के सम्बन्ध में था तो उसके सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण है?

श्री गौरी शंकर–

इस संशोधन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन फिर भी जैसी उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की है, राजस्व संशोधन विधेयक पिछली बार भी आया था जिसकी जानकारी माननीय सदन को है। इस बात के लिये आश्वासन दिया गया था कि आगामी सत्र में विधेयक पुरः स्थापित किया जायेगा, शासन इस पर विचार कर रहा है और जैसे कि व्यवस्थायें लैप्स हो गयी हैं, पुनः इस पर चिंतन हो रहा है। मान्यवर, 26 विधियां हैं जिनके स्थान पर सरल प्रणाली लागू की जा सके इस सम्बन्ध में शासन विचार कर रहा है।

श्री अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, प्रश्नकर्ता तथा श्री हरीश जी ने स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि मंत्री जी के पास भू-राजस्व की जो अलाभकर जोतें हैं उनके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव क्या विचाराधीन है या आगामी समय में मंत्री जी कोई राजस्व में बढ़ोत्तरी करने जा रहे हैं? इसका उत्तर दे दें।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा कि निवेदन किया है कि इस संशोधन के अलावा और कोई भी बात शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि विधेयक के जरिये क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जो राजस्व कर के बकायेदार हैं जिनको 14 दिन जेल में रखा जाता है, उसके स्थान पर क्या अब शायद ऐसा प्राविधान करने जा रहे हैं कि जब तक वह कर अदा न कर दें तब तक जेल में रखेंगे?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न संदर्भित प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष–

यह कहने का अधिकार मेरा है। आप उनके सवाल का उत्तर दे दें।

श्री गौरी शंकर–

14 दिन की व्यवस्था की बात में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार नहीं हो रहा है। यदि अलग से प्रश्न कर लें तो उत्तर आ जायेगा।

उत्तर प्रदेश निर्माण निगम के कर्मचारियों का धरना एवं मांगें

**2–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय निर्माण निगम कर्मचारी यूनियन के नेतृत्व में निर्माण निगम के कर्मचारी विधान सभा के समक्ष 20 दिसम्बर, 1985 से धरने पर बैठे हुए हैं? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और उनको मानने में सरकार को क्या कठिनाई है?

सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री (श्री सीताराम निषाद)–

जी हां। उनकी मांगें तथा उनको न मानने के कारण संलग्न तालिका में अंकित हैं।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 108 पर।)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में करीब 300 इकाइयां इस समय कार्यरत हैं, जिसमें करीब 20 हजार मजदूर कर्मचारी प्रदेश में, देश में और देश के बाहर काम करते हैं, जो अस्थायी हैं?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। मैं देखकर उसे बताऊंगा।। यह छटनीशुदा कर्मचारियों के बारे में प्रश्न था, जिसके सम्बन्ध में सूचना मेरे पास थी, उसके बारे में जो प्रश्न होगा, उसका मैं जवाब दूंगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इनके पास यह सूचना नहीं है, तो क्या वह यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उनके निगम में कितने अस्थायी कर्मचारी काम कर रहे हैं? सरकार का यह जी0 ओ0 है कि एक साल काम करने के बाद उनको रेगुलर कर दिया जाए, तो उस जी0 ओ0 का अनुपालन यह निगम जो सरकार का ही विभाग है, क्यों नहीं कर रहा है?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, यह निगम स्वतंत्र संस्था है, इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। इसमें इसके कानून और मैनुअल सरकार से अलग अपने हैं जो उनके कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं।।

श्री मनोहर लाल–

क्या मंत्री जी बताएंगे कि निर्माण निगम के अंतर्गत कार्य करने वाले जो करीब 20 हजार से अधिक कर्मचारी हैं, जिनको मंत्री जी ने स्वायत्तशासी और स्वतन्त्र संस्था का बताया है, क्या यह संस्था सरकार के कन्ट्रोल से बाहर है? क्या इसमें श्रम कानून लागू नहीं होते हैं? यदि नहीं, तो अब तक किन कानूनों के अन्तर्गत यह संचालित होता है और यदि इसके कर्मचारी श्रम कानून के अंतर्गत आते हैं तो एक साल से अधिक समय से जो काम कर रहे हैं, उनको स्थायी क्यों नहीं किया गया?

श्री अध्यक्ष–

वह स्वतन्त्र हैं, ऐसा मंत्री जी ने नहीं कहा।

श्री सीताराम निषाद–

जो हमने बताया है, जो किया गया है, वह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत किया गया है। जिसमें यह है कि जब कार्य समाप्त हो जाए तो उनकी छटनी कर दी जाए। जहां पर वह लगे थे, काम समाप्त हो जाता है तो उनकी छटनी कर दी जाती है, इसलिए स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, बड़े खेद की बात है कि मंत्री जी को कुछ भी जानकारी नहीं है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सन् 71 में जिस समय इस निगम की स्थापना की गई थी, इसका उद्देश्य ही यह था कि जो ठेकेदारी प्रथा के जरिये लेबर रखे जाते हैं, वह न रखे जायं। मान्यवर, यह निगम के उद्देश्य में है। अगर यह निगम के उद्देश्य में है तो मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि क्यों उसके विपरीत व्यवस्था शुरू की गयी है? पी0 डब्लू0 डी0 की वह व्यवस्था जिसमें ठेकेदारों के जरिये काम किया जाता था उसको समाप्त करने के लिए निगम बनाया गया था। इसके अतिरिक्त क्या माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि सन् 76 में भारत सरकार ने कांट्रैक्ट लेबर रेगूलेशन एक्ट बनाया था?

जिसका पालन उत्तर प्रदेश की सरकार को अनिवार्य रूप से करना है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके मूल उद्देश्यों की भावना के खिलाफ और 1976 का जो एक्ट है उसके खिलाफ क्यों कार्यवाही निगम के जरिये की जा रही है?

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, निगम में ठेकेदारी प्रथा का कोई प्राविधान नहीं है और कोई काम ठेकेदारों से नहीं कराया जाता है। पी0 आर0 डब्लू0 का प्राविधान निगम के वर्किंग मैनुअल के अनुच्छेद 4 से पत्र 9 में स्पष्ट दिया गया है और उसी के अनुसार काम कराया जाता है।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2 निर्णयों की ओर दिलाना चाहता हूं। दोनों निर्णयों में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ व्यवस्था दी गयी है। पहला निर्णय है कि समान कार्य के लिए, चाहे कोई टेंपरेरी लेबर है या स्थायी लेबर है, अगर काम एक है तो उसके वेतन में विभेद नहीं किया जायगा। दूसरा निर्णय यह कि ठेकेदारी प्रथा द्वारा जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है। तो क्या मंत्री जी का ध्यान इसकी तरफ गया है, अगर गया है तो सरकार ने उन सबको स्थायी क्यों नहीं किया और ठेकेदारी समाप्त क्यों नहीं किया? अगर मंत्री जी का ध्यान इस ओर नहीं गया है तो क्या सदन में यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि दोनों निर्णयों के आधार पर तत्काल व्यवस्था की जायेगी?

श्री अध्यक्ष–

जो निर्णय हुआ है उस पर वह ध्यान जरूर देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने कहा है कि अगर ध्यान नहीं गया है तो आश्वासन देने की कृपा करें। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ स्ट्रक्चर पास किया है। इसका साफ-साफ उत्तर दिलवा दें।

श्री सीताराम निषाद–

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि राजकीय निर्माण निगम में ठेकेदारी प्रथा है ही नहीं। ठेकेदारों से कोई काम नहीं कराया जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया उस पर मंत्री जी का ध्यान गया है या नहीं?

श्री सीता राम निषाद–

मान्यवर, जहां तक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संबंध है, यदि वह इस परिधि में आता है तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। उत्तर नहीं आया है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के सिलसिले में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता।

श्री मित्रसेन–

अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

आपके पास दूसरे नियम हैं। उसके अंतर्गत ले आयें। मैं इजाजत दे दूंगा।

श्री विजय सिंह राणा–

मैं नियम 49 के अंतर्गत चर्चा की मांग करता हूं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं क्या सुनूंगा?

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को....

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं नियम 49 के अंतर्गत चर्चा की मांग करता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसको प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपर्द कर दें। वहां इसका फैसला हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम 49 के अंतर्गत ले आयें मैं इसको देखूंगा।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम 38(2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

1–श्री विजय सिंह राणा–

[विभिन्न विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

[दिनांक 12 फरवरी, 1986 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

श्री दुष्यन्त वर्मा, कार्यालय अधीक्षक, भूगर्भ जल सर्वेक्षण विभाग को अपने मूल पद सिंचाई विभाग में वापस किये जाने की मांग

*1–श्री शारदा प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री दुष्यन्त वर्मा कार्यालय अधीक्षक ग्रेड–2 जो इस समय भूगर्भ जल सर्वेक्षण में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत हैं को उनकी गतिविधियां सन्तोषजनक न होने के कारण तुरन्त सिंचाई विभाग वापस बुलाए जाने हेतु संयुक्त सचिव, क्षेत्रीय विकास (श्री पदम सिंह) ने 26 दिसम्बर, 1984 को मुख्य अभियंता अधिष्ठान अनुभाग-4 सिंचाई विभाग को पत्र लिखा था? यदि हां, तो क्या श्री वर्मा की प्रति नियुक्ति समाप्त कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री भोला शंकर मौर्य)–

जी हां।

श्री दुष्यन्त वर्मा, कार्यालय अधीक्षक, ग्रेड–2 को प्रतिनियुक्ति से वापस आने पर मुख्य अभियंता (नियोजन) लखनऊ के संगठन में पदस्थापित किये जाने के आदेश दिनांक 31-12-84 को निर्गत कर दिये गये थे किन्तु श्री वर्मा ने माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच, लखनऊ से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये हैं जिसके फलस्वरूप उन्होंने अभी सिंचाई विभाग में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर की सस्ते गल्ले की दुकानों के पाम आयल के संबंध में लिखायी गयी रिपोर्ट

*2–श्री सरदार सिंह–

क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1980 माह फरवरी, में लखनऊ में 13 सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के विरुद्ध पाम आयल को लेकर पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, परन्तु पुलिस द्वारा जांच पूरी न होने पर भी कई दुकानें पुनः चालू कर दी गयीं? ऐसी दुकानों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं? यदि दुकान अपने स्तर से पुनः चालू करनी थी तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का क्या औचित्य था? क्या मंत्री जी इस सम्पूर्ण मामले की जांच सतर्कता विभाग (खाद्य सेल) से कराने के आदेश देंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री (श्री मानपाल सिंह एडवोकेट)—

जी हां।

फरवरी, 1980 में लखनऊ नगर के 13 पाम आयल के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी थी। पुनः चालू की गयी दुकानों की सूची संलग्नक में दी हुयी है।

इन दुकानों पर केवल कुछ तकनीकी अनियमितताएं पायी गयी थी अतः आवश्यक जांच उपरान्त इनको पुनः चालू कर दिया गया।

उपरोक्त के आधार पर सम्पूर्ण मामले की जांच सतर्कता विभाग (खाद्य सेल) से कराने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 109 पर।)

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें पुलिस द्वारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई गयी परन्तु पुलिस द्वारा जांच पूरी हो भी नहीं पाई रिपोर्ट उसकी फायनली आने भी नहीं पाई, लेकिन कई दुकानें फिर चालू कर दी गयी। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जांच पूरी होने से पहले-पहले दुकानों के खुलवाने का औचित्य क्या है? वह किन कारणों से खुलवा दी गयीं?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मूल उत्तर जो दिया गया है उसमें मौजूद है कि कुछ तकनीकी कमियों के कारण दुकानें बंद हुयी थीं, उनको आवश्यक जांच के उपरान्त पुनः खुलवा दिया गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

किन दफाओं के अन्तर्गत इन दुकानों पर मुकदमा दर्ज किया गया था?

श्री हुकुम सिंह—

3/5 के अन्तर्गत दर्ज किया गया था।

श्री सरदार सिंह—

इस मामले में विवेचना अधिकारी कौन थे? पुलिस द्वारा जांच कराई गयी या जिलाधिकारी अथवा एस0 डी0 एम0 द्वारा?

श्री हुकुम सिंह—

3/5 की जांच पुलिस अधिकारी ही करते हैं।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, ऐसे मामलों में पुलिस ही केवल जांच नहीं करती। कहीं एस0 डी0 एम0 द्वारा भी होती और कहीं जिलाधिकारी भी करते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जैसा कि मा0 मंत्री जी ने बताया कि यह मुकदमा 3/5 में दर्ज किया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी एफ0 आई0 आर0 में क्या है और उनमें कौन-कौन से आरोप हैं?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, 13 दुकानदारों के प्रति एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयीं हैं, जिनकी 13 कापियां हैं आप अगर इजाजत दें तो मैं उसे एक-एक करके पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, इसमें बहुत समय लगेगा।

आजमगढ़, रतोय ताल व घाघरा नदी की बाढ़ से फसल को क्षति

*3—श्री विष्णु देव —

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के ताल रतोय में गिरने वाली ड्रेनों व घाघरा नदी की बाढ़ के कारण 85 ग्रामों की 3100 एकड़ की फसल बरबादी से करीब 20,000 गरीब लोग भुखमरी के शिकार होते हैं ? यदि हां, तो शासन की इस संदर्भ में क्या योजना

है और कब तक इस 3000 एकड़ प्रभावित फसल भूमि को बाढ़ व बरबादी से बचाकर किसानों को सुपुर्द कर देंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

जी नहीं । रतोय ताल में गिरने वाली ड्रेनों से व घाघरा नदी की बाढ़ के कारण फसल की बरबादी नहीं होती है । रतोय ताल एक बहुत बड़ा ताल है और इसका वर्षा ऋतु का पानी निकल जाने के बाद पानी का सरफेस एरिया लगभग 3100 एकड़ रहता है । वर्षा ऋतु में रतोय ताल का पानी हाहा नाले द्वारा घाघरा नदी में निकाला जाता है । 15 नवम्बर तक लगभग क्षेत्र का पानी निकल जाता है तथा उस समय वाटर सरफेस एरिया लगभग 3100 एकड़ होता है । हाहा नाले पर एक रेगुलेटर बना है जिससे घाघरा नदी का पानी वापस होकर क्षेत्र को जलमग्न न करे । वर्षा ऋतु में जब घाघरा नदी का जल स्तर ऊंचा होता है तब रेगुलेटर बंद रखा जाता है । उस समय वर्षा का पानी, पटाक्ष ताल ड्रेन, पोनी ड्रेन तथा ताल रतोय ड्रेन से रतोय ताल में आता है एवं उसका वाटर सरफेस एरिया बढ़कर लगभग 5800 एकड़ होता है ।

नाले के पुनरोद्धार के संबंध में इस क्षेत्र का पुनः सर्वेक्षण कराया जाना प्रस्तावित है ।

श्री विष्णुदेव –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । मेरा प्रश्न श्रीमन् यह था कि क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के ताल रतोय में गिरने वाली ड्रेनों व घाघरा नदी की बाढ़ के कारण 85 ग्रामों की 3100 एकड़ की फसल बरबादी से करीब 20,000 गरीब लोग भुखमरी के शिकार होते हैं ? यदि हां, तो शासन की इस संदर्भ में क्या योजना है और कब तक इस 3000 एकड़ प्रभावित फसल भूमि को बाढ़ व बरबादी से बचा कर किसानों को सुपुर्द कर देंगे ? श्रीमन्, इसका जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया । मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार माननीय मंत्री जी का यह उत्तर गलत है कि वर्षा ऋतु में रतोय ताल का पानी हाहा नाले द्वारा घाघरा नदी में निकाला जाता है । मान्यवर, वास्तविकता यह है कि रेगुलेटर का चौखट ऊंचा है, वहां पर मिट्टी का जमाव हो गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप अपना प्रश्न कीजिए, आप जानना क्या चाहते हैं ?

श्री विष्णुदेव –

मैं प्रश्न ही कर रहा हूं श्रीमन् । मान्यवर, मेरी जानकारी को सत्य मानकर क्या माननीय मंत्री जी जो रेगुलेटर के पास की जमीन पट करके ऊंची हो गयी है, पानी नहीं निकल पाता, उस रेगुलेटर के पास की जमीन की खुदाई करा कर ताल रतोय के पानी का निकास कराने का कष्ट करेंगे, जिससे कि 3000 एकड़ प्रभावित फसल भूमि को बाढ़ व बरबादी से बचाया जा सके ? मान्यवर, हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि 5800 एकड़ भूमि के जल जमाव से बीसों हजार लोगों की फसल बरबाद हो जाती है, क्या माननीय मंत्री जी उन्हें क्षतिपूर्ति दिलाने का कष्ट करेंगे, जैसा उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

मान्यवर, मैंने तो पूरा उत्तर दे दिया है और सर्वेक्षण भी करा रहे हैं, इसमें और क्या किया जा सकता है ? आपने 3,000 एकड़ की बात की है, रतोय ताल का पानी निकालना सम्भव नहीं है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि 15 नवम्बर को जब फाटक खोलते हैं, तो कितने दिन में पानी निकलता है और जो सिल्ट जम जाने से तल ऊंचा हो गया है, उसे कब तक साफ कराने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

मान्यवर, वर्षा ऋतु से पहले हम उसे साफ करा देंगे ।

बांदा, गुन्टा नाला बांध परियोजना का निर्माण

*4–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गुन्टा नाला बांध परियोजना बांदा (पुनरीक्षित मई, 1985) जिस पर वर्ष 84-85 में अनुमानित व्यय 652 लाख 20 हजार रुपए किया जा चुका है तथा 85-86 के बजट में 81 लाख 56 हजार रुपए आवंटित करना प्रस्तावित है और जिस पर वर्ष 85-86 के अंत तक में 83.1 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जायेगा केन्द्रीय योजना आयोग से स्वीकृत नहीं है ? यदि हां, तो इतना धन बिना केन्द्रीय योजना आयोग की स्वीकृति के इस परियोजना पर व्यय करने का आधार क्या है?

श्री भोला शंकर मौर्य –

गुन्टा नाला बांध परियोजना डी0पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत वर्ष 1976 में 185 लाख रुपये की स्वीकृति की गई । इस योजना की स्वीकृति भारत सरकार योजना आयोग से वर्ष 1976 में प्राप्त हुई थी। चूंकि मूल परियोजना केन्द्रीय योजना आयोग से स्वीकृत है अतः यह कहना सही नहीं है कि योजना पर व्यय बिना केन्द्रीय योजना आयोग की स्वीकृति के किया जा रहा है ।

योजना मई, 1985 में पुनरीक्षित की गई तथा इसकी पुनरीक्षित लागत 782 लाख रुपये है पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन को स्वीकृति कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

मूल योजना स्वीकृत है, अतः व्यय पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन की स्वीकृति की प्रत्याशा में किया जा रहा है ।

परियोजना की पुनरीक्षित लागत के विरुद्ध वर्ष 85-86 तक लगभग 48.5 प्रतिशत व्यय होगा ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह –

मान्यवर, यह योजना 1976 में 185 लाख रुपये की स्वीकृत की गई । जब यह योजना पुनरीक्षित की गई तो उसकी लागत 782 हो गई । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र से इस योजना पर स्वीकृति क्यों नहीं ली गई, और बिना केन्द्रीय योजना आयोग की स्वीकृति के इस परियोजना पर व्यय करने का आधार क्या है ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

माननीय सदस्य को स्मरण होगा जो योजना थी, वह 1980 में बन्द हो गई। इसलिए भारत सरकार ने इस पर फंड देना बन्द कर दिया, अब पुनरीक्षित योजना भारत सरकार को भेजी गई है, इसमें बहुत शीघ्र स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी । इसमें काम चालू है ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह –

स्वीकृति नहीं मिलती है, तो जिम्मेदार कौन होगा ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

स्वीकृति मिल ही जाती है ।

श्री मित्रसेन –

योजना केन्द्र सरकार को दुबारा कब भेजी गई, रिमाइन्डर दिया गया या नहीं?

श्री भोला शंकर मौर्य –

यह 19.8.85 को भेजी गई है ।

फर्रुखाबाद में राशन कार्डों पर मिट्टी के तेल में वृद्धि किये जाने की मांग

*5–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में तहसील छिबरामऊ की भांति ही जनपद की अन्य तहसीलों में भी प्रति राशन कार्ड एक लीटर के तेल के स्थान पर दो लीटर मिट्टी का तेल आवंटित करने की व्यवस्था सरकार करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

जी हां, ऐसी व्यवस्था इसी माह से की जा रही है यद्यपि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर मिट्टी के तेल का आवंटन नहीं किया जा रहा है अतः फर्रुखाबाद जनपद को आवश्यकता के अनुसार जनसंख्या के आधार पर पूर्ण आवंटन पूर्व में नहीं किया जा सका था । परन्तु अब इसी माह में 320 किलोलीटर मिट्टी तेल का अतिरिक्त आवंटन फर्रुखाबाद जनपद को कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप जनपद को अब 1040 किलोलीटर के स्थान पर 1360 किलोलीटर का आवंटन प्राप्त होगा । अतः शनैः-शनैः फर्रुखाबाद की अन्य तहसीलों के कार्ड धारकों को छिबरामऊ तहसील के कार्ड धारकों की भांति ही प्रति कार्ड धारक को 2 लीटर मिट्टी का तेल प्राप्त हो सकेगा।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि "भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर मिट्टी के तेल का आवंटन नहीं किया जा रहा है" तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार यह संस्तुति करेगी कि उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए यहां का आवंटन आबादी के आधार पर किया जाए ? दूसरा मेरा मूल प्रश्न था, उसके संदर्भ में जानना चाहूंगा क्या छिबरामऊ की तरह अन्य तहसीलों में दो लीटर मिट्टी का तेल आवंटित करने की कृपा करेंगी ? छिबरामऊ तहसील में दो लीटर मिट्टी का तेल दिया जा रहा है जबकि अन्य तहसीलों में एक लीटर मिट्टी का तेल दिया जा रहा है, इसके क्या कारण हैं ? मान्यवर, एक अधिकारी ने, छिबरामऊ का जो बहुत बड़ा तेल का व्यापारी है उससे अपने संबध बना रखे हैं उसको अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए एक तहसील विशेष के लिए ऐसे आदेश जारी कर रखे हैं, तो इस तरह के आदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

दो लीटर मिट्टी का तेल आवंटित करने की कब तक व्यवस्था हो जायेगी?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हम सदैव इस बात का प्रयास करते रहे हैं कि जनता को जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए। माननीय सदस्य का कहना है कि पूरे जनपद में एक तहसील को क्यों किया गया तो जो विभिन्न जनपदों से आवश्यकतायें रखी जाती हैं उसी के आधार पर आपूर्ति को देखते हुए आवंटन किया जाता है विभिन्न तहसील की आवश्यकताओं को देखते हुए जिला स्तर पर आवंटन किया जाता है। जहां से माननीय सदस्य विधायक हैं वहां पांच लीटर मिट्टी का तेल दिया जा रहा है कहीं पर एक लीटर मिट्टी का तेल दिया जा रहा है । वैसे जो माननीय सदस्य की भावना है, उनकी इच्छानुसार बाकी स्थानों पर भी दो लीटर मिट्टी के तेल का आवंटन कर दिया जाएगा।

श्री मित्रसेन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के हिसाब से सूरज कहीं देर से डूबता है और कहीं जल्दी डूबता है। पूरे प्रदेश में फर्रुखाबाद को लेकर सभी जनपदों में मिट्टी के तेल का समान रूप से वितरण करायेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

यह बात सही है, कहीं सूरज देर से डूबता है, कहीं जल्दी डूबता है, इतना बड़ा प्रदेश है, कुछ न कुछ अंतर तो हो ही जाता है। लेकिन जैसा मैंने अनुरोध किया जहां की जो आवश्यकता दर्शायी जाती है और जितनी उपलब्धता है, उसके आधार पर तेल की आपूर्ति की जाती है। प्रयास यही किया जा रहा है कि जितनी मांग हो उसके अनुसार आपूर्ति की जाय।

*6–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[पांचवें गुरूवार में ता0प्र0सं0 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी में सींचपालों (पतरौल) की नियुक्ति

*7–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 4 मई, 1985 को सिंचाई निर्माण मण्डल, वाराणसी के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा 40 सींचपालों (पतरौल) की नियुक्तियां की गयी हैं? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त चयनित अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री दीप चन्द्र सोनकर–

मान्यवर, मैंने 30-10-85 को प्रश्न किया था। साढ़े तीन महीने हो गये, कितने दुख की बात है अभी सूचना एकत्रित की जा रही है। माननीय मंत्री जी कब तक यह सूचना एकत्रित करके सदन के पटल पर रख देंगे? क्या कारण है, जिससे सूचना एकत्रित करने में इतना विलम्ब हुआ?

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी इस किस्म के उत्तर आने से माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं होते हैं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, आप डांट नहीं लगाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपकी डांट हम तक आ रही है, आपकी डांट काफी है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूचना एकत्रित की जा रही है, इस सम्बन्ध में किस अधिकारी ने लिख कर भेजा है? सूचना एकत्रित करने की जो नोटिंग हुई है, वह किस अधिकारी ने किया है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सूचना आ गयी थी लेकिन वह अपूर्ण सूचना थी और सूचना आने का जो माध्यम है, मुख्य अभियन्ता ने सूचना भेजी थी। मैंने दुबारा आदेश किया है कि पूर्ण सूचना भेजी जाय, 15 दिन के अन्दर सूचना आ जायेगी और मैं बतला दूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद झा–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि अपूर्ण सूचना आयी थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 48 लोगों की नियुक्ति की बात प्रकाश में आयी है या नहीं आयी है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

पूर्ण सूचना नहीं है, लिहाजा नहीं बता पाऊंगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, इनको नियमित करा दें, मस्टररोल पर कब तक चलते रहेंगे।

सिंचाई खण्ड द्वितीय, आजमगढ़ के क्रास रेगुलेटर एवं ईसापुर स्केप रेगुलेटर को हुई क्षति की मरम्मत

*8–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिचाई खण्ड-2 आजमगढ़ के अन्तर्गत ईसापुर स्केप वर्ष 84-85 में बह गया था जिसमें 70,000 रुपए का वर्क आर्डर हुआ था किन्तु पिलर का पता नहीं है? क्या यह सही है कि इस स्केप के ग्रास रेगुलेटर व हेड रेगुलेटर को बहाने में वर्तमान सहायक अभियन्ता श्री गजेन्द्र मोहन झा, दोषी हैं? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि श्री झा ने दोनों रेगुलेटरों में पटरा लगाकर पानी निकास के सभी गेटों को बन्द करा दिया था ताकि हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ने पर निर्माण क्षतिग्रस्त हो जाय और उन्हें क्षति की मरम्मत के नाम पर फर्जी आर्डर से रुपया कमाने का मौका मिले? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

सिंचाई खण्ड दिवतीय आजमगढ़ के अंतर्गत आजमगढ़ राजबहा के किमी0 29.82 पर क्रास रेगुलेटर एवं ईसापुर स्केप शीर्ष रेगुलेटर दिनांक 15-12-83 को रात्रि में क्षतिग्रस्त हुआ। क्रास रेगुलेटर का एक पिलर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुआ। दोनों रेगुलेटरों के फर्श पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गये तथा रेगुलेटर के अन्य पिलर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। ईसापुर हेड क्रास रेगुलेटर के क्षतिग्रस्त होने के पश्चात् अवशेष कार्य की तत्काल सुरक्षा हेतु बोल्डर पीचिंग आदि में रु0 41,304.00 व्यय किया गया। स्केप हेड रेगुलेटर के फर्श के पुनर्निर्माण में मई 1984 नहर बंदी में रु0 31,478.00 का व्यय किया गया। इन दोनों रेगुलेटरों के बहने में वर्तमान सहायक अभियन्ता श्री गजेन्द्र मोहन झा संबंधित नहीं हैं। बहते पानी में दोनों रेगुलेटरों को पटरे द्वारा बन्द करना संभव नहीं है, पानी का बहाव न होने की दशा में दोनों रेगुलेटरों में पटरे लगाकर पानी को पूर्ण जलस्तर तक भरकर यदि रोका भी जाय तब भी हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ने से रेगुलेटर क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए क्योंकि इस स्थिति के लिए ही क्रास रेगुलेटर का डिजाइन किया जाता है। फर्जी कार्यादेश से मरम्मत का कार्य कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि स्केप के शीर्ष रेगुलेटर के फर्श की मरम्मत का कार्य सहायक अभियंता द्वारा अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियंता की देख-रेख में कराया गया था। क्षतिग्रस्त क्रास रेगुलेटर पर कोई मरम्मत कार्य नहीं कराया गया है। ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है तथा अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता से उनके स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये हैं और दोष के निर्धारण के पश्चात् समुचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस कार्य को कराने वाले ठेकेदार कौन थे, जिसको ब्लैक लिस्ट किया गया तथा उसने वर्क आर्डर पर जो कार्य किया, उसको जिस अधिकारी ने सत्यापित किया, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया ।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

वह ठेकेदार कौन था ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इस समय ठेकेदार का नाम मेरे पास नहीं है ।

श्री राम जनम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया तो जो संबंधित ओवरसियर और इंजीनियर थे, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? क्या आप उन्हें भी दोषी मानते हैं?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, उसका परीक्षण चल रहा है। इन्क्वायरी प्रोग्रेस में है। मैंने आज ही आदेश किये हैं। जैसे ही इन्क्वायरी की रिपोर्ट आ जायेगी, दोषी अधिकारियों को दंडित किया जायगा ।

श्री बाबू राम यादव–

क्या माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि जिस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया, उसका कुछ नाम था भी या नहीं तथा जो अधिकारी इस प्रक्रिया से संबंधित थे उनके भी कुछ नाम थे या नहीं ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इस समय उस ठेकेदार का नाम मेरे पास नहीं है ।

श्री बाबू राम यादव–

जब नाम नहीं है तो ब्लैक लिस्ट किसे कर दिया है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

संबंधित ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट किया गया है ?

श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

किस अधिकारी से परीक्षण कराया जा रहा है? वह किस स्तर का अधिकारी है ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

इसमें एक अवर अभियंता, एक सहायक अभियन्ता और एक अधिशासी अभियन्ता संबंधित है । जांच अधीक्षण अभियन्ता से करा रहे हैं ।

श्री मोहम्मद मसूद खां–

मान्यवर, यह ठेकेदार का नाम या संबंधित अभियंताओं का नाम नहीं बता रहे हैं । मैं सिफारिश करूंगा कि इन्होंने जो जवाब दिया है उससे मालूम होता है कि काम बहुत फर्जी हुआ है। तो क्या मंत्रीजी किसी वरिष्ठ अधिकारी से फिर से जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, इसकी जांच अधीक्षण अभियंता से करा रहे हैं । जांच के बाद तीनों अधिकारियों में से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

गाजियाबाद, डासना ड्रेन, शाहबेरी हवेतपुर पर पुल का निर्माण

*9–श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डासना ड्रेन पर शाहबेरी हवेतपुर (विकास खण्ड विसरख) जिला गाजियाबाद का पुल जिससे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का 9000 क्यूसेक पानी का निकास है, का निर्माण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण प्रस्तावित है? इस पुल पर निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ न करने का क्या कारण है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

जी हां।

"काजवे" का निर्माण किया जा चुका है। बड़ा पुल बनाने की योजना परीक्षण में है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यह प्रस्तावित पुल कब तक बन जायेगा?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, अभी इस पुल के लिये जो नाला है, इसकी भूमि अध्यापित नहीं की जा सकी है। क्योंकि अभी लैंड संबंधी केस विकास प्राधिकरण में पेंडिंग है हमने जो प्रस्ताव भेजा, उन्होंने वापस कर दिया। यहां यह भी बताना चाहूंगा कि वहां एक मंदिर रास्ते में बना है, लिहाजा उसका एलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इसमें कुछ समय लग सकता है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, जो मंदिर है, वह भूमि अध्यापन प्रस्ताव के बाद में बना है। फिर इसके एलाइनमेंट को चेन्ज करने की क्या बात है?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, किसी भी धर्म की भावना से खेलना सरकार का काम नहीं।

फर्रुखाबाद, सेवा योजन अधिकारी, कार्यालय के लिपिक के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

*10–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रभान शर्मा, संयोजक हरिजन समाज सेवा संघ गुरु सहायगंज, जनपद फर्रुखाबाद के दो पत्र दिनांक 31-3-85 तथा 27-4-85 जो जिलाधिकारी को संबोधित है, की प्रतिलिपियां मा0 हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को प्राप्त हुई हैं, जिसमें नगरीय दुर्बल वर्ग 6500 रुपया सहायता योजना में सेवायोजन अधिकारी तथा उनके कार्यालय के वरिष्ठ लिपिक के विरुद्ध अनियमितताएं करने की शिकायतें की गयी हैं? यदि हां, तो क्या उनकी जांच करायी गयी और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री गौरी शंकर–

प्रश्न में संदर्भित शिकायती पत्र शासन के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में प्राप्त नहीं हुए हैं, परन्तु यह शिकायती पत्र दिनांक 30-4-85 को जिला अधिकारी फर्रुखाबाद के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। जिला अधिकारी फर्रुखाबाद द्वारा प्रश्नगत शिकायतों की जांच कराई जा रही है।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, इस उत्तर के संदर्भ में यह जानना चाहता हूं कि जांच किस अधिकारी द्वारा करायी जा रही है और उसमें अभी कितना समय लगेगा?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जिलाधिकारी फर्रुखाबाद ने अपर जिलाधिकारी को इस बात के लिये निर्देशित किया कि आवश्यक कार्यवाही करें। उन्होंने सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र फर्रुखाबाद को इस बात के आदेश दिये कि वे इसकी जांच करें। उस समय के जो सामान्य प्रबन्धक थे, उनका स्थानान्तरण हो गया, उनकी जगह अब जो दूसरे सामान्य प्रबन्धक आये हैं, वे सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, यह स्पष्ट हो जाय कि कौन अधिकारी अब प्रश्नगत प्रकरण की जांच कर रहा है?

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, जैसा मैंने बताया सामान्य प्रबन्धक डी0 आई0 सी0 फर्रुखाबाद सारे तथ्यों की जांच कर रहे हैं ।

सहारनपुर, जिला सेवा योजन कार्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल

*11—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन को पता है कि जिला सेवायोजन कार्यालय, सहारनपुर के लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जून, 1985 से कलम बन्द और काम बन्द स्ट्राइक पर हैं जिससे कार्यालय का सारा काम बन्द है और जनता में त्राहि-त्राहि है ? यदि हां, तो स्ट्राइक के क्या कारण हैं और क्या उन कारणों को दूर करने हेतु सरकार तुरन्त कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गौरी शंकर—

जी हां। जिला शाखा सहारनपुर कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला सेवायोजन कार्यलय सहारनपुर के लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 11 जून, 1985 से कलम बंद हड़ताल पर थे।

जिला सेवायोजन अधिकारी सहारनपुर एवं वहां के कर्मचारियों के बीच मतभेद तथा जिला सेवायोजन अधिकारी के पिथौरागढ़ किये गये स्थानान्तरण को निरस्त किये जाने के कारण हड़ताल हुई थी।

तत्कालीन जिला सेवायोजन अधिकारी सहारनपुर का स्थानान्तरण बुलन्दशहर कर दिया गया और कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, सेवा योजन अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में क्या मत-भेद थे, इसे बताने का कष्ट करेंगे माननीय मंत्री जी ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, यह शिकायत की गई थी कि वहां के जिला सेवा योजन अधिकारी द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। कोई विशेष उत्पीड़न का जिक्र नहीं किया गया था कि किस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है। दूसरी शिकायत यह की गई थी कि जिला सेवायोजन कार्यालय से जो नामों का सम्प्रेक्षण किया जाता है, उसमें अनियमिततायें बरती जा रही हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो यह स्वीकार कर लिया है कि उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्पीड़न किस तरह का किया जा रहा है, यह उन्हें पता नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर सेवा योजना कार्यालय में बिना पैसे लिये नाम नहीं निकाला जाता है। क्या वहां पर भी इसी पैसे के लेन-देन को लेकर झगड़ा चल रहा था? यदि हां, तो किसी उच्च अधिकारी द्वारा इस मामले की आप जांच करायेंगे और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री गौरी शंकर—

मान्यवर, इन सब चीजों को देखते हुए आर0 ई0 ओ0 देहरादून वहां गये और उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचे कि सेवा योजन अधिकारी और वहां पर कार्यरत कर्मचारियों के बीच मत-भेद है। इसलिए सेवा योजन अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया। जब स्थिति सामान्य हो गई तो स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया, किन्तु पुनः जब हड़ताल हो गई तो उनका स्थानान्तरण वहां से कर दिया गया। उसके बाद से स्थिति सामान्य है, इसलिए विभागीय जांच की कोई गुंजाइश नहीं है।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

वहां पर गड़बड़ी पाई गई, इसे माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है। वैसे भी ट्रान्सफर इज नाट पनिशमेंट। मेरा

कहना यह है कि उस हड़ताल से महीनों कार्यालय बंद रहा और पब्लिक को बहुत परेशानी हुई । मेरा अनुरोध है कि इस पूरे प्रकरण पर किसी उच्च अधिकारी से माननीय मंत्री जी जांच करवायें और इस पैसे के लेन-देन में जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय ।

श्री गौरी शंकर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने कहा कि ट्रान्सफर इज नाट पनिशमेंट । इसे मैं भी मानता हूं । लेकिन अब इस पूरे प्रकरण पर वहां कोई भी असंतोष नहीं है। सेवा योजन अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद स्थिति सामान्य बनी हुई है। यदि माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई ऐसी बात है कि सेवा योजन अधिकारी के स्थानान्तरण के बाद भी वहां पर असंतोष है, तो उस वह लिखकर दे दें उन परिस्थितियों पर विचार कर लिया जायेगा।

प्रदेश में बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की मांग

*12- श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बंगाल आदि प्रान्तों के अनुरूप उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने का प्रस्ताव है ? यदि नहीं, तो शासन इस प्रस्ताव पर विचार करते हुए शिक्षित बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेगी ?

श्री गौरी शंकर–

जी नहीं ।

सरकार बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है और अब भी है । प्रदेश में कार्यरत सेवायोजन कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगारों को पंजीकृत करा कर उन्हें रोजगार दिलाने की कार्यवाही की जा रही है तथा श्रम विभाग (प्रशिक्षण प्रखण्ड) के अधीन कार्यरत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा राजकीय औद्योगिक एवं प्राविधिक संस्थानों द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिलाकर अभ्यर्थियों की सेवायोजकता बढ़ाई जा रही है और स्वतः रोजगार योजनाओं के माध्यम से उन्हें रोजगार दिलाने की व्यवस्था की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त शासन के उद्योग विभाग द्वारा संचालित शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवकों को पैकेज सहायता द्वारा अपना उद्योग लगाने, सेवा, उद्योग अथवा व्यवसाय/कारोबार प्रारम्भ करने के लिए प्रोत्साहित और इन्हें कार्यरत कराया जाता है ।

बेरोजगारों को रोजगार दिलाये जाने के प्रयासों को तथा उद्योग विभाग द्वारा चलायी जा रही शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्वतः रोजगार योजना को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी भत्ता दिए जाने की नई योजना चलाना शासन के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए संभव नहीं है ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, पूरे प्रदेश में शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों की स्थिति बड़ी दयनीय है । प्रतिवर्ष इनकी संख्या 25 लाख बढ़ती जा रही है । माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करें कि पिछले 5 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे शिक्षित बेरोजगार हैं, जिनका सेवा योजन कार्यालय में पंजीकरण हुआ है ? इसमें से कितने लोगों को आपने रोजगार प्रदान किया? इस वृद्धि का प्रतिशत क्या है और रोजगार प्रदान करने का प्रतिशत क्या है ?

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य की चिंता स्वाभाविक है, इससे शासन भी चिन्तित है। आपने जानना चाहा है कि कितने बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया। वर्ष 1985 में, ये 31 दिसम्बर, 1985 तक के आंकड़े हैं। 31 दिसम्बर, 1985 तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में 25,70,370 लोग पंजीकृत थे, जिसमें से 31,610 अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराया गया।

श्री मुईद अहमद–

मान्यवर, शासन के पास सीमित साधन हैं इसलिये भत्ता तो नहीं दिया जा सकता लेकिन जो स्वतः रोजगार की योजना चलायी है, उसकी प्रक्रिया में बड़ी कठिनाइयां हैं, उसमें उद्योग विभाग के बैंक विभाग के अधिकारी बैठते हैं। इस स्थिति को देखते हुए क्या उसका सरलीकरण करने पर विचार करेंगे और क्या जन प्रतिनिधियों के भी सुझाव लेंगे?

श्री गौरी शंकर–

शासन तो सदैव ही माननीय सदस्यगणों के अनुभव का लाभ उठाना चाहता है। पुनः माननीय सदस्य ने बल दिया है, हम उन माननीय सदस्य को ही नहीं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो भी अनुभव हों, सुझाव हों, उन पर आदर की दृष्टि से विचार किया जायगा। शासन की ओर से इस समय जो विशेष रूप से एन0 आर0 ई0 पी0, आई0 आर0 डी0 और स्वतः रोजगार योजनायें चल रही हैं, शासन उनमें किसी प्रकार की शिथिलता को बर्दाश्त नहीं करेगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

माननीय मंत्री जी ने बताया कि दिसम्बर, 85 तक 25 लाख 70 हजार लोगों का पंजीकरण हुआ था, जिसमें से लगभग 31 हजार लोगों को सेवायोजित किया गया। इस हिसाब से तो 1.2 प्रतिशत लोगों को ही केवल सेवायोजित किया गया, इतनी भारी तादाद को देखते हुए और जो इनका प्रतिशत है, उसको देखते हुए, सातवीं पंचवर्षीय योजना में कौन से उपाय किये गये हैं कि सभी सेवायोजन कार्यालयों में दर्ज लोगों को रोजगार मिल जाय? यदि नहीं, तो बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री गौरी शंकर–

माननीय सदस्य और माननीय सदन का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में यदि यह मानक बना दिया जाय कि कम से कम 5 वर्ष हो जायं पंजीकरण कराये हुए और आयु सीमा 21 वर्ष से 30 वर्ष के मध्य हो तथा परिवार की अधिकतम आय 4800/- रु0 से अधिक न हो, इन मानकों के साथ यदि हम व्यवस्था करना चाहें तो प्रति वर्ष 11.50 करोड़ रु0 की व्यवस्था करनी होगी और हर वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि हो जायगी। ऐसी स्थिति में मैंने निवेदन किया कि आपकी चिन्ता स्वाभाविक है और शासन भी इससे चिन्तित है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा कोई प्राविधान न होने के कारण इसकी कोई व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं।

श्री काजी कलीमुररहमान–

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार के पास शिक्षित बेरोजगारों के अतिरिक्त प्रदेश में कितने अशिक्षित बेरोजगार हैं, उनकी भी कोई संख्या उनके पास है? यह भी जानना चाहूंगा

कि अभी आपने जो आंकड़े दिये हैं कि 31 हजार लोगों को रोजगार दिया गया है, मेरी अपनी जानकारी के अनुसार प्रदेश में 3 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, क्या सरकार उन्हें रोजगार देने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है?

श्री अध्यक्ष–

इतने विस्तार से उत्तर तो दे चुके हैं।

श्री आसान सिंह–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि शासन के साधन सीमित हैं और शिक्षित बेरोजगारों की संख्या अधिक है और पांच-पांच साल से उनका नाम सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है, वहां उनका नाम दर्ज है और उनको समय से कार्य नहीं मिल पा रहा है और वे सब ओवर एज हो रहे हैं, जो युवक ओवर एज हो रहे हैं क्या शासन उनको बेरोजगारी भत्ता देने के लिए आश्वासन देगी? या इन युवकों को उम्र की छूट देगी?

श्री अध्यक्ष–

माननीय आसान सिंह जी, मंत्री जी इसका उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

आप पहले सुनेंगे? मैं कह रहा हूं कि वे जवाब दे चुके हैं कि संसाधनों की कमी की वजह से यह सम्भव नहीं है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 13 के पुकारे जाने से व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों के समय में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

(व्यवधान)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

यह देश की सबसे ज्वलन्त समस्या है।

श्री अध्यक्ष–

पहले आप लोग अपनी-अपनी जगह पर बैठिये, मैंने माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी को बुलाया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह देश की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है, मेरी प्रार्थना है कि इस प्रश्न पर आप एक घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की यह मांग है कि जो देश में बेरोजगारी की समस्या है और शासन इस पर कुछ कर नहीं पा रहा है, मंत्री जी कहते हैं कि इसके लिए संसाधन नहीं हैं और न उम्र में वे छूट देने के लिए तैयार हैं। आयु में छूट नहीं देंगे, संसाधन जुटा नहीं पायेंगे। सरकार इसको हल नहीं कर पा रही है, इसलिये इनका सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। संसाधन की कमी है तो फिर आयु में छूट देनी चाहिये और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए।

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल का विशेष रूप से आभारी हूं कि जो उन्होंने कहा है उन्हें इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए क्योंकि सदन की अपनी एक मर्यादा है, नेता विरोधी दल की भी अपनी कोई मर्यादा है विरोध पक्ष से समय-समय पर वे दिशा-निर्देशन करते हैं, संज्ञान कराना कहते हैं। सरकार को जन समस्याओं के प्रति इंगित करना, जनतांत्रिक मूल्यों की मर्यादा में निहित है इसलिये वे अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। यह निश्चित ही

बेरोजगारी की जो समस्या है, यह न केवल सरकार की है बल्कि इस प्रदेश और देश की तहत बढ़ती हुई आबादी से और जनसंख्या से जुड़ी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस समस्या के बारे में सत्ता पक्ष सजग है और वह बड़ी ईमानदारी से प्रदेश की बढ़ती हुई बेरोजगारी के बारे में चिन्तित है, लेकिन मान्यवर, विरोधी पक्ष भी अपनी जिम्मेदारी से हट नहीं सकता है। प्रदेश और देश को बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण को भी इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। अगर आप चाहते हैं तो इस पर चर्चा करा लें, लेकिन मान्यवर, सदन की एक मर्यादा होती है और उसका एक गौरव होता है, और उसी के अनुकूल यहां पर व्यवहार करना चाहिये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का यह सवाल है कि यह एक नीतिगत मामला है। इधर के माननीय नेताओं ने और उधर के भी कुछ सदस्यों ने इस पर अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की है और माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इस पर चर्चा करा दी जाये, परन्तु उनके कहने के उपरान्त माननीय मंत्री जी अकारण ही खड़े हो गये और सदन का समय नष्ट किया। आप मान्यवर, इस विषय पर एक घन्टे की चर्चा करा दें, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। चर्चा करा दें तो हमारा दृष्टिकोण आ जायेगा और सरकार का जो दृष्टिकोण है, वह भी आ जायेगा। सरकार को भी अपनी बात कहने का अवसर मिल जायेगा। इस समय तो केवल एक ही प्रश्न है कि आयु सीमा बढ़ाई जाये, परन्तु चर्चा के समय और भी बिन्दु जो हमारे मन में हैं वह भी सामने आ जायेंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पर एक घन्टे की चर्चा स्वीकार कर लें?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। आप तो नियमों के ज्ञाता हैं। इस प्रकार के मामलों के लिए नियम 49 बना हुआ है, उसमें आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। इस तरह से प्रश्न काल में समय लेने से दूसरे प्रश्नों का समय निकल जाता है। तो दूसरे प्रश्नों का समय लेना कहां तक उचित है?

श्री अध्यक्ष–

इस पर नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा मांग सकते हैं।

हरदोई, सिंचाई विभाग में सींचपालों के परीक्षाफल का निरस्तीकरण

*13–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 26 जून, 85 को हरदोई में हुई सींचपाल प्रतियोगिता में अधिशासी अभियन्ता, हरदोई ने बड़े पैमाने पर पक्षपात करके लिखित परीक्षा में अधिकतर अपने गृह जनपद बाराबंकी के अभ्यर्थियों को ही उत्तीर्ण किया है? क्या उनके इस पक्षपातपूर्ण रवैए से क्षुब्ध होकर चयन समिति के दूसरे सदस्य, उन्नाव के ई0ई0 श्री गुप्ता इण्टरव्यू में शामिल नहीं हुए तथा इसकी शिकायत उन्होंने उच्चाधिकारियों से की ? क्या यह भी सही है कि श्री सिंह ने नियम के विरुद्ध अकेले ही इण्टरव्यू लिया ? यदि हां, तो उक्त अनियमितताओं को देखते हुए क्या मंत्री जी इसे निरस्त कर नई चयन समिति के माध्यम से पुनः चुनाव कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

जी नहीं । लिखित परीक्षा दिनांक 23-6-1985 को हुई थी । संबंधित अधिशासी अभियन्ता श्री यू0पी0 सिंह का गृह जनपद गाजीपुर है ।

दूसरे सदस्य श्री उमेश चन्द्र मित्तल, अधिशासी अभियन्ता थे । अतः श्री गुप्ता के इण्टरव्यू में शामिल होने का प्रश्न नहीं उठता । दूसरे सदस्य श्री मित्तल शामिल नहीं हुए थे ।

जी हां ।

इस परीक्षा की कार्यवाही तथा परीक्षा-फल को निरस्त किया जा चुका है और नई चयन समिति के माध्यम से पुनः चुनाव कराने की कार्यवाही की जा रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, सींचपाल प्रतियोगिता की परीक्षा और परीक्षाफल निरस्त कर दिया गया यह किन नियमों के कारण किया गया । जो नई चयन प्रक्रिया शुरू की जायेगी क्या उसमें इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि जो लोग 3-3 साल से डेली वेजेज पर कार्य कर रहे हैं, उनको वरीयता दी जायेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

मान्यवर, पूरे प्रकरण को देखते हुए ही इस परीक्षा को निरस्त किया गया है और जो नई चयन समिति बनाई गई है वह प्रत्येक खण्ड के लिए अलग-अलग बनायी गयी है और उसमें जो डेली वेजेज के कर्मचारी हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्न पूछने का आशय यह था कि किन अनियमितताओं के कारण इसके परीक्षाफल को निरस्त किया गया है, वह अनियमितताएं क्या हैं, उनको माननीय मंत्री जी ने बताया ही नहीं है ?

श्री भोला शंकर मौर्य –

मान्यवर, इसमें सबसे बड़ी अनियमितता यह थी कि जो चयन समिति बनायी गयी थी, उसमें अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव भी थे, परन्तु वह उसमें सम्मिलित नहीं हुए और एक सदस्य ने चयन कर लिया । उसका निर्णय मान्य नहीं था, इसलिए इसको निरस्त किया गया ।

श्री अशोक बाजपेयी –

यह स्पष्ट है कि इस चयन में अनियमितताएं हुई हैं, तो जो अधिकारी इन अनियमितताओं के दोषी हैं, क्या उनके विरुद्ध प्रशासनिक कठोरतम कार्यवाही की जायेगी ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

पूरा प्रकरण जांच के लिए भेजा गया है। जांच होकर आयेगी तो जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री परमाई लाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो यह सींचपाल लिये गये थे, मेरी निश्चित जानकारी है कि 10-10 हजार रुपया लेकर इनका नाम यहां भेज दिया गया है और फिर उसको निरस्त कर दिया गया। क्या इसकी सी0 आई0 डी0 जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

पूरे प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है ।

श्री मनोहर लाल–

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि इस प्रकरण में जो मंत्रीगण थे और विधायक थे, उन लोगों की एक लिस्ट थी, और 10-10 हजार रुपये की बात तो

अलग थी । उस लिस्ट में मंत्रियों और विधायकों में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के तहत इस परीक्षा को निरस्त करके उन लोगों को जिनसे पैसा लिया गया, परेशानी में डाल दिया । क्या माननीय मंत्री जी जिन लोगों से पैसा लिया गया था, उनको पैसा वापस दिलाने का प्रयास करेंगे ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

एसी कोई जानकारी शासन को नहीं है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता मित्तल ने दूसरे सदस्य के विरुद्ध क्या कोई शिकायती पत्र लिखा था, यदि हां तो क्या लिखा था ?

श्री भोला शंकर मौर्य–

मान्यवर, पूरे प्रकरण की जांच करा रहे हैं ।

प्रदेश में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद में किसानों को हुई कठिनाइयां

*14–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद कार्यक्रम में शासन की जानकारी के अनुसार किसानों तथा खरीद एजेंसियों की मुख्य कठिनाइयां क्या-क्या रही हैं ? आगामी वर्ष इन कठिनाइयों को उत्पन्न न होने देने के लिए अथवा कम करने हेतु शासन द्वारा क्या-क्या उपाय प्रस्तावित हैं ?

श्री मानपाल सिंह एडवोकेट–

वर्ष 85-86 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत गेहूं खरीद कार्यक्रम में सामान्य तौर पर ऐसी व्यवस्था की गयी थी कि कृषकों को कोई कठिनाई न हो फिर भी यह अनुभव किया गया है कि कहीं-कहीं पर किसानों को गेहूं के श्रेणी निर्धारण, गेहूं को बेचने तथा उसके तुरन्त भुगतान प्राप्त करने की कठिनाइयां रही हैं ।

भारत सरकार को यह संस्तुति की गयी है कि आगामी वर्ष 86-87 में गेहूं की एक ही श्रेणी रखी जाय। इसके अतिरिक्त खरीद के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले आदेशों में यह व्यवस्था रहती है कि कृषकों को किसी भी किस्म की कठिनाई न हो ।

वर्ष 85-86 में क्रय संस्थाओं को मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम को गेहूं की डिलीवरी देने उसका एक्नालेजमेन्ट तथा भुगतान प्राप्त करने एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा उनके द्वारा प्रेषित गेहूं को अस्वीकृत/डाउनग्रेड कर देने की कठिनाई रही है ।

इस विषय में भारतीय खाद्य निगम को अधिक डिलीवरी प्वाइंट खोलने, ठेकेदारों/श्रमिकों की अच्छी व्यवस्था करने, एक्नालेजमेन्ट तथा भुगतान करने में विलम्ब न किये जाने एवं बिना संयुक्त विश्लेषण कराये गेहूं को अस्वीकृत/डाउनग्रेड न करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, गेहूं की खरीद की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों की अलग-अलग जिम्मेदारी है और मेरे प्रश्न के उत्तर देते समय माननीय मंत्री जी ने सारी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार और एफ0 सी0 आई0 के ऊपर डाल दी है और राज्य सरकार पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस बात को देखते हुए जैसा उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि किसान जब अपना गेहूं बेचने के लिए जाता है तो उसे काफी परेशानी होती है जिससे भ्रष्टाचार भी फैलता है। मान्यवर मैं यह जानना चाहता हूं कि गेहूं की

खरीद व्यवस्था में गन्ने की खरीद की तरह कैलेन्डर व्यवस्था लागू करने की व्यवस्था करेंगे ? दूसरा, भुगतान के संबंध में क्या माननीय मंत्री जी ऐसे निर्देश देने की कृपा करेंगे कि गेहूं का भुगतान खरीद के पश्चात् बैंकों से उसी क्रम में हो जिस क्रम में उनका गेहूं खरीदा गया है? क्या माननीय मंत्री जी यह दो चीजें सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अगर आप मूल उत्तर देखें तो जो चिन्ता आपने व्यक्त की है उसके संबंध में उन्होंने आश्वासन दिया है। आपने कलेन्डर के बारे में बैंकों से भुगतान के बारे में जो सुझाव दिये हैं, उनके बारे में प्रयास किया जा रहा है। इन कठिनाइयों के बारे में और इसके अलावा आगे भी जो कठिनाइयां आयेंगी, वे न हों उनका समाधान हो जाए, इसके बारे में प्रयास किया जा रहा है।

श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सूचना के आधार पर विगत वर्ष गेहूं की खरीद में किसानों के स्थान पर बिचौलियों से बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं की खरीद की गई और उसका आधार वह शासनादेश था जिसमें विलेज व्यापारियों को बिचौलिया नहीं माना गया है। क्या माननीय मंत्री जी उस शासनादेश में परिवर्तन करके स्पष्ट करने की कृपा करेंगे और केवल किसानों से ही गेहूं की खरीद की जायेगी? और किसानों के अलावा जो भी व्यक्ति गेहूं बेचेगा उसको बिचौलिया माना जायेगा?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह आदेश है और पुनः यह आदेश दे दिये जायेंगे कि केवल किसानों से ही गेहूं की खरीद की जायेगी और बिचौलियों से न खरीदा जाये।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, यह अरबों रुपये के गेहूं की खरीद का मामला है और माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में कहा कि यह कठिनाई नहीं होगी। यह तो सरकार हमेशा कहती है कि आने वाले समय में कठिनाई नहीं होगी। मैंने यह निवेदन किया था कि गेहूं की खरीद में यह सुनिश्चित किया जाय कि गेहूं का भुगतान जो है वह ठीक से नहीं हो रहा है और इससे भ्रष्टाचार होता है। इसी क्रम में जो शासनादेश है उसको सुनिश्चित करने के लिये क्या सरकार के पास कोई ठोस योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक भुगतान का प्रश्न है उसमें जो कठिनाई आयी जिसका उल्लेख उन्होंने पिछले सत्र में भी एक प्रश्न द्वारा किया था, इसकी उन्हें जानकारी होगी। मान्यवर, कठिनाई जो आती है वह यह है कि सारा का सारा गेहूं केन्द्र सरकार के पूल में जाता है और वहां से भुगतान होता रहता है। उसमें कभी-कभी कठिनाई आती है। इसी बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि भुगतान में विलम्ब न हो, समय के भीतर पैसा बैंकों में चला जायेगा तो उस कठिनाई का स्वतः ही निस्तारण हो जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद आभा–

मान्यवर, पिछले वर्ष का अनुभव यह बताता है कि प्रदेश सरकार का इन एजेन्सी पर कोई कंट्रोल नहीं था। उदाहरण के तौर पर एफ0 सी0 आई0 जो है उसने हमारे यहां बोरों में बालू भरकर सप्लाई किया था और उसका भुगतान भी किया गया था। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन

दंगे कि गेहूं की खरीद का काम केवल वे ही एजेन्सी करेंगी जिन पर प्रदेश सरकार का नियंत्रण हो ?

श्री हुकुम सिंह–

एक एजेन्सी का नाम आपने लिया और माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है उसको सुनिश्चित किया जा रहा है । जो ग्रेडिंग का मामला है उसमें ग्रेडिंग नहीं होगी । यह नहीं होगा कि एक 155 का है और दूसरा 157 का है । इसी आधार पर शिकायतें आती हैं और भ्रष्टाचार होता है । एफ0 सी0 आई0 के यहां जब हम भेजते हैं तो वहां पर भी शिकायतें आती हैं । उसका परीक्षण होगा । जो सामान वह ले जायेंगे, उसके कोटे का, उसका संयुक्त रूप से निरीक्षण होगा । उसमें उनके अधिकारी भी होंगे और हमारे भी होंगे । केवल उन्हीं पर नहीं छोड़ा जायेगा।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं दो प्रश्न करूंगा। एक प्रश्न तो माननीय हरीश जी ने प्रश्न के संदर्भ में पूछा जिसका मंत्री जी ने उत्तर दिया, जो स्पष्ट नहीं हुआ । उसका प्रश्न था कि जो शासनादेश है उसमें बिचौलिये की परिभाषा बदलेंगे या नहीं ? बिचौलिये की जो परिभाषा दी गई है उसको आप बदलेंगे ताकि बनिये जो गांव के हैं वे गल्ला न बेच सकें और केवल किसानों से ही गल्ला खरीदा जा सके ? दूसरा प्रश्न मेरे अपने क्षेत्र के संबंध में है । वहां गत वर्ष जो गेहूं की खरीद की गयी उसमें साधन सहकारी समिति, सांथा जनपद बस्ती द्वारा किसानों का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच कराकर उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे?

हरदोई, कुंवरपुर ड्रेन का सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण

*15–श्री अशोक बाजपेयी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुंवरपुर ड्रेन, ब्लाक बावन, जनपद हरदोई का निर्माण कार्य एन0आर0 ई0 पी0 योजना के अंतर्गत नहर विभाग द्वारा कराया गया था ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि 500 मी0 ड्रेन बिना बनाए ही पूर्ण भुगतान करा दिया गया था ? क्या इसकी जांच करायेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

विकास खंड बावन, जनपद हरदोई में कुंवरपुर ड्रेन का निर्माण कार्य 1971-72 में एन0 आर0 ई0 पी0 योजना के अन्तर्गत नहीं बल्कि सिंचाई विभाग द्वारा विभागीय बजट से कराया गया था।

500 मीटर ड्रेन बिना बनाये ही पूर्ण भुगतान किये जाने का कोई प्रकरण नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

*16–डा0 दिनेश जौहरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

गोण्डा जिले के विकास खण्ड करनैलगंज व परसपुर के अन्तर्गत लगाये गये नलकूप

*17–श्री उमेश्वर प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा जनपद करनैलगंज व परसपुर विकास खण्डों के किन-किन गांवों में राजकीय नलकूप हैं तथा पिछले तीन वर्षों में इन नलकूपों द्वारा गांववार कितनी सिंचाई हुई और उससे कितनी आय हुई? क्या सरकार को जानकारी है कि यह सारे नलकूप बन्द हैं और तीन वर्षों से कोई सिंचाई नहीं हो रही है ?

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री वीर बहादुर सिंह–

गोण्डा जनपद के करनैलगंज खण्डों में क्रमशः 5+16=21 राजकीय नलकूप हैं।

दोनों विकास खण्डों के 21 राजकीय नलकूप की स्थिति तथा उनके द्वारा वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक ग्रामवार सिंचाई एवं राजस्व के आंकड़े संलग्न हैं। †नलकूप संख्या 70 टीजी, 50 टीजी, 60 टीजी, एवं 78 टीजी का उर्जीकरण क्रमशः 2/85, 3/85, 2/85 एवं 10/85 में होने के कारण इनसे वर्ष 84-85 तक सिंचाई नहीं हुई।

अतः सारे नलकूप बन्द होने का प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर, कालाआम स्थित देशी शराब की कथित अवैध दुकान

*18–श्री किरनपाल सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काला आम, बुलन्दशहर का देशी शराब का ठेका स्टेट बैंक वाली गली के सामने नगरपालिका की भूमि (राजे बाबू पार्क) पर प्रशासनिक अधिकारियों की मिली भगत से अनधिकृत रूप से अप्रैल, 85 से चलाया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार अनियमित कार्य करने वालों को दण्डित करके अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

कालाआम, बुलन्दशहर की देशी शराब की दुकान स्टेट बैंक वाली गली के सामने राजे बाबू पार्क के पास नगरपालिका द्वारा पट्टे पर दिये गये प्लाट को किराये पर लेकर वर्तमान अनुज्ञापियों द्वारा अस्थायी ढांचे में अप्रैल, 85 से चलायी जा रही है। अनधिकृत रूप से कब्जे की बात सही नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सकरसी माइनर, शम्भूगंज–शिवगढ़ मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

*19–श्री शिवनारायण मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सकरसी माइनर, जो शम्भूगंज, शिवगढ़ मार्ग को क्रास कर घरिया मऊ की तरफ गयी है सकरसी के समीप मुख्य मार्ग को विगत 3 वर्ष से खोद कर छोड़ दिया गया है जिससे आवागमन का रास्ता बन्द है और आज तक पुल का निर्माण नहीं कराया गया? पुल का निर्माण न कराने का कारण क्या है? क्या दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जनहित में आवश्यक कार्यवाही करके पुल का निर्माण यथाशीघ्र करायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं।

सकरसी माइनर पर सकरसी ग्राम के समीप आवागमन हेतु पक्का डाइवरसन बना हुआ है, जिससे आवागमन चालू है।

धनाभाव के कारण पुल का निर्माण नहीं कराया जा सका था। अब इसे जून, 1986 तक निर्मित किया जाना प्रस्तावित है।

आजमगढ़, शारदा सहायक खण्ड 32 के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

*20–श्री भीखा राम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं श्री राम बदन एडवोकेट, विधायक के हस्ताक्षर से शारदा सहायक खण्ड नं0 32 आजमगढ़ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के संबंध में

†छापा नहीं गया।

माह जून, 85 में शिकायती-पत्र मा0 मुख्य मंत्री को दिया था, जिसकी जांच सचिव ग्राम विकास ने करवाई थी और जांच के बाद दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए सिंचाई सचिव को लिखा गया है? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां । प्रश्नगत शिकायती पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच शासन के ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से कराये जाने के बाद प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग ने भी तत्सम्बन्धी कार्य स्थल की जांच करायी । इन दोनों जांच रिपोर्टों में विरोधाभास है । अत: विशेष सचिव, सिंचाई विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन इस प्रयोजन से किया गया है कि वह इस प्रकरण की जांच करके इस मास के अन्दर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करें ।

अतारांकित प्रश्न

कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, बरेली द्वारा डब्लू0 सी0 ए0 केस में दिया गया निर्णय

1–श्री राम गोविन्द चौधरी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, बरेली द्वारा डब्लू0 सी0 ए0 केस नम्बर 1 आफ 1983 में दिए गये निर्णय दि0 3-8-84 के अनुसार मृतक श्रमिक की विधवा माता को मुआवजे का भुगतान अभी तक नहीं किया? यदि नहीं, तो मुआवजे की धनराशि को नियमानुसार तीन माह की अवधि में जिलाधिकारी कार्यालय में जमा न किए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रु0 15,000/- मुआवजे का भुगतान स्टेट बैंक आफ इंडिया, बरेली के चेक संख्या-0762801 दिनांक 19-8-85 द्वारा किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रामपुर कैनाल खण्ड, पीलाखार नहर सिस्टम, दंवरी माइनर से संबंधित पत्र

2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने रामपुर कैनाल खंड के अधिशासी अभियंता को दिनांक 3-6-84 को अपने पत्र संख्या सिंचाई 24/84 दिनांक 7-10-84 पत्र सं0 सिंचाई/34/84 दिनांक 26-4-85 तथा पत्र संख्या सिंचाई 48/85 द्वारा पीलाखार नहर सिस्टम दियूरी माइनर पर कुछ कार्यों को कराने के संबंध में लिखा था तथा इस हेतु बरेली जिला योजना समिति से प्रश्नकर्ता के आग्रह पर धन भी उपलब्ध कराया गया था? यदि हां, तो मंत्री जी संबंधित अधिशासी अभियंता को कार्य पूरा न कराने तथा प्रश्नकर्ता के किसी भी पत्र का उत्तर न देने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? क्या मंत्री जी उपलब्ध कराई गयी धनराशि तथा उसके व्यय का विवरण भी देने का कष्ट करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

केवल पत्र दिनांक 7-10-84 जो पीलाखार नहर सिस्टम दंवरी माइनर पर कुछ कार्यों को कराने के संबंध में था प्राप्त हुआ था । दंवरी माइनर पर 7 कार्यों को कराने के संबंध में बरेली जिला योजना समिति से एक लाख रुपये की धनराशि खंड को प्राप्त हुई थी उक्त धनराशि में से दंवरी माइनर के 5 निम्नलिखित कार्यों को पूरा करा दिया गया है :–

कार्य का नाम	धनराशि
1–दवेरी माइनर के कि0 मी0 2-6 से कि0 मी0 6-8 तक	32,975-00
2, सर्विस रोड का निर्माण 2–दवेरी माइनर के कि0 मी0 2-6 से टेल तक नहर सफाई एवं पटरियों की मरम्मत का कार्य ।	17,144-50
3–दवेरी माइनर के कि0मी0 6-6 पर ग्रामीण सेतु का निर्माण ।	9,178-00
4–दवेरी माइनर के कि0मी0 7–5 पर ग्रामीण सेतु का निर्माण ।	16,272-00
5–दवेरी माइनर के कि0 मी0 7–75 पर साइफन का निर्माण	23,621-00
योग	99,190-00

उक्त कार्यों को कराने के संबंध में अधिशासी अभियंता ने प्रश्नकर्ता को अपने पत्रांक-सी-310 पी-1 (जी)/रानख/दिनांक 17-8-85 से अवगत करा दिया है ।

मेरठ, विधान सभा क्षेत्र, खेकड़ा के अंतर्गत बेकार नलकूप

3–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ के खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र में 15-7-85 को कितने राजकीय नलकूप बेकार हालत में पड़े हुए हैं और उन्हें कब तक ठीक करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जनपद मेरठ के खेकड़ा विधान सभा क्षेत्र में 106 राजकीय नलकूप हैं, जिसमें से 18 नलकूप बेकार हालत में हैं इनमें से 17 कूप परित्याग हेतु प्रस्तावित तथा 1 कूप का पुनः निर्माण का प्रकरण विचाराधीन है ।

जौनपुर, सोनारो लिफ्ट कैनाल, लेदुका माइनर की सफाई

4–श्री गंगबहादुर–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर में सोनारो लिफ्ट कैनाल 2 लेदुका, दवेरिया, भगतपुर, वीरमानपुर बदलापुर खुर्द में 5 किलोमीटर 20 वर्ष पूर्व निर्मित कराई गयी थी, जिसमें कभी भी पानी नहीं दिया गया और उसकी सफाई प्रति वर्ष दिखाकर पैसा लिया जाता है? क्या सरकार इस नहर में पानी की व्यवस्था शीघ्र करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जौनपुर जनपद में स्थित सोनारो लिफ्ट कैनाल द्वितीय की लेदुका माइनर के कमाण्ड में ग्राम लेदुका, दवेरिया, भगतपुर, वीर भानपुर एवं बदलापुर खुर्द पड़ते हैं । गत वर्षों में इस नहर की टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया है, जिस कारण केवल लेदुका ग्राम में ही सिंचाई हो पाई है। पिछले साल भी माइनर हेड रोचेज में सफाई कराई गयी है परन्तु इससे टेल तक पानी नहीं पहुंचा।

इस वर्ष इस पर आवश्यक मरम्मत एवं सफाई कराकर टेल तक पानी पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ।

हरदोई, सिंचाई विभाग, श्री विश्वेश्वर दयाल मिश्र, लिपिक की भूमि संबंधी मुकदमा

5–श्री शारदा प्रताप–

उ0प्र0 विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दिनांक 17-7-85 के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के अनुपूरक प्रश्नोत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि प्रश्नगत श्री मिश्र ने अपनी पत्नी के

नाम से सोलह हजार रुपए की जो जमीन खरीदी है उसके मुकदमें का निर्णय जून, 85 में हो हो चुका है और अब जमीन संबंधी कोई मामला न्यायालय में नहीं चल रहा है ? यदि हां, तो इस संबंध में इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जहां तक विभाग को जानकारी है, श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, लिपिक की पत्नी ने नवम्बर, 1983 में एक भूखंड खरीदा था, और विरोधी पार्टी द्वारा चलाये गये मुकदमों में तहसील स्तर से वह हार गयी थी । यह मुकदमा परगनाधिकारी हरदोई के न्यायालय में चल रहा था । इस पर क्या निर्णय हुआ विभाग को इसकी जानकारी नहीं है ।

यह उनका निजी मामला है अतएव विभाग द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग, प्रमुख अभियंता कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा लिया गया हाउस बिल्डिंग एडवान्स

6–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियंता कार्यालय सि0 वि0 में वर्तमान समय में तृतीय श्रेणी के ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्होंने सरकार से हाउस बिल्डिंग एडवान्स प्राप्त करके लखनऊ में निजी आवास निर्मित करा लिए हैं एवं निजी आवासों को किराए पर उठाकर राजकीय आवासों में रह रहे हैं? क्या सरकार ऐसे सभी कर्मचारियों से राजकीय आवास रिक्त करवाने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

मिर्जापुर, कनहर सिंचाई परियोजना के चालकों के स्थानान्तरण संबंधी पत्र

7–श्री विजय सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में कनहर सिंचाई परियोजना के चालकों के स्थानान्तरण के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-7-83 को श्री नरेश चन्द्र जैन, मुख्य अभियंता स0 एवं सा0प्रा0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राज्य विद्युत परिषद् के लेबर सप्लाई एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

8–श्री मित्रसेन–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि राज्य विद्युत परिषद् के लेबर सप्लाई और दैनिक वेतन पर कितने मजदूर 240 दिन से अधिक दिनों से थर्मल पावर टाण्डा ओबरा, अनपरा, हरदुआगंज आदि प्रतिष्ठानों पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें स्थायी न किए जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

टांडा तापीय परियोजना में लेबर सप्लाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या शून्य है । दैनिक वेतन पर (मस्टर रोल में) 99 कर्मचारी 240 दिन से अधिक दिनों से कार्यरत हैं। परियोजना के चालू होने पर उनकी योग्यता एवं पात्रता के आधार पर उन्हें नियमित किये जाने पर विचार हो सकता है ।

ओबरा परियोजना में 1087 कर्मचारी लेबर सप्लाई में कार्यरत हैं। दैनिक वेतन पर कार्य करने वालों की सं0 शून्य है। लेबर सप्लाई पर कार्य करने वाले कर्म-

चारियों में से 555 को नियमित करने के आदेश जारी हो गये हैं । शेष कर्मचारियों के संबंध में पद रिक्त होने पर उन्हें नियमित करने के संबंध में विचार किया जायेगा ।

अनपारा तापीय परियोजना में 161 कर्मचारी लेबर सप्लाई में कार्यरत हैं । इनको नियमित करने के आदेश जारी हो गये हैं । इस परियोजना में दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या शून्य है ।

हरदुआगंज तापीय परियोजना में लेबर सप्लाई में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या शून्य है । दैनिक वेतन पर 204 कर्मचारी 240 से अधिक दिनों से कार्यरत हैं । नियमित संवर्ग में स्वीकृत पदों के रिक्त न होने के कारण उक्त कर्मचारी नियमित नहीं किये जा सके हैं ।

सिंचाई विभाग, देवरिया, गंडक समादेश द्वारा सेतु का कथित निर्माण

9—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978 से 80 के दौरान सिंचाई विभाग (गंडक समादेश) ने देवरिया जिले में किन-किन स्थानों पर सेतुओं के निर्माण के लिए कितनी धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग (उत्तर प्रदेश सेतु निगम) को प्रदान की थी ऐसा करने का कारण क्या था ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

देवरिया जिले में सेतु निर्माण हेतु वर्ष 1978 से 1980 के मध्य कोई धनराशि सार्वजनिक निर्माण विभाग (सेतु निगम) को गण्डक समादेश द्वारा नहीं दी गयी थी ।

10—श्री औसान सिंह—

[1ले गुरूवार में ता0 प्र0 सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बलिया, चैनपुर गुलौरा पम्प नहर की बंदी और ट्रान्सफारमर को हटाये जाने की मांग

11—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के सीयर ब्लाक में घाघरा नदी से निकली चैनपुर गुलौरा पम्प नहर कितने दिनों से बन्द पड़ी है ? क्या यह सही है कि सक्षम ट्रांसफार्मर को अन्यत्र किसी सेठ के कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बलिया जनपद की चैनपुर गुलौरा पम्प नहर दिनांक 14-4-85 से 11-6-85 तक और फिर 1-7-85 से 31-8-85 तक बन्द रही ।

इस पम्प नहर पर 90-90 अश्वशक्ति के दो पम्प कुल 180 अश्व शक्ति का का लोड है। नहर पर विद्युत आपूर्ति 1000 के0 वी0 ए0 के ट्रान्सफारमर द्वारा की जा रही थी। दिनांक 24-1-85 को बलिया शहर का 400 के0 वी0 ए0 का ट्रान्सफारमर जल जाने से शहर का अधिकांश भाग अंधेरा ग्रस्त हो गया था अतः शहर में विद्युत आपूर्ति को ठीक करने हेतु कोल्ड स्टोरेज बांसडीह में लगे 630 के0 वी0 ए0 का ट्रान्सफारमर कोल्डस्टोरेज के मालिक से मांगकर उक्त ट्रान्सफारमर के स्थान पर लगाया गया। कोल्ड स्टोरेज द्वारा अपना ट्रान्सफारमर मांगे जाने पर चैनपुर गुलौरा पम्प नहर पर लगा 1000 के0 वी0 ए0 का ट्रान्सफारमर जो आवश्यक क्षमता से कई गुना अधिक था, उन्हें दि0 12-2-85 को दे दिया गया और नहर पर 100 के0वी0ए0 का ट्रान्सफारमर लगा दिया गया । इससे नहर का केवल एक पम्प दिनांक 14-4-85 तक चला और ट्रान्सफारमर जल गया। दिनांक 11-6-85 को पुनः 100 के0वी0ए0

का ट्रान्सफारमर लगाया गया जिससे भी केवल एक पम्प दिनांक 1-7-85 तक चला और जल गया।

12—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या सिंचाई मंत्री जी यह बतायेंगे कि बलिया स्थित अधिशासी अभियन्ता (नलकूप) के बार-बार लिखने तथा जिला 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के निर्णय और निर्देश के बाद भी नहर से हटाए गये ट्रांसफार्मर को सेठ कोल्ड स्टोरेज से वापस कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उक्त नहर पर दिनांक 1-9-85 को एक 250 के0वी0ए0 का ट्रान्सफारमर लगा दिया गया है जो उपयुक्त क्षमता का है दिनांक 1-9-85 को दोनों पम्प चलाकर नहर पूर्ण क्षमता से चालू करा दी गई है। अतः मूल ट्रान्सफारमर वापस कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग, सिंचाई मजदूर संघ की मांगें

13—श्री किशन लाल दिलेर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश ने विभाग के कर्मचारियों की मांगों का मांग-पत्र दिनांक 8-6-85 को दिया है? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मांगे हैं और उन पर क्या निर्णय लिए जाने का विचार है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां कथित पत्र के संलग्नों में उल्लिखित मुख्य मांगों तथा उनके संबंध में कृत कार्यवाही का विवरण संलग्न है। (देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 110 पर)

14—श्री मित्रसेन—

[प्रदेशीय सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

शारदा कैनाल कार्यालय, हरदोई के कैशियर श्री विशेश्वर दयाल मिश्र की भूमि सम्बन्धी मुकदमा एवं जांच की कार्यवाही एवं उनकी कथित अपराधिक प्रवृत्ति

15—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 6ठे बुधवार के अता0 प्र0 सं0—40 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त उत्तर दिए जाने की तिथि तक कौन सा मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था ? उसका निर्णय कब हुआ तथा उसके परिप्रेक्ष्य में श्री मिश्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, लिपिक के विरुद्ध सरकारी कार्य से सम्बन्धित कोई मुकदमा नहीं चल रहा है । विभाग की जानकारी के अनुसार श्री मिश्र की पत्नी ने एक भूखंण्ड खरीदा था और उनके विरुद्ध चलाये इस मुकदमें में वे तहसील स्तर पर हार गई थीं । यह मुकदमा परगनाधिकारी, हरदोई के न्यायालय में चल रहा था जिसमें हुये निर्णय की जानकारी विभाग को नहीं है । यह श्री मिश्रा का निजी मामला है अतः इस संबंध में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

16—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0—5 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच की कार्यवाही पूर्ण हो गयी है तथा श्री मिश्र के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

जी हां। जांच पूरी हो चुकी है। श्री मिश्रा के विरुद्ध केवल यह आरोप सिद्ध पाया गया कि उन्होंने अपनी पत्नी के नाम नवम्बर, 1983 में रु0 16000 रुपये मूल्य का एक भूखण्ड बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के क्रय किया था। इसकी सूचना उन्होंने क्रय करने के उपरान्त भी किसी अधिकारी को नहीं दी थी। इस अनियमितता के लिए श्री मिश्रा को चेतावनी दी जा चुकी है।

17–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 1ले बुधवार के अता0 प्र0 सं0-22 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मिश्र के अपराधिक कृत्यों के विरुद्ध विभाग ने क्या कार्यवाही की ? क्या मंत्री जी जांच कराकर इस कार्यवाही में विलम्ब करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, लिपिक के विरुद्ध विभागीय काम काज तथा उनके व्यवहार के संबंध में किसी अपराधिक कृत्य का मामला प्रकाश में नहीं आया। अतः इस संबंध में श्री मिश्र के विरुद्ध किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

शारदा कैनाल, हरदोई के लिपिक श्री विशेश्वर दयाल मिश्र का स्थानान्तरण

18–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे बुधवार के अता0 प्र0 सं0–41 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत श्री मिश्र द्वारा अभी तक उन्नाव में कार्यभार ग्रहण न करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी इस अनुशासनहीनता के विरुद्ध इनको निलम्बित करने अथवा सर्किल के बाहर स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

श्री विशेश्वर दयाल मिश्र, वरिष्ठ लिपिक, जिनका स्थानान्तरण हरदोई खण्ड शारदा नहर, हरदोई से उन्नाव खण्ड, शारदा नहर, उन्नाव, को किया गया था, ने दिनांक 1-1-1986 को अपरान्ह में उन्नाव खण्ड, शारदा नहर उन्नाव में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। अतः इनके विरुद्ध कार्यभार ग्रहण न करने हेतु अब कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

19–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

शारदा नहर, सीतापुर के कर्मचारी संघ की मांगे एवं धरना

20–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई संघ उ0 प्र0 की उत्तर प्रदेश शाखा शारदा नहर, सीतापुर के मंत्री श्री मदन मुरारी श्रीवास्तव द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग को अपनी मांगों को लेकर धरना दिए जाने की सूचना प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश को सितम्बर, 85 के प्रथम सप्ताह में मिली, जिसके अनुसार इन कर्मचारियों द्वारा सीतापुर सिंचाई कार्यालय प्रांगण में 11-9-85 को धरना दिया गया ? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं तथा सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

जी, हां।

संघ की मांगों की सूची संलग्न है। संघ के पदाधिकारियों के साथ उनकी मांगों पर दिनांक 12-9-85 को वार्ता की गई जिसके पश्चात् धरना समाप्त हो गया।

छापी नहीं गई।

रायबरेली, भूगताल की ड्रेन एवं अन्य ड्रेनों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि (श्री शेर सिंह) मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग को सम्बोधित श्री तेजमान सिंह, भू0 पू0 विधायक ग्राम व पो0 अचलपुर सुल्तानपुर का दिनांक 9-6-83 का रजि0 पत्र के साथ रायबरेली के ग्राम भूगताल सिकन्दरामऊ के प्रधानों के प्रार्थना-पत्र जिसमे रायबरेली के भूगताल के ड्रेन तथा अन्य ड्रेनों के फर्जी कार्य दिखाकर पेमेन्ट की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक कोई जांच की गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे तथा उस जांच रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बीर बहादुर सिंह—

जी हां । कृत कार्यवाही की सूचना एकत्र की जा रही है ।

नलकूप निर्माण खण्ड, सीतापुर के कर्मचारी श्री बद्री प्रसाद राठौर एवं श्री शिव दर्शन लाल शर्मा के विरुद्ध चलाया गया मुकदमा

22—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, सीतापुर के वाद संख्या 46/85 सरकार बनाम शिव दर्शन तथा बद्री प्रसाद राठौर, थाना कोतवाली सीतापुर धारा 147 व 332 भारतीय दण्ड विधान के निर्णय दिनांक 4-4-85 के सन्दर्भ में जिन दो (शिव दर्शन व बद्री प्रसाद राठौर) प्रारूप का 'ख' वरिष्ठ लिपिक नलकूप निर्माण खण्ड, सीतापुर के विरुद्ध दोष सिद्ध पाया गया था उन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या अनुशासनिक कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कथित निर्णय से प्रभावित दो कर्मचारी सर्वश्री बद्री प्रसाद राठौर, वरिष्ठ लिपिक तथा शिवदर्शन लाल शर्मा प्रारूपकार में से श्री राठौर की सेवायें दिनांक 22-4-85 को समाप्त कर दी गयी थीं और श्री शर्मा के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही थी । इसी बीच सेशन जज सीतापुर द्वारा दोनों कर्मचारियों को दोषमुक्त करने के फलस्वरूप श्री राठौर को भी सेवा में बहाल कर दिया गया है ।

सिंचाई विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारी संघ की मांग

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कलेन्डर वर्ष 84-85 में उत्तर प्रदेश नियमित एवं वर्क चार्ज कर्मचारी एसोसिएशन सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र सिंचाई विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित करने हेतु संस्तुति पत्र माननीय विधायकों ने माननीय मुख्य मंत्री व माननीय सिंचाई मंत्री को लिखा है ? यदि हां, तो पत्र लिखने वाले मा0 विधायकों की संख्या कितनी है ? क्या इन माननीय विधायकों को लिखे गए पत्रों पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में इनके पत्रों पर कार्यवाही की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां 3 विधायकों के संस्तुति पत्र प्राप्त हुए हैं ।

रख-रखाव के कार्यों पर लगे कार्य-प्रभारित कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान में लेने हेतु पदों के सृजन के प्रस्ताव पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । पदों के सृजन के पश्चात् नियमानुसार नियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

सिंचाई विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी

24—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को कितना न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है और न्यूनतम वेतन देने हेतु 6 अगस्त, 84 के शासन के आदेशों के तहत सिंचाई विभाग के दैनिक वेतन भोगी मजदूरों को न्यूनतम वेतन देने का प्रमुख अभियन्ता सिंचाई कार्यालय से 26 नवम्बर, 1984 को कोई आदेश किया गया है, जिसमें न्यूनतम वेतन 11 रु0 50 पैसे दैनिक मजदूरी या 299 रु0 मासिक मजदूरी देने को कहा गया है ? यदि हां, तो शासन व विभाग के इन आदेशों के अनुरूप अब तक न्यूनतम वेतन विभाग के समस्त मण्डलों में दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों और क्या शासनादेश पालन न करने पर कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्रम विभाग की अधिसूचना दिनांक 6-8-1984 द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी सिंचाई विभाग के श्रमिकों को दिये जाने के आदेश प्रमुख अभि0 द्वारा समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को नवम्बर, 1984 में दे दिये गये थे । इन आदेशों का पालन किन मण्डलों में नहीं किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

शारदा नहर खण्ड, सीतापुर के तार बाबू की दक्षता रोक और कार्यकाल तथा स्थायीकरण

25—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय अधीक्षण अभियन्ता नहर सिंचाई कार्य मण्डल, सीतापुर के यहां शारदा नहर खण्ड सीतापुर में कार्यरत तार बाबुओं के कितने मामले दक्षता रोक पार करने की स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं? प्रत्येक केस कब-कब से विचाराधीन है निर्णय न लिए जाने का क्या कारण है ? निर्णय कब तक हो जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

इस समय शारदा नहर खण्ड सीतापुर में कार्यरत किसी भी तार बाबू के दक्षता रोक पार करने का प्रकरण स्वीकृति हेतु अवशेष नहीं है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

26—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर खण्ड सीतापुर में कितने तार बाबू कार्यरत हैं ? प्रत्येक की सेवा अवधि क्या-क्या है ? इनमें से कौन-कौन कनफर्म हैं ? जो कन्फर्म नहीं हैं उनके कन्फर्म न होने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्तमान समय में सीतापुर खण्ड शारदा नहर, सीतापुर में कुल 7 तार बाबू कार्यरत हैं, उनकी सेवा अवधि निम्न प्रकार है :—

क्रमांक तारबाबू का नाम	विभाग में तारबाबू के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1—श्री योगेन्द्र नाथ शर्मा	1-7-49
2—श्री हरिहर सिंह	19-12-56
3—श्री बांके लाल	27-6-70
4—श्री जसकरन लाल	31-8-62
5—श्री भगवती प्रसाद	14-7-64
6—श्री बालक राम	21-1-70
7—श्री शफत बेग	4-12-75

ये सभी कन्फर्म हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

सीतापुर, ग्राम बैसापुर मिश्रिख में नलकूप का निर्माण एवं मुआवजे का भुगतान

27—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के छठे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुआवजे के वितरण की कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उक्त प्रश्न के पुनः प्रत्युत्तर के संबंध में सूचित करना है कि नलकूप संख्या 186 मिश्रिख ग्रुप का मुआवजा भुगतान की कार्यवाही विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, खीरी के स्तर पर की जानी है। अधिशासी अभियन्ता को आदेशित किया गया है कि वह विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से स्वयं सम्पर्क कर मुआवजे का भुगतान शीघ्र कराने की व्यवस्था करें।

सीतापुर, नलकूप संख्या 131 का निर्माण एवं प्रतिकर का भुगतान

28—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पांचवें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के संबंध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि तीन वर्ष पूरे हो जाने पर भी अभी तक भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा अब तक प्रतिकर उपस्थित न करने का क्या कारण है तथा प्रतिकर कब तक उपस्थित कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

धारा 4(1) व 6(1) की विज्ञप्तियों का गजट प्रकाशन क्रमशः दिनांक 12-5-84 एवं 26-5-84 को हो गया था परन्तु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी खीरी के पद पर नियमित नियुक्ति न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान वर्तमान समय में नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए जिलाधिकारी सीतापुर से अनुरोध किया गया है।

सीतापुर, नलकूप संख्या 126 का निर्माण एवं प्रतिकर का भुगतान

29—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पांचवें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्त्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रस्ताव कब भेजा गया और भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कब तक पूर्ण होगी तथा मुआवजा का वितरण कब तक होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भूमि अर्जन प्रस्ताव अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड सीतापुर के पत्रांक 1115 दिनांक 8-8-85 द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, खीरी को प्रेषित किया गया था, जो कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी से आपत्तियों के निराकरण हेतु वापस आ गया। अतः अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड सीतापुर द्वारा दिनांक 24-1-86 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी खीरी को फिर भेजा गया है। भूमि अर्जन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही प्रतिकर का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति खीरी द्वारा किया जायेगा।

सीतापुर, ग्राम शाहजलालपुर में नलकूप का निर्माण एवं प्रतिकर का भुगतान

30—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 85 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित

प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 74, 75 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शेष प्रतिकर का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा तथा विलम्ब के लिए कौन दोषी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के दूसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 74, 75 के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी खीरी द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर उन काश्तकारों को प्रतिकर का भुगतान किया जा चुका है जो प्रतिकर लेने हेतु उपस्थित हुये थे। कुछ काश्तकार भुगतान के समय उपस्थित नहीं हुये जिसके कारण प्रतिकर की धनराशि रुपये 1034·97 कोषागार सीतापुर में उक्त अधिकारी द्वारा जमा करा दी गयी है तथा भविष्य में काश्तकारों के उपस्थित होने पर उक्त अधिकारी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

विलम्ब के लिये कोई कर्मचारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

सीतापुर, ग्राम पैतेपुर में शारदा सहायक परियोजना के ड्रेन का निर्माण एवं प्रतिकर का भुगतान

31–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या-42 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि 611417·61 रुपए का भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को कब किया गया? यह रुपया किसानों में कब बंटा? विलम्ब से बांटने का क्या कारण है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या 11·61 एकड़ भूमि का लैण्ड केस विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को कब प्रेषित किया गया ? यह प्रतिकर कब तक बंट जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी लखीमपुर खीरी को रु0 6,11,417·61 पैसे का भुगतान मार्च 1984 में किया गया।

इस रुपये का भुगतान माह अप्रैल, 1984 एवं मई, 1984 में कृषकों को किया गया।

विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता।

11·61 एकड़ भूमि का लैण्ड केस विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी को जुलाई 1985 में भेजा गया था। भूमि अधिनियम के अनुसार कार्यवाही होने पर ही प्रतिकर बंटेगा।

सीतापुर, ग्राम प्रयागपुर में नलकूप का निर्माण एवं प्रतिकर का भुगतान

32–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी खीरी के पास कब से लम्बित है? अब तक प्रतिकर क्यों नहीं बांटा गया? प्रतिकर कब तक बांट दिया जायेगा? समय पर जोतदारों को धन न मिल पाने के लिए हुई असुविधा के लिए कौन जिम्मेदार है? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय नलकूप संख्या-160, सीतापुर ग्रुप ग्राम प्रयागपुर के कम्पाउन्ड का भूमि अर्जन प्रस्ताव विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी खीरी को अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड सीतापुर के पत्रांक 2676 दिनांक 13-9-82 तथा इसकी गूल का भूमि अर्जन प्रस्ताव पत्रांक-557 दिनांक 4-4-84 द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी खीरी को प्रेषित किया गया था, जिनकी धारा 4 व 6 की विज्ञप्तियों का प्रकाशन राजकीय गजट में न होने के कारण प्रतिकर की धनराशि का वितरण नहीं हो पाया है। शासन द्वारा धारा 4 व 6 की विज्ञप्तियां क्रमशः दिनांक 18-5-83 व 20-8-85 तथा 14-2-84 व 19-11-85 को गजट प्रकाशन हेतु जारी की जा चुकी है।

विज्ञप्तियों के प्रकाशन के उपरान्त प्रतिकर का वितरण यथा शीघ्र कर दिया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

सीतापुर, ग्राम मखुआ चौबेपुर में नलकूप का निर्माण एवं प्रतिकर का भुगतान

33–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शेष प्रतिकर का भुगतान कर दिया गया है? यदि किया गया है, तो कब? यदि नहीं किया गया है, तो कब तक कर दिया जायेगा? विलम्ब के लिए दोषी कौन है तथा इसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शेष प्रतिकर के भुगतान हेतु प्रतिकर की धनराशि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड सीतापुर द्वारा दिनांक 27-3-84 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, लखीमपुर खीरी को उपलब्ध करा दी गयी थी। वर्तमान प्रभारी विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के पत्रांक 846 दिनांक 4-2-86 के अनुसार उनके पद पर किसी अधिकारी की स्थायी नियुक्ति न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः प्रतिकर के शीघ्र भुगतान किये जाने हेतु जिलाधिकारी सीतापुर से अनुरोध किया गया है।

सुल्तानपुर, पूरो फाजिल कुंडा सड़क पर पुल निर्माण

34–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 7वें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 74 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुल निर्माण की प्रगति क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पुल के निर्माण की प्रारम्भिक कार्यवाही प्रगति में है और उसके पूर्ण होने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

लखीमपुर जिले के विकास खण्ड बेहजम के नलकूपों का विद्युतीकरण

35–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नलकूप संख्या 109, 112 तथा 120 बेहजम तथा ग्रुप, नलकूप संख्या 106 बी0जी0 का विद्युतीकरण किन-किन तिथियों में पूर्ण हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

लखीमपुर जिले के विकास खण्ड बेहजम के राजकीय नलकूप संख्या-109 एवं 106 बेहजम ग्रुप का उर्जीकरण क्रमशः 21 अगस्त, 1985 एवं 29 नवम्बर, 1985 में तथा राजकीय नलकूप संख्या 112 एवं 120 बेहजम ग्रुप का उर्जीकरण क्रमशः 31 दिसम्बर, 1985 तथा 22 दिसम्बर, 1985 को हो चुका है।

द्वादशम मण्डल, सिंचाई, लखनऊ के कनिष्ठ लिपिकों का समयमान वेतनमान

36–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 106 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो सूचना एकत्रित कर ली गयी है, वह क्या है? उसका परीक्षण पूरा हो चुका है या नहीं? यदि परीक्षण पूरा हो चुका है तो उसके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है और यदि परीक्षण पूरा नहीं हुआ है तो परीक्षण का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शासनादेश संख्या 210/दस-83-सं0व्य0 (स)/82 दिनांक 4-2-85 द्वारा स्वीकृत समयमान वेतनमान का लाभ द्वादशम मंडल सिंचाई, लखनऊ के 9 कनिष्ठ लिपिकों को, जो शासनादेश में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करते हैं, अधीक्षण अभियन्ता के निम्न आदेशों द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है:–

1–आदेश संख्या 8434 दिनांक 11-9-84 (5 कनिष्ठ लिपिकों को)

2–आदेश संख्या 10960 दिनांक 5-12-85 (1 कनिष्ठ लिपिक को)

3–आदेश संख्या 11065 दिनांक 18-2-85 (2 कनिष्ठ लिपिकों को)

4–आदेश संख्या 3927 दिनांक 1-7-85 (1 कनिष्ठ लिपिक को)

सीतापुर आंख के अस्पताल के कर्मचारियों का ज्ञापन

37–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि आंख के अस्पताल सीतापुर में कर्मचारियों पर हो रहे शोषण के बारे में प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ का जो ज्ञापन 16-10-85 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत उपरिपत्र तथा ज्ञापन दिनांक 16-10-85 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है। माननीय सदस्य यदि उसकी एक प्रति उपलब्ध करा दें तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्रमिक समस्याओं से सम्बन्धित भारतीय मजदूर संघ की मांग

38–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ विभिन्न स्थानों की श्रमिक समस्याओं के सम्बन्ध में भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश का ज्ञापन दिनांक 23-7-85 को अथवा उसके आस-पास किसी दिन जिसकी स्वीकारोक्ति संयुक्त सचिव (श्री सुभाष चन्द्र बहुखंडी) ने अपने अ0शा0पत्र संख्या 5176 (एस0टी0) 36-1-785(एस0टी0) 85 दिनांक 25 सितम्बर, 85 (श्रम अनुभाग) द्वारा प्राप्त हुई, मिला? यदि हां, तो मुख्य-मुख्य किन समस्याओं का उल्लेख किया गया है तथा उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा चुकी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

विभिन्न प्रतिष्ठानों की मुख्य समस्याएं एवं उन पर की गई कार्यवाही निम्न प्रकार है:–

मेसर्स साइजिंग व कलेंडरिंग, मऊनाथ भंजन, आजमगढ़ के श्रमिकों के वेतन व महंगाई भत्ते आदि की समस्या थी। उभय पक्षों में दिनांक 20-11-85 को समझौता हो गया है जिसके फलस्वरूप समस्या का समाधान हो गया है।

मेसर्स हरकचन्द फ्लोर मिल के श्रमिकों के 13 सूत्रीय मांग-पत्र में मुख्य रूप से यूनियन के महामंत्री श्री बृज लाल यादव तथा अन्य श्रमिकों की सेवा समाप्ति का मामला उठाया गया था। वार्ता के उपरान्त श्री बृज लाल यादव तथा 26 अन्य कर्मचारियों की सेवा समाप्ति का मामला श्रम न्यायालय को संदर्भित कर दिया गया है।

मेसर्स महमूदाबाद स्थित सहकारी चीनी मिल के श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतन एवं मंहगाई भत्ता, श्रमिकों का स्थाईकरण तथा श्रमिकों को वर्ष 83-84 एवं 84-85 का बोनस 20 प्रतिशत की दर से दिये जाने सम्बन्धी मांग मुख्य रूप से उठाई गई थी। प्रतिष्ठान में वेतन एवं महंगाई भत्ते का भुगतान वेज बोर्ड के अनुसार दिया जा रहा है। श्रमिकों को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 12, 13 एवं 14 अगस्त, 85 को किये गये साक्षात्कार व चयन-प्रक्रिया के आधार पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को वरीयता देते हुए नियमित सामयिक अथवा स्थाई कर दिया गया है। दिनांक 18-7-85 से चल रही क्रमिक भूख-हड़ताल प्रतिष्ठान के प्रधान प्रबन्धक से वार्ता के उपरान्त श्रमिकों द्वारा समाप्त कर दी गई।

मेसर्स क्लार्क अवध में 4 श्रमिकों की सेवा समाप्ति को लेकर पक्षों में विवाद उत्पन्न हो गया था। चूंकि यह सेवा समाप्ति संराधन कार्यवाही के दौरान की गई थी अतः संराधन अधिकारी द्वारा धारा 6ई(2) के अन्तर्गत सेवायोजकों का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध सेवायोजकों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर दिये गये हैं।

मेसर्स मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी लखनऊ तथा मेसर्स कृष्णमूर्ति फाउण्डेशन, वाराणसी आदि चेरिटेबुल ट्रस्ट न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियोजन सूची में सम्मिलित करने की मांग से सम्बन्धित है। न्यूनतम वेतन अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार नियोजक सूची में उन्हीं नियोजकों को सम्मिलित किया जाता है जिनके 1000 या उससे अधिक श्रमिक नियोजित हों। जांच कराने पर पता चला है कि प्रदेश स्थित चेरिटेबिल ट्रस्टों में, जैसा कि उक्त है, कर्मचारियों की संख्या 1000 नहीं है।

मेसर्स चिनहट पाट्रीज में दिनांक 19 जून, 82 को एक दिन की हड़ताल के कारण श्रमिकों का 8 दिन का वेतन काट लिया गया था। यह कार्यवाही वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों के अनुसार की गई थी जिसके विरुद्ध श्रमिकों ने वेतन भुगतान अधिनियम के अन्तर्गत अपने वाद दायर कर दिये थे जो उनकी अनुपस्थित में दाखिल-दफ्तर हो गये थे। चिनहट पाट्रीज में श्रम कानूनों के खुले उल्लंघन की बात सही नहीं है।

पाट्रीज व सिरेमिक्स, आटा, दाल, चावल व तेल उद्योग के कर्मचारियों के

लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन का पुनरीक्षण 11-11-85 व 18-1-86 की अधिसूचना द्वारा कर दिया गया।

रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियंस कार्यालय द्वारा असहयोग करने का उल्लेख किया गया है। यह आरोप सही नहीं है। ट्रेड यूनियंस एक्ट के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। क्षेत्रीय श्रम कार्यालयों द्वारा श्रम विवादों को अभिनिर्णय हेतु संस्तुति न करने का आरोप लगाया गया है। यह भी आरोप सही नहीं है। प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर क्षेत्रीय श्रम कार्यालय द्वारा संस्तुति करने या न करने का निर्णय लिया जाता है।

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा अभ्यर्थियों का टाइप टेस्ट लेने की प्रक्रिया

39—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार चाहने वाले अभ्यर्थियों से टाइप टेस्ट लेने की प्रक्रिया जिसमें कि सेवायोजन कार्यालय से अधिकारियों के समक्ष निजी टाइपिंग संस्थाओं द्वारा लिया जाता था उसे बदल कर सीधे सेवायोजन कार्यालय से टेस्ट लेने का क्या कारण है? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि टाइप परीक्षा लेने की वर्तमान प्रक्रिया क्या है तथा निजी संस्थाओं से परीक्षा लिवानें की प्रक्रिया क्या थी? क्या मंत्री जी वर्तमान प्रक्रिया की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए पुनः पूर्व प्रक्रिया चालू कराने की कृपा करेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह —

शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना से टाइप परीक्षा सम्पादित करने की सुविधा सेवायोजन कार्यालयों में उपलब्ध हो गयी है। अतः प्रदेश के अधिकांश जनपदों में इन्हीं केन्द्रों में प्रश्नगत परीक्षायें सम्पादित करने की व्यवस्था कर दी गयी है।

वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार टाइप परीक्षा देने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय में अपनी एक फोटो और टाइप शीट के साथ-साथ एक लिखित घोषणा जमा करनी पड़ती है कि उनके द्वारा टंकण व्यवसाय में पंजीयन हेतु निर्धारित गति प्राप्त कर ली गयी है। टाइप शीट पर अभ्यर्थियों द्वारा अपने पंजीयन संबंधी विवरण तथा हस्ताक्षर अंकित किये जाते है। जिसके आधार पर निर्धारित तिथि तथा समय पर सेवायोजन अधिकारी के देख-रेख में टंकण परीक्षा अधिकांश जनपदों में शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्र अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वहां के अनुदेशक आशुलिपिक द्वारा सम्पादित करायी जाती है। टाइप पेपर की जांच भी उक्त संस्थान के अनुदेशकों द्वारा की जाती है और परीक्षाफल सेवायोजन कार्यालयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध करा दिये जाते हैं।

निजी संस्थाओं में टंकण परीक्षा आयोजित कराने की प्रक्रिया भी उपरोक्तानुसार थी परन्तु उसमें अभ्यर्थियों को अपनी टंकण गति सम्बन्धी व्यक्तिगत घोषणा के स्थान पर किसी संस्थान से प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था तथा परीक्षायें सेवायोजन अधिकारी और संस्थान के प्रबंधक की देख-रेख में निजी संस्थान में सम्पादित करायी जाती थी। टाइप पेपर की जांच संस्थान द्वारा की जाती थी और परीक्षाफल सेवायोजन कार्यालयों को सूचित कर दिया जाता था।

वर्तमान प्रक्रिया में कठिनाई का अनुभव नहीं किया गया अतएव पूर्व प्रक्रिया चालू करने का प्रश्न नहीं उठता।

निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की क्षेत्र नियोजकता हेतु उनकी शैक्षिक योग्यता

40—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सेवायोजन कार्यालय द्वारा निर्बल वर्ग को नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगिता में सक्षम बनाने हेतु जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसके लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित योग्यता में हाई स्कूल में अंग्रेजी विषय लेना अनिवार्य रखा गया है जिससे ग्रामीण अंचल के लोगों को विशेष लाभ नहीं मिल पाता? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवा नियोजकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट रखी गयी है तथा हाई स्कूल स्तर पर अंग्रेजी का होना भी आवश्यक है परन्तु अंग्रेजी के साथ हाई स्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी उपलब्ध न हो सकने की दशा में शिथिलता प्रदान करने की भी व्यवस्था की गई है।

अतः इससे शहरी एवं ग्रामीण दोनों अंचलों के अभ्यर्थियों को लाभ होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

41—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[3रे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दुकान कर्मचारियों के लिये सेवा नियमावली बनाये जाने की मांग

42—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार तथा दुकान कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच वर्ष 81 में हुए त्रिदलीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि दूकान कर्मचारियों के लिए भी अन्य प्रोद्योगिक मजदूरों की भांति सेवा नियमावली बनाई जायगी? यदि हां, तो नियमावली बनने तथा उसे लागू किए जाने की प्रगति क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। उक्त सम्मेलन में दुकान कर्मचारियों की सेवा शर्तों एवं आचार संहिता बनाने के संबंध में सहमति हुई थी।

उक्त सेवा शर्तों एवं आचार संहिता बनाये जाने का मामला अभी शासन के विचाराधीन है।

मेसर्स रत्ना शुगर कम्पनी, शाहगंज, जौनपुर के मजदूरों के वेतन का भुगतान

43—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के 7वें बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के संबंध में क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि वेतन, ओवर टाइम, भविष्य निधि बकाया भुगतान हेतु जिस-जिस कार्यवाही का जिक्र किया गया है उसकी प्रगति क्या है? क्या मजदूरों को भुगतान हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक भुगतान हो जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेसर्स रत्ना शुगर कम्पनी, शाहगंज, जौनपुर के श्रमिकों को वेतन के मद में रु0 1,23,572.36 का भुगतान हुआ है। तत्पश्चात् दिनांक 11-11-1985 को मिल के श्रमिकों तथा सेवायोजकों के बीच गन्ना आयुक्त की उपस्थिति में एक समझौता सम्पन्न हो गया। समझौते के अनुसार दिनांक 1-4-85 से 10-11-85 के बीच की अवधि में से तीन माह 10 दिन का वेतन श्रमिकों को एक मुश्त भुगतान

किये जाने पर श्रमिक उक्त मिल में काम करने को तैयार हो गये और कथित समझौते के अनुसार उक्त मिल इस समय चलाई जा रही है। यह उल्लेखनीय है कि यदि समस्त बकायों की वसूली के लिए मिल की अचल सम्पत्ति की कुर्की की जाती है तो चालू मिल बन्द हो जायेगी।

मेथोडिस्ट गर्ल्स नर्सरी एवं के0 जी0 क्लासेस, सिविल लाइन्स, सीतापुर की अध्यापिकाओं का न्यूनतम वेतन

44—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि सन्दर्भित संस्था में अब क्या मजदूरी दी जा रही है? उप श्रम-युक्त को दिए गये निर्देश के अनुसार क्या वेतन एवं मंहगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित किया गया है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मिशन स्वयं अनुसूचित नियोजन में नहीं आते हैं अतः न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इन पर लागू नहीं है। परन्तु मिशन द्वारा चलाये जाने वाला मेथोडिस्ट गर्ल्स नर्सरी एवं के0 जी0 क्लासेज, सिविल लाइन्स, सीतापुर स्कूल अनुसूचित नियोजन में आता है। उसका निरीक्षण श्रम निरीक्षक सीतापुर द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत दिनांक 11-7-1985 को किया गया। निरीक्षण के समय चार कर्मचारी कार्यरत पाये गये जो निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम पा रहे थे। दो सहायक अध्यापिकाओं को क्रमशः वेतन रु0 300.00 तथा रु0 225.00 मासिक, एक आया को 200.00 मासिक और एक माली को रु0 200.00 मासिक ही भुगतान हो रहा था। उक्त कर्मचारियों का राजाज्ञा दिनांक 1 दिसम्बर, 1984 के अनुसार न्यूनतम वेतन दिलाने हेतु निदेश वाद विहित प्राधिकारी न्यूनतम वेतन अधिनियम के समक्ष दायर कर दिया गया है।

मेसर्स प्लाइउड, सीतापुर के कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता एवं कर्मचारियों का वर्गीकरण

45—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 63 के उत्तर के संबंध में क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि 6-8-84 को जारी की गयी अधिसूचना इसी तिथि से प्रभावी कराने हेतु क्या प्रयास किया गया तथा मंहगाई भत्ते के अवशेष का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनाक 6-8-84 को जारी की गई अधिसूचना इसी तिथि से लागू कराने हेतु प्रतिष्ठान का निरीक्षण श्रम निरीक्षक, सीतापुर द्वारा दिनांक 20-8-84 को कराके निर्देश वाद दायर कराया गया तथा संवायोजकों को नोटिस जारी करायी गयी परन्तु संवायोजकों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई जिसमें यह निर्णय हुआ कि वेतन दरों के पुनरीक्षण का विषय औद्योगिक न्यायाधिकरण के विचाराधीन होने के कारण निर्देशवाद न चलाने योग्य है। फलतः 6-8-84 से राजाज्ञा लागू नहीं करायी जा सकी। न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 28-2-85 को एवार्ड दिया गया। एवार्ड के अनुसार दिनांक 1-10-84 से राजाज्ञा का लाभ सभी कर्मचारियों को दिया गया है। एवार्ड प्रतिपालित करा दिया गया।

46—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सन्दर्भित फैक्ट्री में कार्यरत मजदूरों का वर्गीकरण न किए जाने का क्या कारण है तथा स्थायी मजदूर वर्ष 84 में औसतन कितने थे तथा दैनिक मजदूरी पर कितने थे? जो मजदूर दैनिक मजदूरी पर स्थायी होने के लिए वांछित दिवस कार्य कर चुके हैं, उन्हें स्थायी क्यों नहीं किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

मेसर्स प्लाईवुड सीतापुर में कर्मचारियों का वर्गीकरण अतिकुशल, कुशल, अर्द्ध-कुशल-प्रथम, अर्द्धकुशल-द्वितीय एवं अकुशल श्रेणी में किया गया है। वर्ष 84 में प्रतिमाह 38 स्थाई सफाई कर्मचारी नियोजित रहे परन्तु माह मई में 45, माह जून में 49 तथा दिसम्बर में 62 कर्मचारी नियोजित थे। सभी कर्मचारी डेली रेटेड हैं, लेकिन भुगतान माह की समाप्ति पर होता है। वर्ष 84 में 3 सफाई कर्मचारी स्थाई किये गये जो निर्धारित कार्य दिवस कार्य कर चुके थे।

कथित बिग्रेडियर राम सिंह के स्मारक के निर्माण हेतु जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर द्वारा जारी की गयी सीमेन्ट

47—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 83 में जिला पूर्ति कार्यालय, कानपुर में किन्हीं कथित बिग्रेडियर राम सिंह की स्मृति में बनने वाले स्मारक के लिए 1000 बोरी सीमेंट आवंटित की गयी थी? यदि हां, तो प्रार्थना-पत्र किसने दिया था तथा माग का सत्यापन किसके द्वारा किया गया था?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

लेफ्टीनेन्ट जनरल, सीनियर एडवाइज टू दी प्रेसीडेन्ट श्री जी0 एस0 माथुर के नाम से एक पत्र दिनांक 23-1-83 जिलाधिकारी, कानपुर नगर को व्यक्तिगत रूप से श्री एस0 एन0 सिंह नामक मिलेट्री सिपाही नम्बर 269371 द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें 1000 बोरी सीमेंट की मांग ब्रिगेडियर राम सिंह की स्मृति में बनने वाले स्मारक हेतु किया गया था। इस संबंध में जांच हेतु श्री बी0 डी0 यादव, लिपिक जिला पूर्ति कार्यालय, कानपुर नगर को कथित मिलेट्री सिपाही के साथ भेजा गया। उक्त लिपिक द्वारा यह सूचित किया गया कि चांदमारी ग्राउन्ड में ही स्थित स्कूल के पास की जगह दिखाई गई, जहां पर कोई भी बिल्डिंग निर्माण हेतु सामग्री आदि उपलब्ध नहीं है। फिर भी जिला पूर्ति अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा 1000 बोरी सीमेंट का परमिट जारी किया गया। बाद में उक्त सीमेंट के उपयोग के संबंध में जांच करने पर सब फर्जी पाया गया।

सिंचाई विभाग, मेन्टेनेन्स रनिंग डिवीजनों के वर्क चार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग

48—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के मेन्टेनेन्स डिवीजनों में तीन वर्ष से अधिक समय से सेवारत कितने वर्कचार्ज कर्मचारी हैं? क्या उनको भविष्य में राज्य कर्मचारी के नाते नियमित किया जायेगा? यदि किया जायेगा तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 5414 है। इन कर्मचारियों को नियमित किये जाने का प्रश्न विचाराधीन है।

सिंचाई विभाग, ड्रेनेज खण्ड प्रथम, बस्ती, बर्डपुर, उपखण्ड के सहायक अभियंता का स्थानान्तरण

49—श्री विष्णुदेव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड प्रथम, जिला बस्ती में बर्डपुर उपखण्ड के सहायक अभियंता का स्थानान्तरण इस वर्ष हुआ था? यदि हां, तो उन्हें वहां पुनः रोक दिया गया था जबकि पिछले वर्ष सदन में श्री श्रीकृष्ण बाजपेयी के प्रश्न पर यह आश्वासन था कि सात वर्षों से अधिक सिंचाई मण्डल, गोरखपुर में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं का स्थानान्तरण इस वर्ष कर दिया जायेगा? यदि हां, तो उन्हें कार्यभार से अब तक मुक्त न किए जाने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। ड्रेनेज खण्ड प्रथम जिला-बस्ती में बर्डपुर उपखण्ड के सहायक अभियंता का स्थानान्तरण इस वर्ष हुआ था। उन्हें वह पुनः रोक दिया गया था। इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं था कि 7 वर्ष से अधिक सिंचाई मण्डल, गोरखपुर में कार्यरत सहायक अभियंताओं का स्थानान्तरण इस वर्ष कर दिया जायेगा। वैसे भी संबंधित सहायक अभियंता को सिंचाई मंडल गोरखपुर में 7 वर्ष कार्यरत रहते हुए नहीं हुए हैं।

50—श्री विष्णुदेव—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि ड्रेनेज खण्ड प्रथम जिला बस्ती के बर्डपुर उपखण्ड के वर्तमान सहायक अभियंता इसके पूर्व भी उसी उप खण्ड में कार्यरत हैं? यदि हां, तो यह नियम विरुद्ध नियुक्ति के कारण क्या हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, ड्रेनेज खण्ड, प्रथम, जिला-बस्ती के बर्डपुर उपखण्ड के संबंधित सहायक अभियंता इसके पूर्व भी उसी खण्ड में कार्यरत थे। उनकी यह तैनाती उपरोक्त अनुसार नियम विरुद्ध नहीं है।

फर्रुखाबाद, विकास खण्ड राजेपुर के लिये मिट्टी के तेल की आपूर्ति में वृद्धि की मांग

51—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 18-5-85 को प्रेषित पत्र जिसमें जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर की भौगोलिक स्थिति देखते हुए मिट्टी के तेल का कोटा बढ़ाए जाने विषयक प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां।

इस सम्बन्ध में परगनाधिकारी, सदर द्वारा प्रारम्भिक जांच करके माह दिसम्बर, 85 से विकास खण्ड राजेपुर क्षेत्र के फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं को अतिरिक्त मिट्टी तेल का आवंटन दिया गया। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड राजेपुर में ऐसे उपभोक्ताओं को, जिनके पास राशनकार्ड नहीं है, एक लीटर प्रति उपभोक्ता की दर से वितरण कराये जाने हेतु परगनाधिकारी, सदर द्वारा तीन किलोलीटर मिट्टी तेल की मासिक अतिरिक्त मात्रा की भी व्यवस्था कर दी गयी है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच अभी की जा रही है।

प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता है ।

52—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड राजेपुर में अन्य विकास खण्डों की अपेक्षा मिट्टी के तेल के कोटे के आवंटन में अत्यन्त असमानता है और कुछ साधन सहकारी समितियों एवं फुटकर विक्रेताओं को आवश्यकता से बहुत अधिक तथा कुछ को आवश्यकता से बहुत कम तेल आवंटित किया जाता है तथा कई ग्राम सभाओं में आवंटन की कोई व्यवस्था ही नहीं है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही सरकार ने की है ?

श्री हुकुम सिंह—

जी हां ।

परन्तु अब फर्रुखाबाद जनपद के विकास खण्ड राजेपुर में समितिवार/फुटकर विक्रेतावार सम्बद्ध राशन कार्डों की संख्या पर दो लीटर प्रति राशन कार्ड प्रति माह मिट्टी के तेल का मासिक कोटा माह फरवरी में संशोधित कर दिया गया है । खण्ड विकास राजेपुर में कार्यरत सभी सहकारी समितियों/फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं का मासिक कोटा उनसे सम्बद्ध राशन कार्ड की संख्या के अनुसार संशोधित किए जाने पर अब कोई असमानता नहीं रह गई है ।

प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी की विशेष मांग पर वर्तमान फुटकर मिट्टी तेल विक्रेताओं के अतिरिक्त खण्ड विकास राजेपुर के 21 स्थानों पर मिट्टी तेल के फुटकर विक्रेताओं की नियुक्ति हेतु जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

शासन द्वारा माह फरवरी, 86 में फर्रुखाबाद के मिट्टी तेल का मासिक कोटा 1040 किलोलीटर से बढ़ाकर 1360 किलोलीटर कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप उपर्युक्त असमानता अब दूर की गयी है ।

श्री गजेन्द्र मोहन झा, सहायक अभियन्ता, सिंचाई विभाग, आजमगढ़ के कार्यकाल में राजवाहों एवं अल्पिकाओं की मरम्मत

53—श्री दुर्गा प्रसाद यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गजेन्द्र मोहन झा, सहायक अभियन्ता द्वितीय सिंचाई खण्ड—2 आजमगढ़ के कार्यकाल में नहर लगभग 50—60 बार कट चुकी है ? यदि हां, तो कटिंग के नाम पर कुल कितने लाख रुपए का वर्क आर्डर किया गया है ? क्या इस कटिंग से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति भी किसानों को की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री गजेन्द्र मोहन झा, सहायक अभियन्ता द्वितीय सिंचाई खण्ड—2, आजमगढ़ के कार्यकाल में (7.6.82 से 20.1.86 तक) इनके कार्यक्षेत्र के समस्त राजवाहों तथा अल्पिकाओं पर कुल मिलाकर 21 अदद खांदी तथा कटिंग हुई है । इनकी मरम्मत हेतु कुल रु0 55,800.00 (रु0 पचपन हजार आठ सौ) मात्र के कार्यादेश निर्गत किये गये । फसल या आबादी की कोई क्षति नहीं हुई है। अतः किसानों को क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्ति कार्यालय, खाद्य एवं रसद, फैजाबाद के आशुलिपिक श्री राम चन्द्र निगम की पूर्ति निरीक्षक के पद पर पदोन्नति

54—श्री मलिक मो0 कमाल यूसुफ—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने कि कृपा करेंगे कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में दोहरी नीति अपनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो जिला पूर्ति कार्यालय, गोण्डा में कार्यरत राम चन्दर निगम की पदोन्नति आशुलिपिक के पद से वर्ष 1978-79 में पूर्ति निरीक्षक के पद पर किस नियम के अन्तर्गत की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि प्रदेश के अन्य आशुलिपिकों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है और पदोन्नति का मामला कब तक निर्णीत हो जायगा ?

श्री हुकुम सिंह—

खाद्य विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति में दोहरी नीति नहीं अपनाई जा रही है ।

श्री राम चन्द्र निगम आशुलिपिक को जिला अधिकारी, फैजाबाद द्वारा पूर्ति निरीक्षक के पद पर प्रोन्नत कर दिया गया था जो परीक्षण के उपरान्त नियमानुकूल नहीं पाया गया, अस्तु जिलाधिकारी, फैजाबाद को श्री निगम को प्रत्यावर्तित करने के निर्देश खाद्यायुक्त द्वारा भेज दिये गये है । संगत सेवा नियमों के अंतर्गत आशुलिपिकों की पूर्ति निरीक्षक के पद पर पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है, अतः आशुलिपिकों की पदोन्नति पर विभाग द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री धर्म देव लाल श्रीवास्तव, गेज-रीडर, नहर निर्माण खण्ड पंचम, देवरिया के वेतन के भुगतान की मांग

55—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता (कार्य प्रभारित अधिष्ठान प्रकोष्ठ सिंचाई विभाग) के पत्र संख्या 1737 का प्र0 अ0 प्र0/132 मिस/संशो0 से प्रा0 प्रा0 पत्र दिनांक लखनऊ 22 मई, 83 के अनुसार श्री धर्म देव लाल श्रीवास्तव गेज-रीडर, मण्डल नहर निर्माण खण्ड पंचम देवरिया के प्रति क्या कार्यवाही की गयी ? क्या संबंधित कर्मचारी को कार्य-भार ग्रहण करने के पश्चात वेतन दिया जा रहा है तथा सेवा पुस्तिका-आदेशानुसार प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय को भेज दी गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री धर्म देवलाल श्रीवास्तव की सेवायें दिनांक 31-12-82 से समाप्त कर दी गई थीं अतः प्रमुख अभियंता के कथित पत्र दि0 22-5-83 पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

संबंधित व्यक्ति ने उक्त तिथि दि0 31-12-82 के पश्चात् किसी पद पर कार्य नहीं किया अतः उन्हें वेतन दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता। प्रमुख अभियन्ता द्वारा सेवा पुस्तिका की कोई मांग नहीं की गई थी अतः उसे उनके कार्यालय को भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी, नहर कालोनी की मरम्मत पर व्यय की गयी धनराशि

56—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाराबंकी स्थित नहर कालोनी के रख-रखाव मरम्मत आदि पर वर्ष 82-83, 83-84, 84-85 में कितना धन किन-किन कार्यों पर व्यय किया गया ? क्या यह सही है कि कालोनी की स्थित अत्यन्त दयनीय बनी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नहर कालोनी, बाराबंकी के मरम्मत एवं अनुरक्षण पर गत तीन वर्षों में व्यय निम्नवत् किया गया है:—

क्रम सं0	कार्य का मद	वर्ष 1982—83	1983—84	1984—85
1	2	3	4	5
1	भवनों का सामान्य मरम्मत एवं अनुरक्षण	2,090.00	14,352.00	23,716.00
2	पानी आपूर्ति एवं सेनेटरी फिटिंग (हैण्ड पम्प बोरिंग एवं मरम्मत सहित)	4,338.00	1,609.00	10,553.00
3	विद्युतीकरण एवं विद्युत चार्जेज,	8,900.00	17,319.00	15,926.00
4	नहर कालोनी की जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण एवं मरम्मत	1,681.00	7,170.00	4,778.00
5	सेप्टिक टैंक के निर्माण एवं मरम्मत	..	5,125.00	8,979.00
6	दरवाजों की फिटिंग चौखट एवं शटर सहित	..	..	13,800.00
7	कार्य प्रभारित कर्मचारियों का वेतन	17,506.00	27,369.00	20,029.00
8	उप राजस्व अधिकारी एवं जिलेदार के कार्यालय में ए0सी0 शीट लगाना	..	..	7,143.00
9	अन्य विविध कार्य, सफाई सडक मरम्मत इत्यादि पर खर्च	5,823.00	6,477.00	5,178.00
	योग ..	40,338.00	79,421.00	110,102.00

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा कैनाल, बाराबंकी के ठेकेदारों को भुगतान की गयी धनराशि

57—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 85 में खण्ड शारदा कैनाल, बाराबंकी में किन-किन कार्यों पर कितना-कितना भुगतान किन-किन ठेकेदारों को किया गया ? क्या सभी ठेकेदार रजिस्टर्ड हैं ? क्या मंत्री जी कार्यों, ठेकेदारों को भुगतान राशि की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मार्च, 1985 में 269 ठेकेदारों को निम्न कार्यों का भुगतान किया गया:—

	रुपया
1—रख-रखाव के कार्यों पर	9,15,800-55
2—शा0 स0 परियोजना से सम्बन्धित कार्यों पर	16,41,148-90
3—बाढ़ सम्बन्धित कार्यों पर	11,83,942-80
4—एन0 आर0 ई0 पी0 के कार्यों पर	60,232-00

कार्यादेश पर कार्य करने वाले खण्ड के सभी ठेकेदारों का नियमानुसार रुपया 200/- सामान्य प्रतिभूति जमा कराकर सूचीकरण (इनलिस्ट) किया गया है। अनुबन्ध पर कार्य करने वाले ठेकेदारों को रजिस्टर्ड नहीं करना होता।

सूची संलग्न † है

नहर कालोनी, बाराबंकी के क्वाटरों का आवंटन

58—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहर कालोनी बाराबंकी में 'बी' एवं 'सी' श्रेणी के कुल कितने क्वाटर्स हैं? उनमें कौन-कौन कर्मचारी किस तिथि से रह रहे हैं ? उन्हें यह क्वाटर्स कब-कब एलाट किए गये? क्या उक्त क्वाटरों हेतु अन्य कर्मचारियों ने भी प्रार्थना-पत्र दिए थे जो अधिकृत थे? यदि हां, तो उनके प्रार्थना-पत्र कब दिए गये तथा उन पर क्या निर्णय लिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नहर कालोनी, बाराबंकी में 'बी' श्रेणी के 5 एवं 'सी' श्रेणी के 17 क्वाटर्स बने हैं।

सूची संलग्न है।

जी हां।

प्रार्थना पत्र देने की तिथियां तथा उन पर लिये गये निर्णय निम्न प्रकार हैं:—

कर्मचारी का नाम व पद नाम	प्रार्थना पत्र देने की तिथि
श्री पी0डी0 गुप्ता, अवर अभियन्ता	20-7-83, 10-10-83 एवं 24-8-85
श्री नन्दलाल गुप्ता अवर अभियन्ता	23-10-84
श्री के0के0 पाण्डेय अवर अभियन्ता	5-9-84
श्री सुरेन्द्र सिंह अवर अभियन्ता	3-4-85
श्री लल्लूराम चौधरी अवर अभियन्ता	20-8-85
श्री सुभाष चन्द्र सिंह अवर अभियन्ता	7-11-85
श्री केदारनाथ अवर अभियन्ता	21-11-85
श्री रामचन्दर लाल, जिलेदार	21-5-85
श्री देवी शरण, मुन्शी	12-6-84
श्री भगवान बख्श सिंह, अनुरेखक	3-10-85

†छापी नहीं गई।

श्री पी0 डी0 गुप्ता, नन्दलाल गुप्ता, श्री के0 के0 पाण्डेय, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री लल्लराम चौधरी, श्री सुभाष चन्द्र सिंह, श्री केदारनाथ, श्री राम चन्द्र लाल 'बी' श्रेणी आवास गृह के लिए अधिकृत थे, लेकिन बी0 टाइप के आवास खाली न होने के कारण उनको आवंटन नहीं किया गया । श्री देवी शरण, मुन्शी तथा भगवान बख्श सिंह, अनुरक्षक दोनों बाराबंकी जनपद के रहने वाले हैं और इनके घर नजदीक होने के कारण उनके नाम आवंटन नहीं किया गया ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 112 पर।)

बाराबंकी, शारदा नहर खण्ड के डाक रनर का यात्रा भत्ता एवं कूलर की खरीद तथा जीप, ट्रक आदि पर व्यय की गयी धनराशि

59—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है शारदा नहर प्रखण्ड बाराबंकी द्वारा प्रतिदिन दो बार डाक रनर बाराबंकी से लखनऊ जाता है ? यदि हां, तो उस पर शासन का कितना धन सफर खर्च आदि में व्यय होता है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

केवल एक नियमित रनर प्रतिदिन जाता है । इसका औसत यात्रा-भत्ता रुपया 408.70 प्रतिमाह है ।

60—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 84 में शारदा नहर खण्ड, बाराबंकी द्वारा 5 कूलर खरीदे गये थे । यदि हां, तो वह कूलर कहां लगे हुए हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

एक कूलर बाराबंकी निरीक्षण गृह में तथा 4 कार्यालयों में लगे हैं ।

61—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि शारदा नहर खण्ड, बाराबंकी में वर्ष 84-85 में राजकीय वाहनों (जीपों, ट्रकों आदि) की मरम्मत एवं डीजल व पेट्रोल पर वाहनवार अलग-अलग कितना धन खर्च किया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाराबंकी खण्ड शारदा नहर बाराबंकी में राजकीय वाहनों जीपों ट्रकों आदि पर वर्ष 1984-85 का खर्च निम्नवत है:—

वर्ष 1984—85

वाहन संख्या तथा नाम	मरम्मत पर व्यय	डीजल पर व्यय	पेट्रोल पर व्यय	योग
ट्रैक्टर यू0टी0एन0—4787	7025.96	..	27,083.94	34,109.90
जीप सं0 यू0पी0जे0—2048	7465.00	..	39,801.68	46,366.68
जीप सं0 यू0टी0डी0—8575	4612.00	..	31,754.12	36,366.12
जीप सं0 यू0टी0डी0—1606	5642.00	..	36,634.41	42,276.41
ट्रक सं0 यू0एस0एस0—8302	19,228.69	6370.52	..	25,599.21
ट्रैक्टर सं0 यू0टी0डी0—2531	250.00	4093.94	..	4343.94
ट्रैक्टर सं0 यू0टी0डी0—2993	5035.39	1456.00	..	6491.39
योग ..	49,259.04	11,920.46	1,34,374.15	1,95 553.65

आबकारी विभाग, उप आबकारी निरीक्षकों के नियुक्ति हेतु ली गई परीक्षा एवं उप आबकारी निरीक्षकों की पुर्ननियुक्ति संबंधी कथित प्रार्थना-पत्र

62—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे शासनादेश संख्या 39661/(111)-80(1)—72, दिनांक 2-2-72 के अनुपालन में दस उप आबकारी निरीक्षकों, की नियुक्तियां लोक सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चुनाव किए जाने के समय तक के लिए की गई थी ? यदि हां, तो लोक सेवा आयोग द्वारा चयन की व्यवस्था पूर्ण होने के पहले इन कर्मचारियों की सेवाएं क्यों समाप्त कर दी गयीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उप आबकारी निरीक्षक के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि में लाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था । अतः आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक की अवधि के लिए उप आबकारी निरीक्षक की उपलब्ध रिक्तियों में तदर्थ एवं अस्थायी नियुक्तियां करने की अनुमति शासनादेश संख्या 9661ई/तेरह-80(1)/72, दिनांक 2-2-73 द्वारा आबकारी आयुक्त को दी गयी और तदनुसार आबकारी आयुक्त द्वारा 9 उप आबकारी निरीक्षकों की तदर्थ एवं अस्थायी नियुक्तियां की गई थीं। बाद में उप आबकारी निरीक्षकों के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि में न रखने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया। अतः उप आबकारी निरीक्षक के पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें अन्य तदर्थ रूप से कार्यरत उप आबकारी निरीक्षकों के साथ-साथ उपरोक्त 9 उप आबकारी निरीक्षकों को भी बैठने का अवसर दिया गया। चूंकि तदर्थ रूप से कार्यरत 17 उप आबकारी निरीक्षक, जिनमें उक्त 9 उप आबकारी निरीक्षक भी सम्मिलित थे, परीक्षा में असफल रहे, अतः उन सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं ।

63—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या यह सही है कि उक्त घोषित परीक्षा के निरस्त होने के फलस्वरूप जिन दस उप आबकारी निरीक्षकों को सेवा मुक्त किया गया था, उनमें से कुछ को अलग-अलग समय पर उनके पद पर पुनः नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे लोगों के नाम क्या हैं और उनकी पुनः नियुक्ति की अलग-अलग तिथियां क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

नियमित नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा में चयन न हो पाने के कारण सेवामुक्त किए गए उपर्युक्त 9 तदर्थ उप आबकारी निरीक्षकों में से, 4 को उप आबकारी निरीक्षक के पद पर तदर्थ एवं अस्थाई रूप से पुनः नियुक्त किया गया ।

पुनः नियुक्त इन 4 उप आबकारी निरीक्षकों के नाम तथा पुनः नियुक्ति की तिथि इस प्रकार है:—

1—श्री गुलाब यादव ..	18-3-82
2—श्री प्रमोद रावन ..	3-6-81
3—श्री रमाशंकर पाण्डेय ..	3-6-81
4—श्री दीनानाथ सिंह ..	28-6-80

64—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त दस उप आबकारी निरीक्षकों में से किसी एक या अनेक ने कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-10-85 को मुख्य मंत्री के नाम प्रेषित किया है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र में किन बिन्दुओं को दर्शाया गया है तथा शासन ने उस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । सेवामुक्त किए गए उक्त 9 उप आबकारी निरीक्षकों में से किसी का भी मुख्य मंत्री जी को संबोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 1-10-84 शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी, नलकूप खण्ड, भदोही की कार्यशाला के जूनियर इंजीनियर श्री विश्वनाथ मल्ल द्वारा चार्ज न दिए जाने संबंधी लिखाई थाने में रिपोर्ट

65–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि नलकूप खण्ड भदोही, जनपद वाराणसी की कार्यशाला में तैनात जूनियर इंजीनियर श्री विश्वनाथ मल्ल का दिनांक 13-9-80 को उनकी अनुपस्थिति में कार्यशाला का चार्ज किसी दूसरे जूनियर इंजीनियर को दे दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि उस कार्यशाला का तीन लाख उन्तालिस हजार नौ सौ रुपए (115 विद्युत मोटर, 113 विद्युत स्टार्टर, 72 सबसिट, 44 बाउल असेम्बायी) का सामान चार्ज लेने में कम दिखाया गया ? यदि हां, तो इस सरकारी क्षति के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री विश्वनाथ मल्ल, अवर अभियन्ता का स्थानान्तरण अगस्त, 80 में बलिया को किया गया था । उन्हें अपना चार्ज सौंपने के अवसर दिए गए किन्तु उन्होंने कार्यभार नहीं सौंपा तथा कार्यशाला के अभिलेख लेकर स्वेच्छा से गायब हो गए ।

श्री मल्ल को दिनांक 13-9-80 को कार्यमुक्त मान लिया गया और उन्हें इसकी सूचना दे दी गई । उनके उत्तराधिकारी ने अभिलेख ले जाने के संबन्ध में एफ0आई0आर0 भदोही थाने में दिनांक 23-9-80 को दर्ज कराई । उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर रु0 1,15,000/- की कमी श्री मल्ल के विरुद्ध पाई गई । श्री मल्ल को पूर्ण चार्ज देने हेतु पुनः नलकूप खंड भदोही से सम्बद्ध किया गया और उनके द्वारा चार्ज सौंपने पर रु0 49,562/- की कमी अब पाई गई । श्री मल्ल दिनांक 1-8-85 से सेवा निवृत्त हो चुके हैं । अतः उनके अवशेष देयकों से क्षतिपूर्ति करने की कार्यवाही विचाराधीन है ।

साधन सहकारी समितियों के सचिवों द्वारा शक्कर के वितरण सम्बन्धी कथित प्रार्थना-पत्र

66–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सुन्दर लाल वर्मा, सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी फर्रुखाबाद का प्रार्थना पत्र दिनांक 9-5-85 माननीय मंत्री को प्राप्त हुआ था जिसमें साधन सहकारी समितियों के सचिवों द्वारा शक्कर के वितरण में की गई अनियमितताओं की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो इसकी जांच कराई गई अथवा नहीं और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री हुकुम सिंह–

श्री सुन्दर लाल वर्मा, सदस्य, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी फर्रुखाबाद का पत्र दिनांक 9-5-85 प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी, शारदा सहायक पोषक नहर पर साइफनों का निर्माण

67–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी में कल्यानी एवं रेठ नदी का पानी पश्चिम से पूरब को बहता है ? क्या यह सही है कि शारदा सहायक फीडर

नहर के निर्माण के बाद बाराबंकी जनपद में पश्चिम के पानी को पूरब जाने देने के लिए 50 कि0मी0 से अधिक से फासले के मात्र तीन साइफन (दो कल्यानी नदी के तथा एक रेठ नदी का) ही हैं ? क्या यह भी सही है कि बाराबंकी जनपद की तहसील नवाबगंज व फतेहपुर में फीडर नहर के पश्चिम क्षेत्र में बाढ़ की भीषण प्रकोप का एक कारण यह भी था कि रेठ नदी व कल्यानी नदी की गहरी खुदाई नहर के दोनों ओर नहीं कराई गई तथा उपरोक्त साइफनों से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं निकल पाया ? यदि हां, तो इसको ठीक कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

जी नहीं । शारदा सहायक पोषक नहर का कि0मी0 101·00 से 143·700 तक (42·700 कि0मी0) का भाग जनपद बाराबंकी में आता है । उक्त भाग में शारदा सहायक पोषक नहर पर पूर्वी कल्यानी पश्चिमी कल्यानी एवं रेठ नदियों के तीन साइफन क्रमशः कि0मी0 112·400, 118·400 तथा 135·00 पर निर्मित हैं। इसके अतिरिक्त कि0मी0 103·270 पर कुवाडांडा ड्रेन तथा कि0 मी0 106·30 पर रीवां-सीबा ड्रेन के साइफन एवं बाढ़ के पानी को नहर में डालने के लिए कि0मी0 113·800 पर एक इनलेट भी निर्मित है ।

नदी उथली है व ढाल कम है इन दोनों नदियों को गहरा और चौड़ा करना लाभदायक नहीं है इसलिए इनकी खुदाई नहीं कराई गई । वर्षा का प्रकोप अत्यधिक हो गया जिसके कारण पानी निकलने में अधिक समय लगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

ललितपुर, जाखलौन पम्प नहर का निर्माण एवं पम्पों का चयन

68–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद में जाखलौन पम्प कैनाल का कार्य कब प्रारम्भ किया गया, कब समाप्त होना था और कब तक समाप्त होगा ? क्या मंत्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि इसमें आज तक कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ? इससे अब तक सिंचाई सुविधा प्रदान न करने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजघाट परियोजना के अन्तर्गत जाखलौन पम्प नहर का कार्य वर्ष 1976-77 से प्रारम्भ किया गया । मूल परियोजना प्राक्कलन के अनुसार उक्त कार्य 1979-80 तक पूर्ण होना था अब पुनरीक्षित परियोजना प्राक्कलन के अनुसार उक्त कार्य वर्ष 1989-90 में पूर्ण करना प्रस्तावित है ।

प्रश्नगत परियोजना के कार्यों पर माह दिसम्बर, 1985 के अन्त तक लगभग रु0 578·00 लाख व्यय किए जा चुके हैं ।

इस पम्प नहर में पानी राजघाट बांध के जलाशय से उठाया जाना है, जिसका निर्माण भारत सरकार द्वारा गठित "बेतवा नदी परिषद" द्वारा कराया जा रहा है । राजघाट बांध का निर्माण कार्य प्रगति में है एवं वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार जून, 1992 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके उपरान्त ही इस नहर से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी ।

69–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सच है कि विभाग के उच्चाधिकारी गत 8 वर्षों से इस पम्प कैनाल पर लगने

वाले पम्पों का चयन नहीं कर पाए हैं ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं । जाखलौन पम्प कैनाल पर लगने वाले पम्पों का चयन कर लिया गया है । अतः किसी अधिकारी के दोषी होने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग, आशुलिपिकों का समयबद्ध वेतनमान

70–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग उ0 प्र0 470-735 रु0 के वेतनमान में कार्यरत 250 आशुलिपिकों को शासनादेश सं0 जी–625/दस-84-सं0 व्यय (आ) 84 दिनांक 9-5-84 के अन्तर्गत 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने पर रु0 620–820 का समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

71–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[3रे बुधवार में अता0प्र0सं0 50 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित]

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

72–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में 1-1-80 से 31-12-84 तक कितने सहायक अभियन्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों की जांच शासन द्वारा छः माह के अन्दर पूर्ण कर ली गई ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत अवधि में किसी भी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के मामले की जांच छः माह के अन्दर पूर्ण नहीं हुई ।

73–श्री राम आसरे वर्मा–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त ।]

आयातित चीनी एवं लेवी चीनी के भाव में अन्तर

74–श्री जयदीप सिंह बरार–

द्वितीय सत्र 85 के 3रे गुरुवार के लिए निर्धारित ता0प्र0सं0-2 नत्थी (ख) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या खाद्य मंत्री को जानकारी है कि आयातित चीनी की लैंड कास्ट (बन्दरगाह पर पहुंचाने की कीमत) क्या है और वह किस भाव पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को उपलब्ध कराई जा रही है ? क्या सरकार अविलम्ब केन्द्र से अनुरोध करेगी कि आयातित चीनी का भाव लेवी चीनी के भाव से कदापि ऊंचा न रखे, क्योंकि इससे बाजार भाव बढ़ते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

आयातित चीनी की लैन्ड कास्ट की जानकारी राज्य सरकार को नहीं है, यह विषय भारत सरकर से सम्बंधित है। आयातित चीनी भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से रु0 520 प्रति कुन्तल की दर से प्रदेश सरकार को उपलब्ध करायी जा रही है ।

यह केन्द्र सरकार का नीति विषयक मामला है । लेवी चीनी पर केन्द्र सरकार सब्सिडी देती है जब कि आयातित चीनी पर नहीं । अतः दोनों प्रकार की चीनी के मूल्य में अन्तर रहना स्वाभाविक है ।

फलस्वरूप केन्द्र सरकार से दोनों चीनी के भाव बराबर किए जाने का अनुरोध करना औचित्यपूर्ण नहीं होगा ।

श्री अजहद हुसैन नकवी, अपर अभियन्ता रुहेल खण्ड, नहर खण्ड, बरेली की सेवा समाप्ति एवं उनके विरुद्ध पेड़ की चोरी का मुकदमा और उनकी सेवा समाप्ति संबन्धी उच्च न्यायालय में लम्बित मुकदमा

75—श्री जयदीप सिंह बरार —

द्वितीय सत्र 85 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-103 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी सम्पत्ति की चोरी के आरोपों में श्री नकवी के खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में जाने, अपने चार्ज में स्थित पेड़ों को चोरी से कटवाकर अमानत में खयानत करने तथा विभागीय उच्च अधिकारियों द्वारा श्री नकवी के खिलाफ प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण की संस्तुति के बाद भी ऐसे कर्मचारी को निलम्बित न करने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी अविलम्ब श्री नकवी को विभागीय जांच के दौरान निलम्बित करने का कष्ट करेंगे ताकि वह जांच प्रक्रिया को अपने में प्रभावित न कर सकें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अजहद हुसैन नकवी अवर अभियन्ता, सिविल द्वितीय उप खण्ड, रुहेल खण्ड, नहर खण्ड, बरेली को उनके विरुद्ध आरोपों की जांच निष्पक्ष हो सके और वे जांच को प्रभावित न कर सकें, इसलिए बरेली से शारदा सहायक खण्ड-18 लखनऊ में स्थानान्तरित कर दिया गया है । उन्हें दिनांक 31-7-85 को कार्यमुक्त भी कर दिया गया है । अतः श्री नकवी को निलम्बित करने की आवश्यकता नहीं है।

76—श्री जयदीप सिंह बरार —

द्वितीय सत्र 85 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0-103 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जूनियर इन्जीनियर श्री नकवी ने अपने कुल्ली डैम पर के कार्यकाल में सिंचाई विभाग की कुल्ली नहर कुल्ली डैम बल्ली नहर और बल्ली डैम पर स्थित सैकड़ों पेड़ कटवा लिए थे तथा अपने कुल्ली डैम से स्थानान्तरण के समय नियमों के विपरीत विभागीय पेड़ों का रजिस्टर किसी के हवाले नहीं किया जिसके कारण उनकी उक्त चोरी अभी तक छिपी हुई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी तुरन्त पेड़ों का वास्तविक सत्यापन कराने तथा नकवी की इन अनियमितताओं की जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अजहद हुसैन नकवी अवर अभियन्ता, सिविल, द्वितीय उप खण्ड, रुहेल खण्ड, नहर खण्ड, बरेली के कुल्ली अनुभाग में कार्यकाल के समय का उनके विरुद्ध एक पेड़ की चोरी का मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है । इसके अलावा उनके कुल्ली अनुभाग में 26-8-82 से 25-6-84 के कार्यकाल का 22 सरकारी पेड़ों का अवैध रूप से कटने का मामला भी जानकारी में आया है । पेड़ों का रजिस्टर चार्ज में न देने के संबन्ध में श्री नकवी तथा तत्कालीन अधिशासी अभियंता को लिखा गया है और थाना कोतवाली बरेली में भी श्री नकवी के विरुद्ध पेड़ों का रजिस्टर तथा अन्य अभिलेख न देने सम्बन्धी एफ0 आई0 आर0 दर्ज करा दिया गया है। 22 पेड़ चोरी से कटने का सत्यापन उपखण्डीय रजिस्टर के आधार पर किया गया तथा विभागीय जांच की जा रही है।

77—श्री जयदीप सिंह बरार—

द्वितीय सत्र 85 के 1ले बुधवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 103 के सन्दर्भ में क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नगत जूनियर इंजीनियर श्री नकवी को विभाग द्वारा कुछ आरोपों में नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था तथा वह उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करके ही पुनः नौकरी में कार्यरत हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी प्रश्नगत मामले में जांच के दौरान तुरन्त श्री नकवी को निलम्बित करने तथा निश्चित रूप में उनके खिलाफ सभी जांचों को पूरा करके उन्हें कठोर दण्ड देने का कष्ट करेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री अजहद हुसैन नकवी, अवर अभियंता की सेवायें विभागीय आरोपों के संबन्ध में समाप्त नहीं की गई थीं । तदर्थ रूप से नियुक्त अवर अभियंताओं को शासनादेश के अनुरूप विनियमित करते समय श्री नकवी का कार्यकलाप अपेक्षित स्तर का न होने के कारण, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-1979 (1984 में संशोधित) के नियम (8) के अन्तर्गत इनकी सेवायें समाप्त की गई थीं। यह सही है कि श्री नकवी उच्च न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त करके पुनः सेवा में कार्यरत हैं ।

श्री नकवी की सेवा से बरखास्तगी का प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अतः इसके निर्णीत होने के उपरान्त ही आगामी कार्यवाही की जायेगी।

रामपुर, सिंचाई खण्ड, बायां भाकड़ा नहर से भूस्खलन

78—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर सिंचाई खण्ड की बायां भाकड़ा नहर के रखरखाव एवं मरम्मत हेतु वर्ष 84-85 में कोई धन आवंटित नहीं की गयी जबकि इस नहर में प्रथम पांच किलोमीटर में विशेष तौर पर भूस्खलन से पानी का रास्ता तंग हो गया है जिस कारण डैम में पानी उपलब्ध होने पर भी कमाण्ड एरिया में पानी नहीं मिलता और जिससे सरकार को राजस्व की क्षति तथा कृषि की फसल को क्षति होती है? यदि हां, तो धन उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी अविलम्ब इसके रख-रखाव तथा मरम्मत हेतु धन आवंटित करायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1984-85 में बायां भाकड़ा नहर प्रणाली के कार्य पर 35,360 रुपये व्यय किया गया। नहर के प्रथम 5 किलोमीटर में नहर के किनारे भूस्खलन हो जाने के कारण उक्त-भाग आंशिक रूप से संकीर्ण हो गया था जो ठीक कराया गया । कमाण्ड एरिया में पर्याप्त जल-आपूर्ति में कोई कठिनाई नहीं हुई और न ही राजस्व व फसलों को कोई हानि पहुंची। धन उपलब्ध कराया जा चुका है, अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

सेवायोजन कार्यालय, इलाहाबाद में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या

79—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में बेरोजगारों की नवीनतम संख्या कितनी है और उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं? क्या इसमें कोई भारी उद्योग सरकार की ओर से प्रारम्भ करने की भी योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, इलाहाबाद

में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या दिनांक 31-12-85 को 1,43,196 थी।

श्रम विभाग के अधीन कार्यरत सेवा-योजन कार्यालय द्वारा विभिन्न नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों की पूर्ति हेतु अभ्यर्थियों का सम्प्रेषण किया जाता है तथा स्वतः रोजगार अपनाने हेतु भी अभ्यर्थियों को प्रेरित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग के माध्यम से बेरोजगारों को उनकी रुचि, क्षमता एवं योग्यता के अनुसार नये लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

नवीनतम सूचना के अनुसार इलाहाबाद जनपद में कोई नया उद्योग सरकार द्वारा नहीं लगाया जा रहा है वरन् वहां पर पहले से कार्यरत इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लि0 भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेशर लि0 तथा इन्डियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि0 (इफ्को) जैसे सरकारी उपक्रमों का विस्तार प्रस्तावित है।

80—श्री विष्णु देव—

[2रे गुरुवार में अता0 प्र0 सं0-145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री विजय राज सिंह, सहायक अभियन्ता, सिंचाई निर्माण कार्य मण्डल, गोरखपुर का कार्यकाल

81—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजय राज सिंह, सहायक अभियन्ता सिंचाई निर्माण कार्य मण्डल, गोरखपुर में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़, दोहरीघाट पम्प कैनाल की नत्थूपुर राजबहा की टेल पर पानी की आपूर्ति

82—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील घोसी में दोहरीघाट पम्प कैनाल की उप शाखा काठतराव टेल व लोहजरा टेल व पहाड़पुर माइनर में पिछले 6 माह से पानी नहीं जा रहा है जिससे वहां के किसानों की फसल बर्बाद हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त उप शाखाओं में पानी पहुंचाने के लिए शासन द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दोहरीघाट पम्प नहर का काठतराव टेल तथा लोहजरा टेल नाम की कोई उपशाखा नहीं है। पहाड़पुर माइनर जो नत्थूपुर राजबहा की टेल पर स्थित है, में पानी 12/85 से जा रहा है। उपशाखा से ग्रामों में पानी पहुंचाने के लिए नत्थूपुर नहर प्रणाली का पुनरुद्धार किया जा रहा है।

आजमगढ़, घोसी तहसील का नलकूप संख्या 29 एवं ग्राम बस्ती बरसी निधियांव का नलकूप

83—श्री विष्णु देव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की तहसील घोसी में राजकीय नलकूप संख्या 29 दो वर्ष से खराब पड़ा है तथा नलकूप ग्राम बस्ती बरसी निधियांव 10 वर्ष से खराब है, जिसके सम्बन्ध में बी0 डी0 सी0 ने प्रस्ताव पास करके शासन को भेजा

था? यदि हां, तो इन नलकूपों को ठीक कराने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आजमगढ़ जनपद की तहसील घोसी में स्थित राजकीय नलकूप सं0 29 दो वर्ष से खराब नहीं पड़ा है अपितु चालू हालत में है ।

राजकीय नलकूप ग्राम बस्ती बरसी निधियांब (28 जी0 जी0) का निर्माण 71–72 में हुआ था तथा मूल निकास 21,153 गैलन प्रति घन्टा था । वर्ष 77–78 में निकास और कम हो जाने के कारण यह नलकूप फेल हो चुका है। इस नलकूप की पुनः बोरिंग वर्ष 81–82 में कराई गई परन्तु पर्याप्त स्ट्रेटा न मिलने के कारण बोरिंग सफल नहीं हुई ।

बुन्देलखण्ड एवं कानपुर देहात के असफल नलकूप

84–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुन्देलखण्ड एवं कानपुर देहात में किस-किस जिले में कितने नलकूप असफल हो गए हैं और उनके क्या कारण हैं? क्या नलकूपों के निर्माण के पूर्व भूवैज्ञानिकों एवं भूभौतिकविदों द्वारा सर्वेक्षण कराया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है।

देवरिया, जमुनिया राजबाहा पर ग्राम बंसडीला पाण्डेय एवं श्रीपति खण्ड मध्य पुल निर्माण की मांग

85–श्री विष्णु देव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्थापक एवं महा सचेतक आजाद में पंजीकृत बेरोजगार अभ्यर्थियों की संख्या को प्राप्त हुआ है जिसमें देवरिया जनपद के तहसील पडरौना स्थित जमुनिया राजबाहा का अंतिम ग्राम श्रीपति खण्ड जो तीन तरफ से ड्रेन से घिरा है, के दक्षिण सिकटा बादल पट्टी ड्रेन पर ग्राम बंसडीला पाण्डेय एवं श्रीपति खण्ड के बीच पुल निर्माण की मांग की गयी है। यदि हां, तो कृत कार्यवाही से मंत्री जी अवगत करायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां। धनाभाव के कारण अभी इसका निर्माण सम्भव नहीं है।

बौर एवं हरिपुरा जलाशय के पानी का जिला नैनीताल एवं रामपुर को आवंटन

86–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में स्थित हरिपुरा एवं बौर जलाशयों के पानी पर जनपद रामपुर एवं नैनीताल का क्रमशः कितना-कितना हिस्सा है तथा इसका पूरा हिस्सा रामपुर जनपद को नहीं दिया जाता है? क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि उक्त जलाशयों से पानी का आवंटन करने की जिम्मेदारी अधिशासी अभियन्ता नहर खण्ड (रुद्रपुर) नैनीताल की है, जो अपने सिंचाई खण्ड को हिस्से से अधिक पानी आवंटित करते हैं। यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन जलाशयों के प्रबन्ध की जिम्मेदारी किसी ऐसे स्वतंत्र अधिकारी को देने की कृपा करेंगे जिसके जिम्मे इन दोनों जनपदों में से किसी की सिंचाई सम्बन्धी अन्य जिम्मेदारी न हो? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह –

बौर एवं हरिपुरा जलाशय की योजनानुसार जनपदवार पानी की आवश्यकता का प्रतिशत निम्न प्रकार है :–

जनपद	बौर	हरिपुरा
नैनीताल	21	31
रामपुर	79	69

रामपुर जनपद को पानी की आपूर्ति उक्त दोनों जलाशयों के अतिरिक्त सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर की नहरों की टेल की बचत का पानी नदियों में छोड़ने के माध्यम से तथा नदियों में रिजनरेशन के पानी से भी होती है।

रामपुर जनपद में वर्ष 1984-85 में प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र की तुलना में हरिपुरा जलाशय से 217% एवं बौर जलाशय से 177% वास्तविक सींच हुई है। इससे स्पष्ट है कि रामपुर जनपद को पानी समुचित मात्रा में मिला है।

उक्त जलाशयों से पानी का आवंटन अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड रुद्रपुर द्वारा अधिशासी अभियन्ता, रामपुर नहर खंड, रामपुर के मांग-पत्र एवं जलाशयों में पानी की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। यह सही नहीं है कि अधिशासी अभियन्ता, रुद्रपुर अपने खण्ड को पानी अधिक आवंटित कर लेते हैं।

उक्त जलाशयों का नियंत्रण जिस अधिशासी अभियन्ता के अधीन है, उसी के द्वारा पानी का वितरण करना उचित होता है। इस व्यवस्था में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

सिंचाई विभाग, रामपुर नहर खण्ड एवं रुहेलखण्ड नहर खण्ड की नहरों के रख-रखाव पर व्यय की गयी धनराशि

87–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले दस वर्ष में रामपुर सिंचाई खण्ड रुहेलखण्ड नहर खण्ड पंचम सिंचाई वृत्त शारदा जोन को प्रत्येक वर्ष कितना-कितना धन विभागीय नहरों के रख-रखाव के लिए आवंटित किया गया और यहां से प्रत्येक वर्ष कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति हुई?

श्री वीर बहादुर सिंह–

रामपुर नहर खण्ड, रामपुर पंचम मंडल तथा रुहेलखण्ड नहर खण्ड, पंचम मण्डल (शारदा) को पिछले दस वर्षों में नहरों के रख रखाव हेतु आवंटित धनराशि एवं प्राप्त राजस्व का विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष		रामपुर नहरखण्ड, रामपुर		रुहेलखण्ड नहरखण्ड, बरेली	
		आवंटित धनराशि	प्राप्त राजस्व	आवंटित धनराशि	प्राप्त राजस्व
		(लाख रु0)	(लाख रु0)	(लाख रु0)	(लाख रु0)
1975–76	..	4.84	11.35	14.63	88.15
1976–77	..	5.52	3.06	17.49	108.85
1977–78	..	8.13	13.34	17.95	95.89
1978–79	..	13.35	13.82	16.00	81.21
1979–80	..	10.38	10.94	14.50	57.56
1980–81	..	10.38	12.74	17.50	82.58
1981–82	..	12.48	16.12	13.50	91.77
1982–83	..	10.98	17.25	9.50	85.05
1983–84	..	12.66	19.85	14.30	92.81
1984–85	..	11.98	20.26	17.81	94.40

सिंचाई विभाग की नहरों के रखरखाव पर व्यय की गयी धनराशि

88—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न सिंचाई खण्डों के रखरखाव पर किए जाने वाले धन की मात्रा का आवंटन उस खण्ड में स्थित नहरों एवं अल्पिकाओं की लम्बाई तथा क्षमता से कोई निश्चित अनुपात है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि रख-रखाव की धनराशि सभी सिंचाई खण्डों को उनकी आवश्यकतानुसार मिले तथा उसका वितरण मनमाने ढंग से न हो, ऐसे आदेश पारित करने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के विभिन्न खण्डों के अन्तर्गत नहरों की लम्बाई इसकी क्षमता तथा अन्य कार्यों के आधार पर रख-रखाव के सामान्य प्राक्कलन बनाये जाते हैं। पिछली बार यह प्राक्कलन वर्ष 1970-71 की दरों पर स्वीकृत किये गये थे और अभी लागू हैं। रखरखाव के लिए सीमित वित्तीय आवंटन प्राप्त होने के कारण इन्हें अभी तक पुनरीक्षित नहीं किया गया है यद्यपि मजदूरी की दरों तथा सामग्री के मूल्यों में कई गुनी वृद्धि हो चुकी है।

सामान्यतः प्रखण्डों को सामान्य प्राक्कलनों के आधार पर रख रखाव हेतु धन का आवंटन किया जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे कि बाढ़ या सूखे की स्थिति में सिंचाई कार्यों के क्षतिग्रस्त होने पर केन्द्रीय सहायता व अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धन को प्रभावित प्रखण्डों में कार्यों में हुई क्षति को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त धन दिया जाता है। वित्तीय आवंटन के लिये अलग आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

उन्नाव जिले की तहसील पुरवा के अन्तर्गत स्वीकृत वृद्धावस्था पेंशन

89—श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जनपद की पुरवा तहसील में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों के जो प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी, उन्नाव, परिगनाधिकारी पुरवा, तहसीलदार पुरवा को समय-समय पर प्राप्त हुए हैं उनमें से कुल कितने प्रार्थना-पत्रों का अब तक निस्तारण नहीं किया जा सका है और इनमें से कितने तीन माह से, कितने छः माह से और कितने 1 वर्ष से अधिक समय से अनिस्तारित पड़े हुए हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दिनांक 12-2-85 से 11-9-85 की अवधि में जनपद उन्नाव की तहसील पुरवा से सम्बन्धित कुल 67 प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त हुए थे। इन सभी प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है। कोई प्रार्थना-पत्र निस्तारण हेतु अवशेष नहीं है।

गोरखपुर ग्राम जंगल तुलसी राम उर्फ बिछिया के निवासियों को आवश्यक वस्तु का वितरण

90—श्री सैयद जावेद अली सब्जपोश—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की जो 47 ग्राम सभाएं महापालिका में सम्मिलित की जा चुकी हैं, उनको महापालिका की आवश्यक वस्तु वितरण की सुविधा मिल रही है? यदि नहीं, तो क्या ज0 तुलसी राम उर्फ बिछिया के

निवासियों को चीनी, मिट्टी का तेल महापालिका के निवासियों की भांति उसी मात्रा में दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

गोरखपुर जनपद की जो 47 ग्राम सभायें महापालिका में सम्मिलित की जा चुकी है, उनमें से एक ग्राम सभा चैनपुर में आबादी ही नहीं है, शेष 46 ग्राम सभाओं के निवासियों को महापालिका की आवश्यक वस्तु वितरण सुविधा स्थानीय उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

जंगल तुलसी राम उर्फ बिछिया के निवासियों को चीनी व मिट्टी का तेल महापालिका के निवासियों की भांति उसी मात्रा में उपलब्ध कराया जाता है।

बस्ती, कुआनों पम्प नहर परियोजना का निर्माण

91–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुआनों पम्प नहर परियोजना के अंतर्गत नया पम्प हाउस बनाने का कार्य जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक निर्धारित कार्यक्रमानुसार सम्पादित नहीं कराया गया? यदि हां, तो इस दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां।

पम्प हाउस बनाने हेतु प्रश्नगत अवधि में 25.85 लाख रुपये का कार्यक्रम बनाया गया था परन्तु कुओं की गलाई का कार्य, जमीन के अन्दर पहले से पड़े हुए कुछ बल्ली पाइलिंग एवं मेसनरीवाल के कारण पूरा नहीं कराया जा सका। इस कारण पम्प हाउस के ऊपरी भाग का कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका। इस हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं। किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

92–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

ड्रेनेज खंड-2, बस्ती के मस्टर रोलों की सतर्कता विभाग द्वारा मांग

93–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मार्च, 1984 तक ड्रेनेज खंड-2 बस्ती के अधिशासी अभियंता श्री ब्रह्म प्रकाश गुप्ता द्वारा कराये गये कार्यों से संबंधित मस्टर रोल सतर्कता विभाग ने मांगे थे, परन्तु शासन/विभाग ने नहीं दिए? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

ड्रेनेज खण्ड-2 के वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के सभी मस्टर रोलों की मांग सतर्कता अधिष्ठान के फैजाबाद परिक्षेत्र द्वारा अधिशासी अभियंता, ड्रेनेज खंड-2 बस्ती से की गई थी, अधिशासी अभियंता, ड्रेनेज खंड-2, बस्ती ने पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, फैजाबाद को अपने पत्र दिनांक 30-1-1986 द्वारा सूचित किया है कि संबंधित मस्टर रोल, प्राविधिक संपरीक्षा कोष्ठ, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पास हैं और उनसे प्राप्त होते ही सतर्कता अधिष्ठान को उपलब्ध करा दिये जायेंगे।

बस्ती, कुआनों पम्प नहर परियोजना के पम्प हाउस का निर्माण

94–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती के कुआनों पम्प नहर परियोजना के अन्तर्गत जो नया पम्प हाउस

बन रहा है उसके नींव के कुओं के निर्माण कार्य में अनुबंध में दिये गये आइटमों के अतिरिक्त किन आइटमों पर भुगतान कितने-कितने धनराशि का किया गया है ? इस दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जिला बस्ती में कुआनों पम्प नहर परियोजना के अंतर्गत जो नया पम्प हाउस बन रहा है उसके नींव के निर्माण कार्य में अनुबंध में दिये गये आइटमों के अतिरिक्त किसी अन्य आइटमों पर कोई भुगतान नहीं किया गया है अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं का सेलेक्शन ग्रेड

95–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम बुधवार के दिनांक 17 जुलाई, 1985 के प्रश्न संख्या–111 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि कतिपय सहायक अभियंताओं को पद में छोटे होने के बावजूद अधिक वेतन क्यों दिया जा रहा है ? इस विसंगति को दूर करने हेतु शासन क्या करने जा रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई विभाग के अंतर्गत सहायक अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं के साधारण वेतनमान एवं समयबद्ध वेतनमान निम्न प्रकार है :–

सहायक अभियन्ता

(1) साधारण वेतनमान:-रु0 850–40-1050-द0 रो0-50-1300-60–1420-द0 रो0-60-1720

(2) सीनियर ग्रेड :–रु0 1250–50-1300-60-1660-द0 रो0–60-1900-75-2050

(दस वर्षों की नियमित सेवा के उपरान्त)

(3) सेलेक्शन ग्रेड :–रु0 1660-60-1900-75-2275 (सहायक अभियंता/प्रभारी सहायक अभियंता/अधिशासी अभियंता के पद पर कुल 16 वर्षों की नियमित सेवा के उपरान्त)

अधिशासी अभियंता

(1) साधारण वेतनमान :–रु0 1250-50-1300-60-1660–द0 रो0-60-1900-75-2050

सहायक अभियंता का साधारण वेतनमान अधिशासी अभियंता के साधारण वेतनमान से कम है किन्तु समयबद्ध वेतनमान के अंतर्गत दीर्घ सेवाकाल के कारण जिन सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंताओं से पहले सीनियर ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड मिल गया है, उन्हें पद में छोटे होने के बावजूद अधिक वेतन मिलना स्वाभाविक है, जिसे विसंगति नहीं कहा जा सकता ।

अतः विसंगति दूर करने का प्रश्न नहीं उठता ।

96–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

97–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

98–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

99–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

100–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

झांसी जिले की गरौठा तहसील के अंतर्गत सिंचाई सुविधाएं

101—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि गरौठा तहसील जनपद झांसी की सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त हैं ? यदि हां, तो इस हेतु शासन ने कोई योजना क्यों नहीं बनाई है ? क्या अब कोई नई योजना बनाई जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्तमान में इस तहसील में सपरार बांध से निकलने वाली रानीपुर, त्यावरी नहर प्रणाली तथा बेतवा नदी से निकलने वाली गुरसराय नहर प्रणाली व बरवार झील आदि से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है अतिरिक्त सिंचाई सुविधा प्राप्त करने हेतु सातवीं पंच वर्षीय योजना में लखेरी व पथराई बांधों का सर्वेक्षण किया गया है ।

मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण

102—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जायगा और उसकी अनुमानित लागत राशि क्या है और अक्तूबर, 1985 तक उन पर कितना व्यय किया जा चुका है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मध्य गंगा नहर परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 1989-90 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत रु0 20,622 लाख है । अक्टूबर, 1985 तक इस परियोजना पर रु0 14,241 लाख व्यय किये जा चुके हैं ।

मेरठ, मध्य गंगा नहर परियोजना निर्माण खण्ड—6 के अधिशासी अभियन्ता श्री अजय प्रकाश का कार्यकाल

103—श्री सूर्य प्रताप शाही—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में मध्य गंगा नहर परियोजना के खण्ड 6 में अधिशासी अभियन्ता कितने वर्षों से वहां कार्यरत हैं ? इस लम्बी अवधि तक उन्हें किन परिस्थितियों में रखा गया है ? क्या सरकार सिंचाई विभाग में स्थानान्तरणों के लिए सामान्य सिद्धान्तों के अनुरूप उनका स्थानान्तरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीर बहादुर सिंह —

जनपद मेरठ में मध्य गंगा नहर परियोजना के अंतर्गत मध्यगंगा नहर निर्माण खंड-6, मेरठ में अधिशासी अभियन्ता के पद पर श्री अजय प्रकाश दिनांक 7-7-1984 से कार्यरत हैं ।

उक्त खंड में श्री अजय प्रकाश की तैनाती की अवधि अभी केवल डेढ़ वर्ष हुयी है ।

अतः सामान्यतया अभी उनके स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

विश्व बैंक पोषित योजना के अंतर्गत बरेली जिले में नलकूपों के निर्माण का प्रस्ताव

104—डा0 दिनेश जौहरी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष विश्व बैंक द्वारा नलकूप द्वितीय योजना के अंतर्गत बरेली जिले के लिए कितने ट्यूबवेल लगाने प्रस्तावित हैं और किन-किन विकास खण्डों में कितने ट्यूबवेल लगाए जाने हैं तथा इस कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बीर बहादुर सिंह–

इस वर्ष विश्व बैंक पोषित द्वितीय योजना के अन्तर्गत बरेली जिले के लिए 1.5 क्यूसेक क्षमता के 75 नलकूप लगाने प्रस्तावित हैं। यह नलकूप 3 कलस्टरों में लगाये जाने हैं। इनकी विकास खण्ड-वार संख्या तथा अब तक हुई कार्यों की प्रगति का विवरण निम्नवत् है–

क्रम-सं0	ब्लाक का नाम	प्रस्तावित संख्या	छिद्रित नलकूपों की संख्या	वी0एण्ड एल0 फार्म भेजने की संख्या	ऊर्जीकृत नलकूपों की संख्या
1	भमौरा	8	8	8	2
2	आलमपुर	7	7	7	4
3	मझगवां	11	11	11	..
4	मीरगंज	25	25	6	...
5	फरीदपुर	24	..	...	..
	योग	75	51	32	6

105–डा0 दिनेश जौहरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उपभोक्ताओं को राशन कार्ड बनवाने में सरलीकरण की व्यवस्था

106–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि नये राशन कार्ड बनवाने में उपभोक्ताओं को बहुत भाग दौड़ एवं कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बहुत से लोगों का कार्ड तो बन ही नहीं पाता है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी नए राशन कार्ड बनवाने की विधि का सरलीकरण करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

नये राशन कार्ड बनवाने के लिए उपभोक्ताओं से निर्धारित रूप पत्र पर आवेदन पत्र प्राप्त होने पर इसमें अंकित सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक जांच आदि की प्रक्रिया में कुछ समय लग जाता है। राशन कार्ड के वितरण में तत्परता बरतने एवं इसके निमित्त प्राप्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर राशन कार्ड आठ-दस दिन के अंदर निर्गत करने के संबंध में शासकीय आदेश पहले से ही विद्यमान है, तथापि जिलाधिकारियों को पुनः कड़े निर्देश हाल ही में दिये गये हैं कि वे राशन कार्ड बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्रों के प्राप्त होने पर जांच आदि की औपचारिकता शीघ्रातिशीघ्र पूरीकर ऐसे प्रार्थना पत्रों का निस्तारण करके राशन कार्ड विलम्बतम 10 दिन के अंदर अवश्य जारी कर दें।

रानीखेत, बरेली व मुरादाबाद में प्रति राशनकार्ड पर चीनी एवं मिट्टी के तेल के वितरण में विषमता

107–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जान-

कारी है कि बरेली नगर में सहकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रति यूनिट एक किलो चीनी व प्रति कार्ड पांच लीटर मिट्टी का तेल मिलता है जबकि रानीखेत में प्रति यूनिट दो किलो चीनी व प्रति कार्ड 15 लीटर मिट्टी का तेल तथा मुरादाबाद में 1 1/2 किलो चीनी प्रति यूनिट एवं 10 लीटर तेल प्रति कार्ड मिलता है? यदि हां, तो इन विषमताओं का क्या कारण है? क्या मंत्री जी बरेली में भी प्रति यूनिट बढ़ी हुई चीनी व प्रति कार्ड बढ़ा हुआ तेल दिलवाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

बरेली नगर में प्रति यूनिट एक किलोग्राम चीनी प्रतिमाह तथा माह अगस्त, 1985 से 10 लीटर मिट्टी का तेल प्रति राशन कार्ड वितरित किया जा रहा है।

रानीखेत नगरीय क्षेत्र में प्रति यूनिट 2 किलोग्राम चीनी प्रतिमाह दी जा रही है। मिट्टी के तेल की पर्याप्त उपलब्धता व मांग को देखते हुए वितरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। सामान्य उपभोक्ता एक समय में 18 लीटर मिट्टी का तेल किसी भी दुकान से प्राप्त कर सकता है।

मुरादाबाद में चीनी प्रतिमाह नगरीय क्षेत्रों में एक किलोग्राम प्रति यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 250 ग्राम प्रति यूनिट दी जा रही है। मिट्टी का तेल नगरीय क्षेत्रों में 5 लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दो लीटर प्रति राशन कार्ड दिया जा रहा है।

पर्वतीय जनपदों तथा मैदानी जनपदों के नगरीय क्षेत्रों में एक किलोग्राम प्रति यूनिट तथा मैदानी जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में 250 ग्राम प्रति यूनिट चीनी वितरित करने के आदेश दिये गये हैं लेकिन चीनी की उपलब्धता को देखते हुए जिलाधिकारी उक्त मात्रा में वृद्धि भी कर सकते हैं।

मिट्टी का तेल नगरीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक दस लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इतना ही या उससे कम पांच लीटर मिट्टी का तेल वितरित कराने के आदेश दिये गये हैं। पर्वतीय जनपदों के जिलाधिकारी अपने जनपद की उपलब्धता को देखते हुए इस मात्रा को संशोधित कर, बढ़ा या घटा भी सकते हैं।

बरेली जनपद में भी शासनादेशानुसार चीनी व मिट्टी के तेल का वितरण किया जा रहा है। चीनी व मिट्टी के तेल की उपलब्धता होने पर जिलाधिकारी उक्त मात्रा को बढ़ा सकते हैं।

स्व0 श्री राजेन्द्र कुमार, कम्पाउण्डर, सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर की पेंशन एवं ग्रेच्युटी का भुगतान

108–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि श्री राजेन्द्र कुमार सिंह (कम्पाउन्डर) ने अक्तूबर, 1974 को बाढ़ सागर निर्माण खण्ड, डाकखाना गुलरभोज, जिला नैनीताल से अवकाश प्राप्त किया था किन्तु दिनांक 1 जनवरी, 1983 को उनका देहान्त हो जाने तक भी उन्हें कोई ग्रेच्युटी, पेंशन, फण्ड नहीं मिला? यदि हां, तो इसके क्या कारण थे? क्या मंत्री जी उनकी पत्नी श्रीमती भागवती देवी को पारिवारिक पेंशन एवं उपरोक्त भत्ते दिलाने की कृपा करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

श्री राजेन्द्र कुमार कम्पाउन्डर, बाढ़ सागर निर्माण खण्ड, गुलरभोज में कार्य

रत न होकर तत्कालीन हरिपुरा जलाशय निर्माण खण्ड बरेली (वर्तमान में सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर) में कार्यरत थे और उनका मुख्यालय गूलरभोज था ।

उन्होंने अक्टूबर, 1974 में सेवा से अवकाश नहीं प्राप्त किया अपितु वे 15 अगस्त, 1976 को सेवा निवृत्त हुए थे । उनका देहान्त 5 जनवरी, 1973 को हुआ था।

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने अपने पत्र सं0 पी0 ए0/बारह दिनांक 29-8-1979 तथा पत्र संख्या–3/बारह दिनांक जनवरी, 1978, जिनकी प्रति-लिपि श्री राजेन्द्र कुमार को भी पृष्ठं-कित थी, के द्वारा स्व0 राजेन्द्र कुमार को क्रमशः रु0 50 प्रतिमाह की पारिवारिक पेंशन तथा रुपया 651.33 पै0 की ग्रेच्युटी स्वीकृत करके नियमानुसार भुगतान करने की कार्यवाही करने के आदेश कोषाधिकारी, बरेली को दे दिये थे। इसकी सूचना स्व0 राजेन्द्र कुमार कम्पाउन्डर को सिंचाई विभाग द्वारा भी दे दी गई थी।

जी0 पी0 फण्ड के अंतिम निष्कासन के आदेश कार्यालय महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद से अपेक्षित है।

फैजाबाद में अन्वेषणात्मक नलकूपों के छिद्रण संबन्धी प्रस्ताव

109–श्री मित्रसेन–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1985 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न-कर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या-72 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गवेषणात्मक नलकूपों के छिद्रण विषयक प्रस्ताव जो अधिशासी अभियंता नलकूप निर्माण खंड फैजाबाद के पत्र संख्या 2973/टी-1 साइट नि0 नं0 नि0 ख0 फैजाबाद दिनांक 23-10-84 को श्री नीरज मालवीय हाइड्रोलाजिस्ट इक्सप्लोरेशन पब्लिक भारत सरकार बी-43, महानगर इक्सटेंशन, लखनऊ द्वारा प्रेषित, के पत्र पर अब तक क्या कार्य-वाही हुई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

इस संबंध में केन्द्रीय भूगर्भ जल संग-ठन लखनऊ को अन्वेषणात्मक छिद्रण हेतु पत्रांकः 8336/न0 पू0 अनु0 164वी-2002 डब्लू/दिनांक 31-10 84 पत्रांक-10092/न0 पू0 अनु0/दिनांक 1-1-85 एवं पत्रांक-8922/न0 पू0 अनु0/ दिनांक 30-11-85 द्वारा लिखा गया है परन्तु अभी तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ।

तकनीकी संस्थान, शाहजहांपुर में प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता

110–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि नेव तकनीकी संस्थान शाहजहांपुर एन0 सी0टी0वी0टी0 से मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो क्या उक्त संस्थान में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की परीक्षा देना एवं परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है जबकि वर्ष 1983 में निदेशालय के आदेशानुसार प्रथम वर्ष की परीक्षा अनि-वार्य नहीं है परन्तु उक्त संस्थान में निदेशालय के आदेशों की अवहेलना कर प्रथम वर्ष की परीक्षा कराई एवं पांच परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया तथा श्री चार्ल्स हौज नामक परी-क्षार्थी को द्वितीय वर्ष में प्रवेष की अनु-मति नहीं दी जिससे इसका भविष्य अंधकार में हो गया है ? यदि हां, तो क्या शासन ने उक्त संस्थान की प्रधानाचार्य के विरु-द्ध निदेशालय के आदेशों की अवहेलना करने हेतु कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी, हां ।

वर्ष 1982 से पूर्व द्विवर्षीय पाठ्य-क्रम में प्रथम वर्ष की परीक्षा देना एवं उत्तीर्ण करना अनिवार्य था । परन्तु उसके बाद प्रथम वर्ष की परीक्षा समाप्त कर दी गयी थी ।

नेव तकनीकी संस्थान एक निजी संस्था है और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के बाहर है इनके द्वारा अपनी नियमावली के अनुसार परीक्षा सम्पन्न कराई गई । श्री चार्ल्स होज ने 1982 में प्रवेश लेकर 1983 में प्रथम वर्ष की परीक्षा में आंतरिक तौर पर भाग लिया। हाजिरी पूरी न होने और फीस जमा न करने के कारण नाम काटा गया जिसके विरुद्ध इन्होंने न्यायालय में वाद दायर किया । निर्णय इनके विरुद्ध हुआ । अतः प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली, काष्ठ कला केन्द्र के रखरखाव पर व्यय की गयी धनराशि

111–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली स्थित काष्ठ कला केन्द्र के रख-रखाव पर प्रति वर्ष कितना धन खर्च होता है, इसमें कितने प्रशिक्षक एवं विद्यार्थी हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इस केन्द्र का मुख्य कक्ष पिछले तीन वर्ष से बंद पड़ा है और उसमें कुमायूं गढ़वाल संसदीय क्षेत्र के बैलेट बाक्स रखे हुए हैं ? यदि हां, तो इस कक्ष को केन्द्र के उपयोग के लिए शीघ्र खाली करा दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

राजकीय केन्द्रीय काष्ठकला संस्थान बरेली के रख-रखाव पर वर्ष 1969-70 से 1983-84 तक हुए व्यय के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	धनराशि (हजार रुपये में)
1969–70	2,23
1970–71	2,02
1971–72	2,28
1972–73	2,35
1973–74	2,43
1974–75	2,60
1975–76	2,90
1976–77	3,14
1977–78	3,37
1978–79	3,52
1979–80	4,10
1980–81	4,35
1981–82	4,91
1982–83	0,17
1983–84	7,06

वर्तमान समय में 14 अनुदेशक तथा 136 छात्र हैं। संस्थान के 3 कमरों में गढ़वाल मंडल की मतपेटिका रखी है ।

निर्वाचन संबंधी याचिका में उच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त उक्त कमरों को खाली कराना संभव हो सकेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखीमपुर खीरी के ग्राम श्रीनगर के निकट शारदा बैराज के अफलक्स का कटान

112–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि लखीमपुर खीरी के ग्राम श्रीनगर के निकट स्थित शारदा नदी के तटबंध में दरार पड़ जाने से श्रीनगर ग्राम सभा सहित आस-पास के कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गये, जिससे वहां के निवासियों की धान की फसल पूर्णतया तबाह हो गयी एवं अन्य फसलों की बुआई भी होना असम्भव हो गया है, जिससे उक्त क्षेत्र निवासियों

के भूखों मरने की नौबत आ गई है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि पिछले वर्ष भी इस बांध की मरम्मत सिंचाई विभाग द्वारा की गयी थी, फिर इसके कटने का क्या कारण है ? क्या इसकी जांच कराई गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां, यह बांध तटबंध न होकर शारदा बैराज का अफलक्स बांध है, जो शारदा नदी के दोनों किनारों पर बने हैं। श्रीनगर ग्राम के पास दायें अफलक्स बांध में दरार नहीं पड़ी थी, बल्कि इसको ग्रामवासियों द्वारा बन्धे के अंदर की फसलों को बचाने के उद्देश्य से अंदर भरे हुए पानी को निकालने के लिए काट दिया गया था। गत वर्ष भी इसी स्थान पर इस बांध को काटा गया था, जिसकी मरम्मत करा दी गई थी। बांध स्वयं नहीं कटा था बल्कि काटा गया था। इस संबंध में साइट का निरीक्षण अधिशासी अभियंता द्वारा किये जाने पर बन्धे को फावड़े से काटे जाने के निशान पाये गये ।

झांसी जिले के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को धनराशि का आवंटन

113–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 114 पर।)

झांसी जिले के सिंचाई विभाग को धनराशि का आवंटन

114–कुंवर मानवेन्द्र सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जनपद के सिंचाई विभाग को वित्तीय वर्ष 1982-83, 83-84, 84-85 व 85-86 में कितना धन किस-किस मद में दिया गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्रश्नगत वर्षों में सिंचाई विभाग के झांसी जनपद में निर्माणाधीन योजनाओं, रख-रखाव एवं कार्यालय अधिष्ठान मदों के अंतर्गत आवंटित की गई धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

क्रम-संख्या	मद	वर्षवार आवंटित धनराशि 1982–83	1983–84	1984–85	1985–86
		(लाख रुपयों में)			
1	533 निर्माण कार्य	119–77	133–39	104–97	89–41
2	333–अनुरक्षण एवं मरम्मत	13–77	10–88	19–82	13–00
3	289–केन्द्रीय सहायता	2–22	23–98	2–32	20–64
4	उपकरण एवं संयंत्र	3–21	1–20	1–37	..
5	उचन्त	32–38	5–79	68–26	..
6	अधिष्ठान–				
	यात्रा व्यय––				
	क–निर्देशन	0–72	0–555	0–57	0–57
	ख––कार्यकारी	6–71	6–37	5–08	5–06
	ङ–विशेष राजस्व	0–48	0–24	0–34	0–33
	आकस्मिक व्यय––				
	क––निदेशन	1–38	1–35	1–01	0–75
	ख––कार्यकारी	3–65	3–37	4–52	3–21
	ग––विशेष राजस्व	0–25	0–11	0–30	0–18

श्री रविन्द्र सिंह, मोटर मेकेनिक इंस-ट्रक्टर का आगरा से मेरठ को स्थानान्तरण

115—श्री विजय सिंह राणा—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रवीन्द्र सिंह मोटर मेकेनिक इन्स-ट्रक्टर को विगत जुलाई, 1985 में मेरठ से आगरा, फिर आगरा से मेरठ और पुनः मेरठ से आगरा स्थानान्तरण किया गया और दो बार आगरा से मेरठ व पुनः मेरठ से आगरा आने का दो बार आने जाने के लिए उन्हें यात्रा भत्ता का भुग-तान किया गया ? और क्यों? इस प्रकार सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए कौन अधिकारी दोषी है और दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री रवीन्द्र सिंह, मोटर मैकेनिक इंस-ट्रक्टर को दो बार आगरा से मेरठ व पुनः मेरठ से आगरा आने जाने के लिये यात्रा भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है बल्कि केवल एक बार आगरा से मेरठ हेतु यात्रा भत्ता का भुगतान किया गया है। इस प्रकार न तो सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है और न इसके लिए कोई अधिकारी दोषी है। ऐसी स्थिति में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

फर्रूखाबाद में स्प्रिट के थोक बिक्रेता का रिक्त पद

116—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रूखाबाद में स्प्रिट के कितने थोक विक्रेता हैं? क्या कोई स्थान थोक विक्रेता की मृत्यु के कारण रिक्त हुआ है ? यदि हां, तो उसके रिक्त स्थान पर किसी विक्रेता की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया अथवा नहीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फर्रूखाबाद में शासन द्वारा विकृत सुरा (स्प्रिट) की थोक बिक्री हेतु एक अनुज्ञापन स्वीकृत है।

यह अनुज्ञापन माह मार्च, 1985 के अन्त में अनुज्ञापी श्री विश्वम्भर दयाल की मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुआ है।

जी हां। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 1985 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है।

श्री छोटे लाल यादव, अवर अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड—32 आजमगढ़ का स्थानान्तरण

117—श्री भीखा राम—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री छोटे लाल यादव, अवर अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड नं0 32 आजमगढ़ के विरुद्ध श्री राम बदन एडवोकेट, विधायक ने एक शिकायती-पत्र माननीय सिंचाई राज्य मंत्री को दिया था? यदि हां, तो उस पत्र के आधार पर प्रमुख अभियन्ता ने दिनांक 29-6-85 को श्री यादव का स्थानान्तरण किया है परन्तु आदेशों के बावजूद भी अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड नं0 32 आजमगढ़ ने कार्य मुक्त नहीं किया है? यदि हां, तो क्या इस आदेश की अवहेलना पर अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक की जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था । स्थानान्तरण के कथित आदेश दिनांक 29-6-85 को जारी किये गये थे किन्तु बाद में उनमें कुछ त्रुटि पायी गई। अतः अधीक्षण अभियंता को पुनः आदेश भेजे गये हैं और निर्देशित किया गया है कि वे सम्बन्धित अवर अभियंता को तुरन्त कार्यमुक्त कर दें।

इस प्रकार आदेशों की अवहेलना होने अथवा अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उन्नाव जिले के महना तालाब से कथित जल भराव और बनी साउथ पम्प नहर का संचालन

118—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला उन्नाव की पुरवा तहसील के ग्रामों छीटखेड़ा, बछेवरा, शीतला बख्श खेड़ा आदि के हजारों एकड़ भूमि के महना तालाब के जल भराव से डूबे रहने से बचाव के लिए सिंचाई विभाग के किसी अभियन्ता ने लिफ्ट पम्प का सुझाव दिया है? यदि हां, तो उक्त लिफ्ट योजना के निर्माण का काम न किए जाने का कारण क्या है।?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

119—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के असोहा ब्लाक की जबरेला लिफ्ट पम्प योजना कब से काम नहीं कर रही है और इसके रख-रखाव में अनियमितता बरतने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद उन्नाव के असोहा ब्लाक में कार्यरत बनी साउथ पम्प नहर में दो पम्प $2\frac{1}{2}$, $2\frac{1}{2}$ क्यूसेक्स के स्थापित हैं जिसमें से एक की मोटर दिनांक 3-12-84 को चोरी हो गयी। तब से अब तक एक पम्प चल रहा है तथा वर्तमान रबी फसल में 3-2-86 तक 70 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो चुकी है। मोटर चोरी की एफ0आई0 आर0 4-12-84 में लिखा दी गई थी। पम्प नहर के रख रखाव में कोई अनियमितता नहीं बरती गई है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है ।

सिंचाई विभाग, देवरिया सिंधुआ ड्रेन एवं डुमरी ड्रेन की सफाई

120—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा विकास खण्ड रामपुर कारखाना जिला देवरिया स्थित सिंधुआंताल से निकाली गयी डुमरी ड्रेन तथा सिंधुआं ड्रेनों की मिट्टी की कटाई व सफाई न होने से हजारों एकड़ भूमि पर खरीफ की फसल की बुआई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में तत्कालीन विधायक श्री केदारनाथ सिंह का पत्र दिनांक 21-7-85 शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों? समस्त कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। ड्रेनों की सफाई न होने के कारण फसल बर्बाद नहीं हो रही है।

जी हां, सिंधुआं ड्रेन की सफाई वर्ष 1984-85 में करा दी गई है तथा डुमरी ड्रेन की सफाई वर्षा ऋतु से पूर्व करा दी गई है। उक्त ड्रेन्स को चौड़ा करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर, विधान सभा क्षेत्र चांदा के नलकूपों की संख्या

121—श्री शिव नारायण मिश्र—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र चांदा, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड भदैया, अम्भुचा, बांदा में राजकीय कितने नल-

कूप लगे हैं तथा उनमें से सिंचाई के लिए कितने पानी दे रहे हैं ? कितने क्षतिग्रस्त हैं और जो क्षतिग्रस्त हैं, उसको कब तक ठीक करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

विधान सभा क्षेत्र चांदा के अन्तर्गत कुल 45 राजकीय नलकूप लगे हैं । इन 45 नलकूपों के अतिरिक्त 4 नलकूप फेल हैं जिनका परित्याग प्रस्तावित है। 45 राजकीय नलकूपों में से 2 नलकूप दिनांक 4-2-86 को खराब थे जिन्हें तत्काल ठीक करने की कार्यवाही प्रगति में थी ।

विश्व बैंक द्वारा पोषित नलकूपों के निर्माण का चयन

122–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ल्ड बैंक की मदद से निर्मित होने वाले पब्लिक नलकूपों के स्थान चयन व निर्माण मानक राजकीय नलकूप से भिन्न हैं और इस विभाग को स्वतन्त्र रूप से कार्य करने की छूट है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में जिला सिंचाई सलाहकार समितियों को शासन के निर्देश दिए गये हैं? यदि नहीं, तो क्या जन प्रतिनिधि जनहित में इनके कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

विश्व बैंक पोषित नलकूपों के स्थान चयन व निर्माण मानक राजकीय नलकूपों से भिन्न हैं ।

स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट नहीं है क्योंकि पब्लिक नलकूपों के कलस्टरों का चयन व निर्माण कार्य शासन तथा विश्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाता है अतः जिला सलाहकार समितियों को शासन द्वारा निर्देश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। जन प्रतिनिधियों द्वारा जनहित में उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार किया जाता है।

श्रम विभाग, डालीगंज उत्पादन केन्द्र के लिपिक, श्री सुरेन्द्र सिंह की अनियमित पदोन्नति

123–श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी–

द्वितीय सत्र 85 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0–66 के उत्तर के क्रम में क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि तदर्थ नियुक्ति एवं आयोजनेतर पदों के सृजन पर शासन के कड़े प्रतिबन्ध के होते हुए भी किस प्रकार से नियुक्त एवं पद का सृजन किया तथा सुरेन्द्र सिंह को करने के आदेश किसने दिए तथा क्या आयु सीवा में छूट एवं अर्हता को शिथिल वह इसके लिए समक्ष थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

वर्ष 1978 से समय-समय पर सुपरवाईजर का एक पद अनियमित रूप से बिना शासन की स्वीकृति के सृजित करके श्री सुरेन्द्र सिंह, लिपिक को डालीगंज उत्पादन केन्द्र में सुपरवाईजर के पद पर नियुक्ति तत्कालीन निदेशकों द्वारा की गयी । इनकी अनियमित नियुक्ति को समाप्त करके उन्हें उनके मूलधारित पद पर प्रत्यावर्तित करने के आदेश कर दिये गये हैं । संबंधित अधिकारियों (तत्कालीन–निदेशकों) से स्पष्टीकरण प्राप्त करके उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

फर्रुखाबाद, रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगारों का चयन समिति द्वारा चयन की जांच रिपोर्ट

124–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या श्रम एवं सेवायोजन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रोजगार कार्यालय में पंजी-

कृत शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न क्षेत्रों के रोजगार दिलाने हेतु किसी चयन समिति का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो उनके सदस्य कौन-कौन हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इसके सदस्य जनपद के निम्नांकित अधिकारी हैं:–

1–अपर जिलाधिकारी (परियोजना) अध्यक्ष ।

2–जिला सेवायोजन अधिकारी, सदस्य–सचिव

3–हरिजन कल्याण अधिकारी (ह0क0) सदस्य

4–अपर जिला विकास अधिकारी (ह0 क0) सदस्य

5–अधिशासी अभियन्ता–ग्रामीण अभियंत्रण सेवा सदस्य

6–मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सदस्य

7–जिला विद्यालय निरीक्षक सदस्य

125–श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि समिति के इन सदस्यों द्वारा विगत माह में किए गए चयन में भारी पक्षपात और अनियमितताओं की शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

इस संबंध में जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए, उन पर जांच कराई गई है । जांच रिपोर्ट पर जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद से आख्या मांगी गई है, जो अभी उपलब्ध नहीं हो पायी है ।

सिंचाई विभाग, यांत्रिक संवर्ग के सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची

126–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के यांत्रिक संवर्ग में सहायक अभियन्ताओं तथा अधिशासी अभियन्ताओं की कोई ज्येष्ठता सूची घोषित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत यांत्रिक संवर्ग के सहायक अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची शासनादेश संख्या–248ए/23-1-(ए-1)-21/61, दिनांक 15-1-69 द्वारा जारी की गयी थी । तत्पश्चात् प्रोन्नत श्रेणी के सहायक अभियन्ताओं का लोक सेवा आयोग से यथा समय अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण ज्येष्ठता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका । वर्तमान में ज्येष्ठता निर्धारण के संबंध में कतिपय याचिकायें तथा प्रकरण न्यायालयों में लम्बित हैं जिसके कारण सहायक अभियन्ताओं की अद्यतन ज्येष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की जा सकी है ।

अधिशासी अभियन्ता (यांत्रिक) की ज्येष्ठता सूची अभी घोषित नहीं की गयी है । सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) के संवर्ग में मौलिक ज्येष्ठता निर्धारण के पश्चात अधिशासी अभियन्ताओं की ज्येष्ठता सूची घोषित की जायेगी ।

बांदा, केन नदी से विंध्याचल लिफ्ट कैनाल योजना का सर्वेक्षण

127–श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा की तहसील नरैनी में केन नदी से विंध्याचल लिफ्ट कैनाल योजना शासन से निर्माण के लिए प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं। पम्प नहर के लिये प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है तथा विस्तृत सर्वेक्षण के आदेश दे दिये गये हैं। यदि पम्प नहर का निर्माण तकनीकी दृष्टि से ठीक पाया गया और नदी में इस पम्प नहर के लिये जल की उपलब्धता भी पायी गई तो इसके निर्माण के बारे में भविष्य में विचार किया जाएगा। इस समय उपरोक्त पम्प कैनाल योजना का निर्माण प्रस्तावित नहीं है।

पब्लिक नलकूप (विश्वबैंक) योजना में जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति और सर्वेयरों की पदोन्नति की मांग

128–श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप (विश्व बैंक) योजना के जूनियर इंजीनियर रखने का अब तक प्राविधान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार जूनियर इंजीनियर रखने का प्राविधान करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

पब्लिक नलकूप (विश्व बैंक) योजना में जूनियर इंजीनियर रखने का प्राविधान है। उक्त योजना में 140 रिक्त पदों के विरुद्ध 137 जूनियर इंजीनियरों की नियुक्ति की जा चुकी है।

129–श्री सुरेन्द्रपाल वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप योजना में कितने ऐसे सर्वेयर हैं जो सर्वेयर के पद पर कार्य कर रहे हैं? क्या सरकार उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें जे0 ई0 के पद पर नियुक्त करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उन्नाव, मवई के कोटेदार द्वारा शक्कर के वितरण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

130–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या खाद्य मन्त्री कृपया यह जानकारी देंगे कि उनको उन्नाव जिले के मवई के कोटेदार द्वारा शक्कर के नियमित वितरण न करने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के शिकायती-पत्र दि0 2 सितम्बर, 85 पत्रांक 151 व दि0 10 सितम्बर, 85 पत्रांक 163 व राज्य मन्त्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 11 अक्तूबर, 85 पत्रांक 200 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई है।

श्री हुकुम सिंह–

जी हां।

जिलाधिकारी उन्नाव को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश दे दिये गये हैं।

उन्नाव, दरेहटा ग्राम की आवश्यक वस्तु वितरण की दुकान के विरुद्ध कायम मुकदमा

131–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के दरेहटा ग्राम की आवश्यक वस्तु वितरण की व्यक्तिगत दुकान का वितरण अनियमित ढंग से किया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसी दुकान पर ब्लैक मार्केटिंग के सन्दर्भ में ई0 सी0 एक्ट 3/7 का मुकदमा माननीय न्यायालय में भी विचाराधीन है? यदि हां, तो क्या इस संबंध में माननीय खाद्य मंत्री जी को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 18-7-85 को मिला है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री हुकुम सिंह–

उन्नाव जिले के दरेहटा ग्राम की आवश्यक वस्तु वितरण की उचित दर

की दुकान, जो परगना अधिकारी पुरवा की संस्तुति के आधार पर स्वीकृत की गयी थी, के विरुद्ध स्थानीय जनता द्वारा अनियमित वितरण के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत अंकित करायी गयी तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है। मामले में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18 जुलाई 1985 प्राप्त हुआ है। प्रश्नगत दुकान को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित करते हुए आरोप-पत्र जारी किया गया था, परन्तु निलम्बन आदेश के विरुद्ध आयुक्त के न्यायालय द्वारा स्थान-आदेश पारित किया गया है।

उन्नाव, ग्राम मवई के श्री हरिशंकर, ठेकेदार की सिक्योरिटी-धनराशि की वापसी

132—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरीशंकर नि0 मवई, जिला उन्नाव की ठेकेदारी की सिक्योरिटी की धनराशि को न वापस किए जाने सम्बन्धी उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दि0 7 अगस्त, 85 पत्रांक 82 पर कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

श्री हरी शंकर निवासी मवई जनपद उन्नाव की धनराशि की व्यवस्था चेक संख्या 27/195967 स्टेट बैंक आफ इण्डिया, उन्नाव दिनांक 7-2-86 धनराशि रु0 1548/- से अधिशासी अभियन्ता द्वारा कर दी गई है।

उन्नाव जिले के ग्राम सरवारा एवं डनडनापुर में नलकूप निर्माण की मांग

133—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सिंचाई राज्य मंत्री जी को उन्नाव जनपद के सखारा डनडनापुर क्षेत्र में स्टेट ट्यूबवेल लगाए जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र दि0 6 जून, 85 पत्रांक 7 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

पत्र में जनपद उन्नाव के ग्राम सरवारा एवं डनडनापुर क्षेत्र में नलकूप लगाने के विषय में लिखा गया है। इन ग्रामों के क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया था तथा सिंचाई सलाहकार समिति उन्नाव की बैठक में प्रस्तुत भी किया गया था परन्तु समिति ने इन ग्रामों में नलकूप के निर्माण का अनुमोदन नहीं किया।

उन्नाव, ग्राम लोहरामऊ में नलकूप का निर्माण

134—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 सिंचाई राज्य मंत्री को उन्नाव जनपद के लोहरामऊ, ग्राम के स्टेट ट्यूबवेल को नियमित करने संबंधी प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 9-7-85 प्राप्त हुआ है? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी को भी इसी आशय का प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दि0 30-9-85 मिला है? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

जनपद उन्नाव के ग्राम लोहरामऊ में स्थित राजकीय नलकूप संख्या-30 पुरवा समूह के निर्माण कार्य लगभग पूरे हो गये हैं । इसे माह 3/86 के अंत तक सिंचाई हेतु कार्यरत किये जाने का कार्य-क्रम है ।

उन्नाव जिले के भीऊमऊ में नलकूप का निर्माण

135–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि मा0 राज्य मंत्री सिंचाई को उन्नाव जिले के इस्माइल पुर ग्राम में स्टेट ट्यूबवेल लगाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 50, दिनांक 22-7-85 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी नहीं ।

माननीय विधायक महोदय का पत्र संख्या-50 दिनांक 23-7-85 न कि 22-7-85 प्राप्त हुआ है, जो उन्नाव जनपद के विकास खंड असोहा के भाऊ-मऊ (इस्लामनगर) में राजकीय नलकूप लगाने के संबंध में है । उक्त ग्राम में नलकूप संख्या-26 पुरवा समूह का छिद्रण दिसम्बर 1983 में किया गया था परन्तु निकास कम होने के कारण इसे असफल घोषित कर दिया गया था ।

उन्नाव जिले के ग्राम बिलौरा में नलकूप निर्माण संबंधी प्रार्थना पत्र

136–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के बिलौरा निवासी सर्वश्री श्रीपाल आदि का स्टेट ट्यूबवेल लगाए जाने संबंधी प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र सं0 111 दि0 14-8-85 सहित, जिसकी प्राप्ति मा0 सिंचाई मंत्री जी ने अपने पत्र सं0 1362/वी0 आई0 पी0/85 दि0 19-8-85 द्वारा स्वीकार की है पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह –

उन्नाव जिले के परगना असोहा ग्राम बिलौरा के निवासी सर्वश्री श्रीपाल आदि का प्रार्थना पत्र तथा प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या-111, दिनांक 14-8-85 के परि-पेक्ष्य में जिला सिंचाई सलाहकार समिति उन्नाव की बैठक में ग्राम बिलौरा सहित 37 ग्रामों में नलकूप लगाने पर विचार किया गया था, परन्तु समिति ने प्रश्न-गत ग्राम में नलकूप लगाने का अनुमोदन नहीं किया ।

उन्नाव बाढ़ सुरक्षा हेतु गतारपुरवा से गंगा घाट तक बांध बनाने की मांग

137–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद की तहसील सफीपुर में प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाली करोड़ों रुपए की क्षति से बचाने के लिए गतारपुरवा से लेकर गंगाघाट तक एक बांध बनाने का निश्चय किया गया था और इस सम्बन्ध में सर्वेक्षण कार्य भी हुआ था ? यदि हां, तो उक्त बांध के निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत परियोजना उपयुक्त नहीं पाई गई । अतः कार्य प्रारम्भ कराये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री शिव कुमार सिन्हा, सहायक अभि-यन्ता, शारदा सहायक खण्ड, आजमगढ़ के विरुद्ध ईंट की चोरी की जांच

138–श्री रामजनम यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ तहसील सगड़ी के घोसी राजवाहा पर स्थित ग्राम मुरारपुर में श्री शिव कुमार सिन्हा, सहायक अभि-यन्ता, शारदा सहायक खण्ड 52 आजमगढ़

द्वारा ताल सलोना कैनाल से निकाली गई ईंटों को बेचने के संबंध में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने दिनांक 11-5-85 में जांच किया है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट एवं की गई कार्यवाही सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

घोसी राजबहा मुरारपुर ग्राम को सीमा से नहीं गुजरती है निष्क्रिय ताल सलोना पम्प नहर, जो घोसी राजबहा के समरखेन में पड़ती है, से तोड़कर निकाली गई ईंटों को बेचने के संबंध में तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा 12-5-85 न कि 11-5-85 को प्रारम्भिक जांच की गई थी। तदुपरान्त विस्तृत जांच अधिशासी अभियन्ता शारदा सहायक खण्ड–52 द्वारा की गई और जांच के फलस्वरूप चोरी तथा कम पाई गई सामग्री के लिए उत्तरदायी सर्वश्री शिव कुमार सिन्हा, सहायक अभियन्ता तथा योगेन्द्र नाथ सिन्हा, अवर अभियन्ता से क्षति की वसूली के आदेश 5-2-86 को जारी कर दिए गए हैं।

खुरहट पम्प कैनाल, आजमगढ़ की सिंचन क्षमता

139–श्री राम बदन एडवोकेट–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 10 कि0मी0 लम्बी खुरहट पम्प कैनाल जो जनपद आजमगढ़ में स्थित तामसा नदी से निकाली गई, प्रत्येक वर्ष क्यों खराब रहती है ? क्या यह पम्प कैनाल केवल 1 कि0मी0 क्षेत्रफल की ही सिंचाई करती है ? उक्त पम्प कैनाल के बारे में आम जनता के बराबर शिकायत करने के बाद भी कर्मचारियों द्वारा ठीक नहीं किया जाता है। क्या सरकार निकट भविष्य में इस पम्प कैनाल, जो इस समय एक नाली के समान हो गई है, का सुधार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

आजमगढ़ जनपद में 10 कि0मी0 लम्बी खुरहट पम्प नहर 1954–55 में निर्मित हुई थी, 15 क्यूसेक क्षमता से कार्य कर रही है तथा पिछले तीन वर्षों से इसके द्वारा सिंचित क्षेत्रफल निम्न प्रकार है:–

वर्ष	खरीफ एकड़ में	रबी एकड़ में	योग एकड़ में
1983–84	362	722	1084
1984–85	457	525	982
1985–86 (6-2-86)	325	542	867

उपरोक्त सिंचित क्षेत्रफल पम्प नहर की क्षमता एवं विद्युत ऊर्जा की उपलब्धि के घण्टों के अनुरूप है तथा नहर खराब नहीं रहती।

इस नहर की खराबी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, तथा वर्ष 85-86 में नहर के 10 कि0मी0 के छोर तक पानी सिंचाई हेतु पहुंचाया गया है।

मुरादाबाद, अमरोहा शुगर मिल के सेवामुक्त श्रमिक

140–हाजी मो0 हयात–

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा शुगर मिल में कुछ श्रमिक 1985 तथा 1986 में सेवा मुक्त हो रहे हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन जाब से तथा कितनी संख्या में और इन स्थानों की पूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या प्रतिक्रिया अपनाई जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश शुगर कारपोरेशन लि0 की अमरोहा इकाई में वर्ष 1985 में 31 श्रमिक सेवामुक्त हुए हैं और वर्ष 1986 में, अभिलेखों में उल्लिखित आयु के आधार पर 185

श्रमिक सेवामुक्त होंगे । इनके जाब का विवरण निम्नवत् है :-

जाब का विवरण	संख्या 1985	संख्या 1986
1-ब्वायलर फोरमैन	-	1
2-हेड फिटर	-	4
3-फिटर	1	6
4-हेल्पर/पम्प ड्राइवर	5	24
5-आयलमैन	1	16
6-लिपिक	-	8
7-गन्ना निरीक्षक	-	1
8-खलासी/मेट	1	15
9-स्वीचबोर्ड अटेन्डेन्ट	-	1
10-वाटरमैन/फायरमैन	2	6
11-पैनमैन	1	1
12-चपरासी	-	2
13-सहायक केन मैनेजर	-	1
14-मजदूर	18	86
15-चौकीदार	2	13
	31	185

रिक्त स्थानों की पूर्ति का मामला प्रदेश शुगर कारपोरेशन से संबंधित है और इस संबंध में कार्यवाही उन्हीं के द्वारा होनी है ।

बीड़ी मजदूरों के लिए कल्याण परिषद् का गठन

141-हाजी मो0 हयात-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक पत्र दिनांक 18-5-85 को तत्कालीन श्रम मंत्री को प्रेषित किया था जिसमें बीड़ी मजदूरों के लिए बने वेल्फेयर बोर्ड में अधिक बीड़ी बनाने वाले क्षेत्रों अमरोहा तथा रामपुर को प्रतिनिधित्व देने की मांग की थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह-

जी हां ।

बीड़ी श्रमिकों हेतु कल्याण परिषद् के पुनर्गठन के समय विचार किया जायगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद, अमरोहा तथा चन्दौसी में इम्प्लायमेन्ट कार्यालय की स्थापना की मांग

142-हाजी मो0 हयात-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता ने दि0 24 जून, 85 को एक पत्र तत्कालीन श्रम मंत्री को प्रेषित किया था जिसमें जनपद मुरादाबाद के अमरोहा तथा चन्दौसी हेड क्वार्टर्स पर इम्प्लायमेन्ट आफिस खोले जाने हेतु जिला प्लान मुरादाबाद द्वारा स्वीकृति दिए जाने और उपरोक्त कार्यालय न खोले जाने की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह-

जी हां ।

यह सही है कि जनपद मुरादाबाद के अमरोहा तथा चन्दौसी में नगर सेवायोजन कार्यालय की स्थापना के प्रस्ताव जिला योजना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति से अनुमोदित होकर प्राप्त हुए थे । परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना काल के मध्य में यह निर्णय लिया गया था कि सेवायोजन क्षेत्र में फिलहाल शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों तथा विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र के अलावा अन्य कार्यक्रम इस योजना काल में न लिए जायें, क्योंकि चल सेवायोजन कार्यालय/नगर सेवायोजन कार्यालय/वी0 जी0 यूनिट का कोई तुरन्त लाभदायक परिणाम नहीं मिलता है और

नान-प्लान पर बहुत अधिक वित्तीय भार बढ़ जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1985-86 में नगर सेवायोजन कार्यालय की स्थापना के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी।

143–हाजी मो0 हयात–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

सरजू नहर निर्माण खण्ड प्रथम, फैजाबाद, गोण्डा एवं बस्ती के लिए ट्यूबलर ट्रेसेस की खरीद के विरुद्ध शिकायती पत्र

144–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वि0 सभा के द्वितीय सत्र 85 के पहले बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न संख्या–17 के प्रत्युत्तर के सन्दर्भ में शिकायत के मुख्य-मुख्य बिन्दु क्या थे, किस अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे तथा किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गयी है एवं क्या जांच के समय शिकायतकर्ता को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है? वर्ष 1983 में सरयू नहर खण्ड प्रथम फैजाबाद-गोण्डा (बलरामपुर) तथा बस्ती में 10 ट्यूबलर ट्रेसेस की खरीद किस एजेंसी से की गयी है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

शिकायतकर्ता श्री राम कुमार अवस्थी द्वारा की गयी शिकायतों के मुख्य-मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार थे :–

1–ट्यूबलर ट्रेसेस हेतु आमंत्रित निविदा के विरुद्ध प्राप्त दर को उच्च दर मानते हुए निविदा को निरस्त करके कुछ समय पश्चात् मेसर्स टेक्नोटावर–झांसी एवं मेसर्स बिहारी इंजीनियरिंग, कानपुर से अधिक दर पर ट्रेसेस की आपूर्ति लेकर सरकारी धन का अपव्यय किया गया।

2–शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायतों पर कोई कार्यवाही न करना।

3–संबंधित अभियन्ता द्वारा शिकायतकर्ता के पीछे गुण्डे लगाये जाने से संबंधित।

तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे।

जांच दूसरे अधिशासी अभियन्ता जिसके पास अधीक्षण अभियन्ता-दशम मण्डल, सिंचाई कार्य, फैजाबाद का कार्यभार भी था के द्वारा की गई।

जी नहीं।

वर्ष 1983 में सरयू नहर खण्ड-प्रथम, फैजाबाद, बस्ती/द्वितीय बस्ती में ट्यूबलर ट्रेस की आपूर्ति हेतु डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर, उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर को मांग-पत्र भेजा गया था जिन्होंने निम्नलिखित फर्मों को आपूर्ति हेतु आदेश निर्गत किये :–

1–मेसर्स टेक्नोटावर प्रा0 लि0–झांसी–8 अदद।

2–मेसर्स बिहारी इंजीनियरिंग कानपुर–2 अदद।

145–श्री मित्रसेन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि उद्योग निदेशक सामग्री क्रय अनुभाग उ0 प्र0, कानपुर ने अधिशासी अभियन्ता अपलजगढ़ सिंचाई खण्ड, मुरादाबाद उ0 प्र0 को सम्बोधित करते हुए ट्यूबलर सेडीमेंटेशन सेड की खरीददारी हेतु सामग्री क्रय अनुभाग उद्योग निदेशालय, कानपुर को ही एक मात्र अधिकृत एजेंसी अपने पत्र सं0 एस0 पी0 एस0 19(मिस) 79–80 नवम्बर

कानपुर, 79 द्वारा बताया है तथा क्या उक्त आशय का पत्र, सरयू नहर निर्माण खण्ड प्रथम, फैजाबाद, को भी प्राप्त हुआ है यदि हां, तो सरयू नहर खंड फैजाबाद गोण्डा (बलरामपुर) एवं बस्ती में वर्ष 1983 में 10 ट्यूबलर ट्रेसेस की अन्य एजेंसी से खरीद करने का क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह–

सरयू नहर खण्ड-प्रथम, फैजाबाद में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता है।

बरेली जिले के नलकूपों की संख्या एवं असफल नलकूप

146–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में मार्च, 85 तक कितने नलकूप लगे थे? उनमें से कितने इस वर्ष खराब पड़े हैं? उन्हें क्या शीघ्र ठीक करा दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मार्च, 1985 तक जनपद बरेली में कुल 441 नलकूप छिद्रित थे।

उनमें से दिनांक 25-1-86 को 13 नलकूप पूर्णतया फेल, 2 नलकूप परित्याग के लिए प्रस्तावित, 4 निर्माणाधीन नलकूपों का ऊर्जीकरण अवशेष तथा 42 नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 11 विद्युत दोष से अस्थायी रूप से बन्द हैं।

केवल दो परित्याग के लिए प्रस्तावित नलकूपों को छोड़कर शेष नलकूपों को शीघ्र ठीक करा दिया जायेगा। फेल नलकूपों का पुनः निर्माण भी जनपद प्लान के प्राविधान के अनुसार शीघ्र किया जायेगा।

उक्त दो नलकूप 17 व 18 बरेली का परित्याग निम्न कारणों से किया जाना है :–

1–17 बरेली नलकूप का 255 एकड़ क्षेत्र अब नगर के सीवर वाटर लाइन द्वारा सींच किया जा रहा है। अतः इस कूप का पुनः निर्माण राजकीय हित में नहीं है।

2–18 बरेली नलकूप के कमाण्ड की लगभग समस्त भूमि रामलीला मैदान, हाटमैन कालेज आबादी, चूना व ईंट भट्टा आदि में निकल गई है। अत इस कूप का पुनः निर्माण राजकीय हित में नहीं है।

147–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में मार्च, 1984–85 में कितने सरकारी नलकूप थे उनमें से कितने इस वर्ष खराब पड़े हैं तथा कितने नए लगाए गये हैं? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में जो नलकूप खराब पड़े हैं उन्हें शीघ्र ठीक करा दिया जायगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

मार्च, 1985 जनपद बरेली में कुल 441 नलकूप छिद्रित थे। इनमें से दिनांक 25-1-1986 को 13 नलकूप पूर्णतया फेल, 2 नलकूप परित्याग के लिए प्रस्तावित हैं, 4 निर्माणाधीन नलकूपों का ऊर्जीकरण अवशेष हैं तथा 42 नलकूप यांत्रिक दोष से एवं 11 नलकूप विद्युत दोष से अस्थायी रूप से बन्द हैं।

वर्ष 1984-85 में 12 नये नलकूपों का छिद्रण किया गया तथा 15 नलकूप, नलकूप निगम द्वारा हस्तान्तरण पर आये हैं।

जी हां, दो परित्याग के लिए प्रस्तावित नलकूपों को छोड़कर जिनका परित्याग निम्न कारणों से किया जाना है:

1–17–बरेली नलकूप 255 एकड़ क्षेत्र अब नगर के सीवर वाटर लाइन द्वारा सींचा जा रहा है। अतः इस कूप का पुनः निर्माण राजकीय हित में नहीं है।

2–18–बरेली नलकूप के कमाण्ड की लगभग समस्त भूमि रामलीला मैदान, हाटमैन कालेज, आबादी, चूना व ईंट भट्ठा आदि में निकल गई है। अतः इस कूप का पुनः निर्माण राजकीय हित में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली, सिंचाई विभाग डाक बंगले (विश्राम गृहों) के रखरखाव पर व्यय की गयी धनराशि

148–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद में सिंचाई विभाग के कितने डाक बंगले (विश्राम गृह) हैं? उनके रख-रखाव में कितना खर्च प्रतिवर्ष होता है और उन डाक बंगलों में वर्ष 1984-85 में कितने लोग ठहरे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह–

बरेली जनपद में सिंचाई विभाग के 22 निरीक्षण भवन हैं।

इनके रख-रखाव पर गत 3 वर्षों में हुआ खर्च निम्नवत् है :–

1982-83	रु0 9,833/-
1983-84	रु0 3,031/-
1984-85	रु0 13,890/

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार इन निरीक्षण भवनों में वर्ष 1984-85 में 205 अधिकारी ठहरे थे।

प्रश्न नहीं उठता है।

सिंचाई विभाग के कार्मिकों की प्रोन्नति हेतु चयन समिति का गठन

149–श्री दीपचन्द्र सोनकर–

विधान सभा, 1985 के द्वितीय सत्र के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या–157 के उत्तर के सन्दर्भ में सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-11-83 के शासनादेश का क्या विषय है और किस प्रकार इसके द्वारा पात्रता क्षेत्र बनाया गया था? क्या सरकार इस शासनादेश को सदन के पटल पर रखेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह–

दिनांक 30-11-83 के शासनादेश का विषय निम्न प्रकार है :–

"राज्याधीन सरकारी सेवा में सेवारत कार्मिकों की प्रोन्नतियों के लिये होने वाले चुनावों में कार्मिकों को अवक्रमित करने, बन्द लिफाफे की कार्यवाही का प्रयोग करने आदि की प्रक्रिया का निर्धारण"।

इस राजाज्ञा दिनांक 30-11-83 के प्रस्तर–1 में आदेश दिये गये हैं कि पदोन्नति हेतु गठित चयन समिति द्वारा उन सभी कार्मिकों के प्रोन्नति के संबंध में विचार किया जायेगा जो नियमानुसार विचारार्थ पात्रता सूची में आते हैं। रिक्तियों को दृष्टिगत करते हुए पात्रता सूची में कितने अधिकारियों के नाम सम्मिलित किये जायेंगे उनका अनुपात शासनादेश संख्या-5289 ए/23-आई0ए0-1(213)/71, दिनांक 3 अगस्त, 1971 में दिया गया है।

उपरोक्त दोनों शासनादेशों की प्रतियां संलग्न हैं †

† छापी नहीं गई।

सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को भवन निर्माण हेतु दिया गया ऋण

150—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सिंचाई विभाग में भवन निर्माण हेतु ऋण लेने में प्रार्थना-पत्र देने की तिथि से 10 से 15 वर्ष का समय लग जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपने कर्मचारियों को ऋण सुविधा बढ़ाने के लिए ऐसे प्रबन्ध करेगी कि ऋण प्रार्थना-पत्र देने के एक वर्ष के अन्दर मिल जाय ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भवन निर्वाण अग्रिम हेतु उपलब्ध धनराशि के अनुपात में आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने के कारण ऋण स्वीकृत किये जाने में पर्याप्त समय लग जाता है क्योंकि यह एक आयोजनागत योजना है और अन्य योजनाओं की तुलना में इसे अपेक्षित वरीयता प्रदान नहीं की जा सकी है ।

सीमित संसाधनों को दृष्टि में रखते हुए प्रस्तावित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना सम्भव नहीं है ।

सिंचाई विभाग, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) की अधीक्षण अभियन्ताओं के पदों पर पदोन्नति

151—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता (सिविल के 24 पदों को अधीक्षण अभियंता (सिविल) के रूप में दिनांक 31-12-84 से दि0 30-9-86 तक ही क्यों उच्चीकृत किया गया ? क्या सरकार इन उच्चीकृत पदों को निरन्तर बनाए रखने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के 24 पदों को अपरिहार्य कारणों से विशेष परिस्थितियों में दिनांक 31-12-84 से 30-9-86 तक की अवधि के लिए अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रूप में उच्चीकृत किया गया है । उच्चीकृत पदों पर कार्यरत अधीक्षण अभियन्ताओं को अनुमानित सामान्य रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 30-9-86 तक समायोजित कर लिया जायेगा । उच्चीकृत पदों को निरन्तर बनाये रखना प्रस्तावित नहीं है ।

अतः आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है ।

सिंचाई विभाग को पत्थर निकालने हेतु कटियारा गौड़ी कावेरी, बहराइच में स्थान की बन्दी

152—श्री दीपचन्द्र सोनकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कटियारा गौड़ी कावेरी (बहराइच) जो सिंचाई विभाग को पत्थर निकालने हेतु कार्य आवंटित किया गया था, क्यों बन्द कर दिया गया ? इस कार्य के बन्द हो जाने से क्या सिंचाई विभाग पत्थरों की आपूर्ति हल्द्वानी से करेगा जिस पर प्रदेश का अरबों रुपया अतिरिक्त व्यय होगा ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कटियारा गौड़ी कावेरी (बहराइच) का प्लाट नं0 90 जो सिंचाई विभाग को पत्थर निकालने हेतु आवंटित किया गया था वह वन विभाग द्वारा अक्टूबर,

1983 में पशु बिहार के सम्बन्ध में वन संरक्षण-अधिनियम 1980 के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया । जी हां, कटियारा गौड़ी कावेरी के बन्द होने से पत्थरों की आपूर्ति हलद्वानी से करनी होगी जिसके फलस्वरूप प्रदेश को अतिरिक्त व्यय करना होगा । दूर से पत्थर की ढुलाई के कारण अतिरिक्त व्यय करना होगा ।

वाराणसी, भदोही ऊलेन मिल मजदूर यूनियन का ज्ञापन

153—श्री राजकिशोर सिंह—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें एक राजकीय प्रतिष्ठान मेसर्स भदोही ऊलेन्स लि0, भदोही, जिला वाराणसी के श्रमिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में भदोही ऊलेन मिल मजदूर यूनियन (सम्बद्ध सी0 आई0 टी0 यू0) वाराणसी का एक ज्ञापन दिन 7-4-84 प्राप्त हुआ था, जिसमें पक्षों को अपने समक्ष बुलाकर श्रमिक समस्याओं के समाधान की मांग की गयी थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्रमिकों के 8 सूत्रीय मांग-पत्र दिनांक 6-12-84 के सम्बन्ध में श्रम विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

भदोही ऊलेन मिल मजदूर यूनियन के ज्ञापन दिनांक 7-4-85 पर जांच करायी गयी । न्यूनतम वेतन के अंतर्गत निर्धारित वेतन से कम वेतन के भुगतान के मामले में सेवायोजकों के विरुद्ध निर्देश वाद दायर किया गया था जो निर्णित हो चुका है । प्रतिष्ठान का निरीक्षण औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत तथा कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत भी किया गया । जहां तक श्रमिकों के ज्ञापन दिनांक 6-12-84 का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद नियमावली, 1957 के नियम 4 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ।

व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मेरी व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, उत्तर तो आ जाने दें ।

(व्यवधान)

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

(12 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सरदार सिंह जी, अभी नियम 301 हो लेने दें उसके बाद आप कहें। मद के हिसाब से चलने दीजिये ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

प्रश्नों के सम्बन्ध में है ।

विकास क्षेत्र धनौरा, मुरादाबाद में 'बाह' नदी पर पुल-निर्माण की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत 30 सूचनाएं आज प्राप्त हुई हैं जिसमें से मैंने 7 स्वीकार की हैं जो श्री कौशिक रमाशंकर श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री गोपाल दास यादव, श्री विजय सिंह राणा, श्री राजेन्द्र शर्मा, श्री राजकिशोर सिंह तथा श्री गया प्रसाद वर्मा की हैं ।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मुरादाबाद के अंतर्गत धनौरा ब्लाक के ग्राम मोहसनपुर, मुकारमपुर, रसूलपुर, पपसरी आदि ग्रामों के हजारों व्यक्तियों के असामान्य जीवन जीने और वर्ष में बरसात के चार माह में तहसील, जनपद तथा अन्य स्थानों से अलग-थलग पड़कर उनकी भयावह पीड़ा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

उक्त ग्रामों तथा जनपद के अन्य क्षेत्रों के बीच में एक 'बाह' नदी पड़ती है । उक्त नदी पर मीलों तक कोई पुल नहीं है । जिसके कारण हजारों लोग वर्ष भर पानी में से होकर गुजरते हैं और बरसात के 4 माह तो उक्त गांवों का वह पूरा क्षेत्र एक तरफ 'गंगा' दूसरी तरफ 'बाह' नदी के कारण एक द्वीप बन जाता है और हजारों लोगों का जीना दूभर हो जाता है । किसी हाट, बाजार, तहसील मुख्यालय अथवा जिला मुख्यालय, अस्पताल आदि-आदि स्थानों को आना जाना असंभव हो जाता है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुरादाबाद ने एक सर्वे कराया था और शासन को सूचित किया कि उक्त बाह नदी पर 36 मीटर का एक पुल और 3 कि0मी0 की कच्ची सड़क आवश्यक है, किन्तु इस पुल के निर्माण को राज्य सैक्टर के अंतर्गत किया जाना है । किन्तु मान्यवर, खेद है कि इस दिशा में शासन ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है । यहां, मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उक्त गांवों में से कई गांवों की आबादी 3,4 हजार तक है तथा इन सभी गांवों में निर्बल वर्ग अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या बहुतायत में है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शासन से अनुरोध करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति एवं बड़ी आबादी के गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ने की शासन की नीति का पालन करते हुए बाह नदी पर तुरन्त पुल और सड़क का निर्माण कराया जाय ।

बाराबंकी जनपद में शारदा सहायक पोषक नहर के गलत निर्माण से कतिपय क्षेत्रों में जलभराव के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं ।

जनपद बाराबंकी में पिछले सितम्बर की भयंकर बाढ़ और जलभराव का प्रमुख कारण शारदा सहायक पोषक नहर का गलत निर्माण था । ज्ञात रहे कि जनपद बाराबंकी में इस क्षेत्र में मात्र दो छोटी नदियां कल्यानी और रेठ नाम की हैं अबकी बार उन गांवों में छतों तक पानी भर गया जहां पर उपलब्ध जानकारी में कभी पानी नहीं गया था ।

जनपद बाराबंकी में पानी का प्राकृतिक बहाव पश्चिम से पूरब की ओर है शारदा सहायक पोषक नहर बनाकर जनपद में उत्तर से दक्षिण तक 50 कि0 मी0 की दीवार खड़ी कर दी गयी है और इतने लम्बे क्षेत्र में पानी निकास के लिए केवल तीन साइफन (दो कल्यानी नदी पर एक रेठ नदी पर) बनाये गये हैं । प्राकृतिक बहाव का मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण जनपद के सैकड़ों गांवों की करोड़ों रुपयों की संपत्ति की क्षति हुई है । नहर के पश्चिम के गांव ही बाढ़ में तबाह हुए हैं और इस क्षेत्र के लोगों के लिए जल-

भराव और बाढ़ का खतरा सदैव के लिए उत्पन्न हो गया है ।

अतएव मैं शासन से मांग करता हूं कि वर्षा ऋतु में नहर के पश्चिम का पानी निकालने हेतु शारदा नहर में इन-लेट बनाये जायं ।

इलाहाबाद जनपद के दामपुर ब्लाक चायल स्थित रैपर (पुलिया) के निर्माण में विलम्ब के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए तत्काल पूर्ति की अपेक्षा करते हैं । इलाहाबाद जनपद के दामूपुर ब्लाक चायल इलाहाबाद स्थित रैपर (पूलिया) का निर्माण विगत एक वर्ष से हो रहा है । काफी धन व्यय हो चुका है । तब भी निर्माण कार्य अधूरा है । लोगों को आने-जाने में अत्यन्त कष्ट का अनुभव हो रहा है । इस संबंध में कई बार धरना, प्रदर्शन व घेराव जनता कर चुकी है । अधिकारीगण टालमटोल कर रहे हैं । जनता उत्तेजित है । अतः तत्काल हस्त-क्षेप करके निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने का सरकार को निर्देश देने की कृपा करें ।

आगरा और मथुरा जनपद में आलू की फसलों में रोग लगने तथा उपचार की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन और शासन का ध्यान आगरा और मथुरा जनपद के किसानों की एक गंभीर समस्या की ओर ले जाना चाहता हूं, जिससे गरीब किसान आज खून के आंसू रो रहा है। आगरा और मथुरा जनपद में आलू का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है किन्तु आलू की खेती में झुलसा रोग लग जाने से सम्पूर्ण आलू की फसल खेतों में पड़ी सूख रही है किन्तु प्रशासन तंत्र मूक दर्शक बना हुआ है। आज तक रोग की रोकथाम के लिये कोई कार्यरत प्रयास नहीं किये गये हैं । जिला कृषि अधिकारी व जिला प्रशासन से बार-बार रोग नाशक दवाओं के छिड़काव के लिए पुकार की गयी है किन्तु सब अरण्य रोदन ही सिद्ध हुआ है ।

आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि बृहद पैमाने पर दवाओं के छिड़-कवाने की व्यवस्था की जाय और रोग की रोकथाम के लिए तुरन्त प्रभावी कदम उठाये जायें । अन्यथा किसान जनता बुरी तरह तबाह हो जायेगी ।

परतापुर पालीटेक्निक, मेरठ के गत पांच माह से बन्द होने से विद्यार्थियों की क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र शर्मा–

मान्यवर, मैं अत्यन्त लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि परता-पुर पालीटेकनिक मेरठ, पांच माह से बन्द होने के कारण छात्रों की भारी हानि हो रही है । छात्र अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर हैं, स्कूल और कालिजों में भी इसके कारण अशांति बढ़ रही है, करीब 650 तकनीकी विद्यार्थियों का जीवन नष्ट हो रहा है । प्राचार्य की हठधर्मी के कारण कालिज बन्द है और अशांति को बढ़ावा मिल रहा है । मैं सरकार के ज्ञान में यह तथ्य इसलिये ला रहा हूं कि अविलम्ब छात्रों के निष्कासन को वापस लेकर कालिज खुलवाया जाये और पढ़ाई को सुचारु रूप से प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जाये, जिससे छात्रों का वर्ष बरबाद होने से बच सके ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुद्धी क्षेत्र, मिर्जापुर में लाह विकास योजना के बन्द होने से हजारों आदिवासियों में भुखमरी के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजकिशोर सिंह–

मान्यवर, 1985-86 में बजट न मिलने से लाह विकास योजना में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आदिवासियों के सामने संकट पैदा हो गया है। उनको 7 माह से वेतन नहीं मिल रहा है। हजारों आदिवासी गरीब परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। आदिवासियों में हाहाकार मचा हुआ है। योजना की समाप्ति के परिणाम स्वरूप करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा की क्षति तो होगी ही हजारों भूमिहीन आदिवासी परिवार बेरोजगार हो जायेंगे।

अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाते हुए, योजना को समाप्त न करने व शासन से 85-86 तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लाह विकास योजना के लिये बजट आवंटन की मांग करता हूं।

आलू की फसल में प्रदेश व्यापी रोग के लगने से उत्पादकों को क्षतिपूर्ति की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में इस वर्ष सरकार एवं कृषि विभाग की लापरवाही से आलू की फसल में बीमारी पैदा हो गयी है। लाखों एकड़ जमीन का आलू नष्ट हो गया है। उदाहरणार्थ इटावा जनपद में जसवंत नगर एवं इकदिल की परिधि में हजारों एकड़ जमीन में आलू बोया जाता है। फसल नष्ट होने से लाखों रुपये की क्षति होने जा रही है। इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इटावा जनपद एवं अन्य जिलों के आलू उत्पादकों को क्षति पूर्ति करायी जाय जिससे किसानों को भुखमरी की कगार से बचाया जा सके अन्यथा किसान भूखों मर जायेगा।

कृपया अपने स्तर से इस पर तुरन्त सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश प्रदान करेंगे।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष –

नियम 300 के अन्तर्गत . . . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मैंने नियम 300 में एक सूचना दी है, इसमें . . . .

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मैंने नियम 300 में आपको जो सूचना दी है . . . .

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश –

मान्यवर, मेरा आपसे एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मैंने एक लिखित सूचना आपको नियम 300 में दी है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह –

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . . .

श्री अध्यक्ष –

पहले आप सब लोग बैठ, फिर मैं एक-एक कर सबको सुनूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(सभी खड़े सदस्यों के बैठ जाने पर)

शतरुद्र प्रकाश जी, आप किस सम्बन्ध में कहना चाहते हैं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश –

सवाल जवाब के बारे में मैं व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित कर रहा था, वह आपके मुताबिक औचित्य का प्रश्न है . . .

श्री अध्यक्ष –

जब औचित्य का प्रश्न आयेगा, उस समय मैं इसे देखूंगा । अभी आप बैठें ।

नियम 300 में सर्वश्री राजेन्द्र गुप्त, देवेन्द्र कुमार सिंह और हरिश्चन्द्र, हरीश जी की एक सूचना है। दूसरी है शतरुद्र प्रकाश जी की, तीसरी है मित्रसेन जी की, चौथी है रघुवर दयाल वर्मा जी की, पांचवी है माननीय देवेकुमार यादव की, छठी है माननीय सत्यपाल सिंह जी की, सातवीं है यदुनाथ सिंह जी की, आठवीं है अशोक कुमार बाजपेयी जी की और नवीं है माता प्रसाद पाण्डेय जी की । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो प्रश्न उठाया है, इससे कोई संविधान का . . .

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अध्यादेश, 1986 के तहत ललितपुर जिले के एक वकील को गिरफ्तार किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

नियम 300 आप देख लें, उसे मैं पढ़ रहा हूं, उसके बाद ही आप कुछ कहें ।

श्री अध्यक्ष –

मैं बहुत अदब के साथ आपसे कहना चाहता हूं, कृपा करके आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष –

मैं आपको बहुत काबिल और समझदार वकीलों में से समझता हूं । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उसके अन्तर्गत यह नहीं आता है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

नियम 300 आप देख लें, उससे यह संगत है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष –

मैं बड़े अदब से आपसे कहना चाहता हूं . . .

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

नियम 300 आप देख लें, बिना देखे कैसे चलेगा ?

श्री अध्यक्ष –

यह क्या उसके अन्तर्गत किसी तरह आता है, इतना आप देख लें ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

यह आता है । मैं केवल यही आपको बताऊंगा कि नियम 300 में यह कैसे आता है और कोई बात नहीं कहूंगा । नियम 300 में लिखा है-"(1) औचित्य का प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनमें सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो,

(2)औचित्य का प्रश्न तत्समय सदन के समक्ष कार्य के सम्बन्ध में उठाया जा सकेगा ।" और इसमें आगे साफ लिखा है कि ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । तो जो आपके संज्ञान में है, वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। उस एक दिन इस सदन में आपकी अनुमति से मैंने एक औचित्य का प्रश्न उठाया है, जो उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अध्यादेश सदन में पेश होना था, उस पर उस समय आदरणीय सदन में मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस काले अध्यादेश का दुरुपयोग राजनीतिक क्रियाकलापों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के बारे में नहीं किया जायेगा । मैं इस सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कल इस अधिनियम में गिरफ्तार कर लिया जाए तो मेरे साथी कहेंगे कि यह बहुत अच्छे आदमी हैं, किन्तु सरकार कहेगी कि यह गुंडा है । जनपद ललितपुर में बार एसोसिएशन के मंत्री श्री जैन ने सी0पी0सी0 की धारा 80 में एस0 डी0 एम0 को एक नोटिस दी .... (व्यवधान)

मान्यवर, एस0डी0एम0 ने उस नोटिस के ऊपर अध्यादेश जारी कर दिया । तो फिर अब काम कैसे चलेगा अगर इस तरह से कार्यवाही होगी ।

श्री अध्यक्ष –

मैं इसको स्वीकार नहीं कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, आज मैं नहीं बैठूंगा । आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी बात कहूंगा । वकीलों के काम करने में **व्यवधान पैदा किया जा रहा है । आप** अनुमति नहीं दे रहे हैं । आप भी अगर मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिख देंगे तो आपके ऊपर भी अध्यादेश आयद हो जायेगा वह बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । बगावत को मैंने अपना कर्तव्य समझ लिया है । मैं अपनी बात कहूंगा । मैं नहीं बैठूंगा चाहे आप मुझे सदन से निकाल दें ।

श्री अध्यक्ष –

इस औचित्य के प्रश्न को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, आप सुन लें । एक वकील ने लिखा कि आप नाजायज कब्जा करा रहे हैं तो अध्यादेश लागू हो गया ।

श्री जयदीप सिंह बरार –

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। (शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मान्यवर, संविधान के तहत सी0आर0 पी0 सी0 बनी है । मैं समझता हूं कि चाहे मुझे सदन की सदस्यता से निकाल दिया जाय लेकिन इतने महत्वपूर्ण मामले को बिना लाये मैं नहीं बैठूंगा । अगर मैं इसको नहीं उठाऊंगा तो राजेन्द्र गुप्त द्वारा सदस्य के कर्तव्य की हत्या करना है । मैं अपने कर्तव्य की हत्या कराने के लिए तैयार नहीं हूं ।

(मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, आप सुन लें । आप सुनेंगे तो मुझे साधुवाद देंगे, मेरी तारीफ करेंगे कि राजेन्द्र गुप्त ने बड़ा महत्वपूर्ण मामला दिया है । इसके लिए आप आभार प्रकट करेंगे ।

श्री खान गुफरान जाहिदी –

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष –

कहिए ।

श्री खान गुफरान जाहिदी –

अध्यक्ष महोदय, जिस नियम का हवाला दिया गया है उस नियम के अन्तर्गत यह नहीं दिया गया है उस नियम के अन्तर्गत यह नहीं आता है । इसलिए नहीं आता है कि इसमें किसी व्यवस्था या कांस्टीट्यूशन के किसी अनुच्छेद का जिक्र नहीं है । सदन के संज्ञान में भी कोई चीज नहीं है । अगर कोई बाकया बाहर हुआ है तो बिल पेश है उस पर बहस के दौरान बात की जा सकती है । मान्यवर, आपने इस पर निर्णय ले लिया है । आपने इसको स्वीकार नहीं किया तो अपनी बात जोर जबरदस्ती कहलवाने का क्या तुक है । यह नियमों के अन्तर्गत नहीं है । हमें तो यहां पर नियमों के अनुसार चलना है ।

हम सब नियमों से बंधे हैं । यह नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त –

मैं आदरणीय सदन के सदस्यों के सम्मान के लिए खड़ा हुआ हूं आप मेरी बात अवश्य सुन लें ।

*श्री जयदीप सिंह बरार –

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मुझे सुन लें ।

श्री अध्यक्ष –

फरमाइये ।

श्री जयदीप सिंह बरार –

मान्यवर, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने नियमों के अन्तर्गत इसको उठाने की आज्ञा नहीं दी । उसके पश्चात् वह बोलते रहे । आपने फिर कहा कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है लेकिन वह फिर बोलते रहे । तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि आखिर आपकी अनुमति के बिना यदि कोई माननीय सदस्य बोलता है तो क्या वह कार्यवाही में लिखा जायेगा ?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के बाद आपने जाहिदी साहब को मौका दिया तो उसके पश्चात् वह फिर खड़े हो गये । तो क्या किसी को दोबारा जवाब देने का अधिकार नियमों में या किसी रूलिंग में आज तक दिया गया है ? यह व्यवस्था कहां पर रही है?

तीसरी बात मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया तो उन्होंने आपका ध्यान नियम 300 की ओर आकर्षित किया । नियम 300 का जो भाग उन्हें अच्छा लगा उसको उन्होंने पढ़ दिया। तो जो उनको अच्छी नहीं लगी उसकी ओर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया।

(व्यवधान)

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, हमारा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, नियम 300 की उप धारा (1) को मैं पढ़ता हूं उसमें साफ दिया है कि "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।" (शोर)

मान्यवर, सदन का कार्य नियमों के तहत होता है, इसमें दिया गया है कि ऐसे अनुच्छेदों के, जिनके अंतर्गत सदन का कार्य विनियमित होता है और वह बात सदन के अध्यक्ष के संज्ञान में हो लेकिन मा0 गुप्ता जी ने जो प्रश्न उठाया है उसका यहां से कोई संबंध नहीं है, केवल व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था फैलाना है । वैसे अगर कोई अपनी बात कहना चाहता है तो तमाम नियम हमारे सामने हैं, उनके तहत यदि उनकी वह बात उस नियम में आती हो तो उठाए बहुत से मौके हमें दिये गये हैं । इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस संबंध में आप अपनी व्यवस्था देने का कष्ट करें ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय गुप्ता जी ने सवाल उठाया है वह संविधान के तहत सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत एक वकील ने एक नोटिस दिया है । इसको लेकर जिलाधिकारी उस वकील को गिरोहबन्दी कानून के अंत-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गति बन्द कर रहे हैं तो मान्यवर, मामला यहां से संबंधित है ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, इसका सीधा संबंध आप से है क्योंकि संविधान के तहत एक वकील ने एक नोटिस दिया है, उस नोटिस को लेकर गिरोहबंदी कानून के अन्तर्गत जिलाधिकारी उसे बन्द करने की बात कर रहे हैं तो मान्यवर, यह मामला संविधान के विरुद्ध है या नहीं ?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

आपकी समझ में नहीं आ सकता है आप बैठ जाइए ।

*ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

मान्यवर, इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने आपके सामने बात रखी कि यह मामला नियम के अन्तर्गत नहीं आता है। श्री बरार साहब ने भी नियमों को पढ़ते हुए आपनी बात कही, फिर भी मान्यवर, यह लोग बराबर उसी पर बोल रहे हैं तो मान्यवर यह सदन नियमों से चलेगा या इनके अनुसार अदालतों की तरह यह सदन भी चलेगा । मान्यवर, इस पर आपकी व्यवस्था आ जाए ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

श्रीमन्, नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि नियम 300 के अंतर्गत सदन में जो कार्यवाही हो रही हो और उसमें यदि कोई औचित्य के प्रश्न की बात आती है और जिससे सदन का कार्य विनियमित होता हो, तो यह ठीक है, हम मानते हैं लेकिन सदन में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा चूंकि यह घोषणा आ चुकी है कि हम इस बात का आश्वासन देते हैं कि इस अध्यादेश का दुरुपयोग किसी पर भी नहीं होगा अब चूंकि यह बात सदन में आ गयी है जब यह घोषणा यहां हो चुकी तो उसके तहत हम लोग अपनी बात यहां कह सकते हैं यह हमारा संवैधानिक अधिकार है । उस वकील के प्रति जो आपकी मशीनरी चाहे वह जिलाधिकारी या कार्य पालिका की शक्ल में कोई और अधिकारी हो या किसी अन्य शक्ल में वह उस अध्यादेश का प्रयोग कर रहे हैं मुख्य मंत्री की घोषणा के बाद और मुख्य मंत्री का पद कार्यपालिका में सर्वोच्च है । तो ऐसी स्थिति में यह औचित्य का प्रश्न बनता है, इस पर आप कृपा करके ध्यान दें ।

श्री मुलायम सिंह यादव –

मान्यवर, मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहता हूं। एक तो यह नियम 300 में आता है, सिविल प्रोसीजर कोड भी संविधान के अंतर्गत ही बना हुआ है। एक वकील ने नियम के अंतर्गत एस0 डी0 एम0 को नोटिस दिया। मान्यवर, जो गलत काम कर रहा है, उसको नोटिस दिया गया, तो वह गिरोहबन्द अधिनियम के तहत धमकी दे रहा है। जब आप माननीय मुख्य मंत्री जी यह बार-बार घोषणा करते हैं, सरकार बार-बार घोषणा करती है कि अध्यादेश का दुरुपयोग नहीं होगा और हम लोग लगातार यह कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। इसलिए दुरुपयोग रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? वह नियम आप बता दें, जिसके अंतर्गत हम इसको रख सकें?

दूसरे मान्यवर, मुख्य मंत्री जी आ गये हैं। वकीलों के खिलाफ इसका पूरा दुरुपयोग हो रहा है। इसी तरह से चौधरी शंकर सिंह के खिलाफ इसका पूरा दुरुपयोग किया गया, जिसको मैंने सदन में रखा था। अगर नियम बाधक है, तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसको निलंबित कर दें और इसको गम्भीरता से मान्यवर, लीजिए। यह सरकार बिलकुल निरंकुश हो गयी है। मान्यवर, बेईमानी और भ्रष्टाचार करने वाले लोगों के खिलाफ कोई बात कही जायगी, तो अध्यादेश, और अगर सरकार के खिलाफ कोई बात कही जायगी, तो अध्यादेश। इसलिए मान्यवर, इससे जनतंत्र को बहुत बड़ा खतरा हो गया है। इसलिए आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए और माननीय राजेन्द्र गुप्त को बोलने की इजाजत देनी चाहिए।

*डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल –

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त ने कोई औचित्य का प्रश्न उठाया। आपने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी कि मैं अस्वीकार करता हूं। इस औचित्य के प्रश्न के लिए आपने दो बार कह दिया कि मैं इसे अस्वीकार करता हूं। उसके बाद क्या माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह उस विषय पर चर्चा करें और वह कार्यवाही का अंग बन जाय ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, प्रार्थना करना हमारा संसदीय अधिकार है। मैंने मान्यवर, पुनर्विचार करने की प्रार्थना की है।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो व्यवस्था आपने दे दी है, उसकी बहस की तरफ मैं नहीं जाऊंगा। यहां पर वह विषय आ गया है और माननीय नेता विरोधी दल ने, माननीय नेता जनता पार्टी ने उस विषय को यहां पर रख दिया है। हम सारे लोगों ने उसके तथ्य के बारे में जानकारी की है। जनहित का एक सवाल जब सदन के संज्ञान में आ गया और उसके गुण-अवगुण के बारे में यहां पर बहस हो गयी, तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण और कोई बात नहीं हो सकती। जो गिरोहबन्दी कानून है, उसका इस्तेमाल वकीलों को बन्द करने में किया जायगा, तो वह यहां पर नहीं उठाया जायगा, तो वह किस नियम में, कहां पर उठाया जायगा ? अगर माननीय राजेन्द्र गुप्त ने उस विषय को यहां पर उठा दिया, तो मैं आपसे यह गुजारिश करूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें,-----जनहित के सवाल पर कोई व्यवस्था दें। सरकार अपने वायदे से न मुकरे। सरकार ने लोकतन्त्र की मान्यताओं का हनन किया है। मुख्य मंत्री अपने वायदे से मुकर रहे हैं।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप मुझे सदन से निकाल दें। अधिकार के लिए बगावत करना कभी-कभी फर्ज बन जाता है।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

यह आचरण ठीक नहीं है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आप मेरी बात सुन लें, कोई असंसदीय बात हो उसको निकाल दें।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुनेंगे गुप्ता जी, मैंने जो आपसे अर्ज किया कि यह विषय यह प्रश्न नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आता।

(मेजों की थपथपाहट)

फिर भी आपने बात उठाई है तो मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक वकील ने नोटिस दिया.....

(घोर व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, जो कुछ कहा जा रहा है आपके फैसले के बाद कहा जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया है कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसमें मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

(घोर व्यवधान)

दिनांक 6-2-86 को सदन में घटी घटना के सम्बन्ध में थाना हजरतगंज में कुछ सदस्यों के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट के विषय में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष –

प्रश्न नम्बर–2 पर क्या कहना है?

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है, इसके पहले एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उस विषय पर इस सदन में यह निर्णय हो गया था कि नेताओं की बैठक में यह सब मामले हल किए जायेंगे और आज मैंने नेताओं की बैठक बुलाई है। उसमें यह विषय रखा जाएगा, यह सदन का निर्णय है।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह सदन का निर्णय नहीं है। मैंने एक औचित्य का प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत किया, सदन की कार्यवाही चलते या सदन जब बैठा हो तो अध्यक्ष की सहमति या अनुमति के बगैर सदन की कार्यवाही के दौरान जो घटना घटित होती है तो क्या उसके बारे में सदन के बाहर कोई रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है?

(व्यवधान)

मान्यवर, जो कल मैंने औचित्य का प्रश्न उपस्थित किया था उसमें आपने कोई व्यवस्था नहीं दी थी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अर्ज किया कि नेताओं की बैठक में, जितने भी इस किस्म के मामलात हैं उनको रखा जाएगा, जो बैठक में तय होगा वही निर्णय लिया जाएगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप नियम–300 को देख लीजिए उसमें बात नहीं आएगी तो नहीं कहूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

एक चीज तय हो चुकी है।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र गुप्त–

मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(राजेन्द्र गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब तय हो गया कि नेताओं की बैठक में इसको रखा जाय, फिर उठाने का. . . .

(व्यवधान)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

[***]

श्री अध्यक्ष–

यह जो बोल रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

अध्यक्ष महोदय, यह आप पर आरोप है।

(श्री यदुनाथ सिंह, श्री कमलेश कुमार पाठक तथा लोक दल के अन्य सदस्यों द्वारा अध्यक्ष के आसन की ओर जाने से घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 20 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(इस समय 12 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिये स्थगित हुई। 1 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष द्वारा सदन का स्थगन 30 मिनट तक और बढ़ाये जाने की सूचना मार्शल ने सदन को दी। 1 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 30 मिनट के लिये और बढ़ा दिया है। 2 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 2 बजकर 45 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 15 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 3 बजकर 15 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 3 बजकर 30 मिनट तक के लिये और बढ़ा दिया है। 3 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही का स्थगन 10 मिनट के लिए और बढ़ा दिया है। तदुपरान्त 3 बजकर 40 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

दिनांक 6-2-86 को सदन में घटी घटना के सम्बन्ध में थाना हजरतगंज में कुछ सदस्यों के विरुद्ध लिखायी गयी रिपोर्ट के विषय में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 6 तारीख की घटना के बारे में जो थाना हजरतगंज में रिपोर्ट लिखायी गयी, मेरी समझ से वह असंवैधानिक है और गैर कानूनी है। उसमें शायद सभी समझदार लोग इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह की कोई घटना सदन के अन्दर घटती है तो बगैर आपकी इजाजत के बगैर किसी भी प्रकार की प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं दर्ज करायी जानी चाहिये। यह बड़े अफसोस की बात है। लेकिन जो रिपोर्ट माननीय सदस्यों के खिलाफ 395 डकैती की लिखायी गयी है, मैं समझता हूं कि यह सबसे ज्यादा शर्म, असत्य और झूठ बात है। जिन माननीय सदस्यों के विरुद्ध रिपोर्ट लिखायी गयी है उनके नाम सर्वश्री मुहम्मद आजम खां, मनोहर लाल, हरेन्द्र सिंह, मोहम्मद कमाल यूसुफ, बुनियाद हुसैन अन्सारी और माता प्रसाद पाण्डेय हैं।

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा बढ़े। आप हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं।

नोटः– [***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप इसको सुधार सकते हैं और हम चाहेंगे कि हम सभी लोग यहां पर संसदीय शिष्टाचार का पालन करें और इसी भावना को लेकर मैंने इस प्रश्न को उपस्थित किया था। विधायिका की गरिमा कार्यपालिका से किसी भी मायने में कम नहीं है। न्यायपालिका और कार्यपालिका से विधायिका सर्वोच्च है, मेरी विधान सभा सर्वोच्च है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में साफ तौर पर आपकी कोई व्यवस्था हो। मेरी राय में यह जो रिपोर्ट लिखायी गयी है यह गैर कानूनी है और संवैधानिक नहीं है। मान्यवर, यह सवाल सत्तापक्ष या विपक्ष का नहीं है। विधान सभा के विशेषाधिकार हैं, उनको बरकरार रखना है। मान्यवर, मैं प्रयास करता रहूंगा और चाहूंगा कि यह प्रयास सारे लोगों का हो कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की गरिमा बढ़े। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के इतिहास में इससे ज्यादा शर्मनाक और असत्य बात नहीं हो सकती है। मान्यवर, इस पर आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस घटना के बारे में माननीय सदस्य वाराणसी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है उस घटना के बारे में मेरा केवल इतना निवेदन है कि इस सदन के परिसर में जो कुछ होगा उसके बारे में कोई भी कार्यवाही बाहर बिना आपकी अनुमति के अगर होगी तो वह कंटेम्प्ट आफ दि हाउस होगी, व सदन की अवमानना होगी। मान्यवर, आपकी अनुमति के बगैर एफ0 आई0आर0 लाज की गयी है, मैं घटना की मेरिट और डिमेरिट में नहीं जाता। मेरा निश्चित मत है कि सदन की अवमानना हुई है, क्योंकि बिना आपकी इजाजत के जो भी कार्यवाही होगी, वह असंवैधानिक भले ही न हों लेकिन इस सदन की मर्यादा, अब तक जो मूल्य प्रतिष्ठित किया गया है, जो अब तक के हमारे आदर्श रहे हैं नार्म्स रहे हैं, उनके विपरीत है। इस सदन की गरिमा की रक्षा का दायित्व जहां सारे सदस्यों का है वहीं सबसे ज्यादा और सर्वोपरि दायित्व आपका है।

मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपसे बिना पूछे हुए, आपकी अनुमति के बिना कोई एफ0आई0 आर0 लाज की गयी है तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिये। आप ऐसा निर्देश शासन को दें और जिस आदमी ने इस तरह का कार्य किया है बिना आपकी अनुमति के उसको कंटेम्प्ट की परिधि में मानकर इस सदन में तलब करें और उसके खिलाफ कार्यवाही करें। क्योंकि यह सारी की सारी घटना सदन के सामने हुई है। जहां तक सदन की गरिमा को बनाये रखने का प्रश्न है उसमें हमारे और उधर के बैठे हुए सदस्यों में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है अगर आपकी निगाह में कोई ऐसा आचरण होता है जो सदन की गरिमा के विपरीत है तो उस पर आप हमारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे दूसरा कोई नहीं करेगा। और अगर इस तरह की कोई बात होती है तो उस पर आप नेता सदन को बुला लें, नेता विरोधी दल को बुला लें और एक प्रक्रिया निर्धारित कर लें। लेकिन जो भी सजा देना चाहें वह आपके माध्यम से होनी चाहिए।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं माननीय शतरुद्र प्रकाश और श्री तिवारी जी ने जो कुछ कहा उसको नहीं दुहराना चाहता हूं। मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस सदन की गरिमा और पवित्रता को बचाये रखने के लिये . . . (व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ कुछ बोलने लगे, इस पर नेता विरोधी दल श्री मुलायम सिंह यादव अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप बोलें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

पहले आप व्यवस्था दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

कृपया खामोश रहें।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मैं बता रहा था कि आज जो आपके चैम्बर में आपके सामने बातें रखी गई हैं उन पर फैसला आपको करना है। लेकिन दो बातें मैं माननीय नेता सदन से करना चाहता हूं। जो 6 फरवरी की घटना हुई उस घटना को पुलिस ने किस तरह से बढ़ा-चढ़ा कर लिखा है वह पूरा आपके सामने है। ऐसा करके सरकार ने उत्तर प्रदेश की पुलिस का मनोबल बढ़ाया है। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता है कि उधर के लोगों को क्या हो रहा है। मुझे यह बात याद आती है कि कौरवों ने गलत अन्न खाया था उसी तरह से ये भी गलत अन्न खाये हैं। कहा गया कि यहां पर डकैती हुई और 45 रुपये निकाल लिये, 7/8 माननीय सदस्यों ने। इस तरह से पुलिस की मानसिकता परिलक्षित होती है। सरकार के सामने गलत रिपोर्ट लिखाई है जिससे हम लोगों के सामने एक सवाल पैदा हो गया है। जब भी इस सदन के बाहर अन्याय और अत्याचार होता है, जो लोग हमारे पास आते हैं और चाहते हैं कि विधान सभा से हमें न्याय मिलेगा, तो वह भी खतम हो जायेगा। इसलिये आज सवाल यह है कि हम लोग भी सुरक्षित नहीं रहे। मैं माननीय नेता सदन से कहना चाहूंगा कि उन्होंने पुलिस का इतना मनोबल क्यों बढ़ाया। इसीलिये मेरा निवेदन है कि वे पुलिस का इतना मनोबल न बढ़ायें। वरना इस सदन को चलाने का अब कोई महत्व नहीं रह गया है। इसीलिये इसकी गरिमा को बनाये रखने के लिये माननीय नेता सदन से मैं अनुरोध करूंगा कि आप भी इसमें पूरी मदद करें।

श्री अध्यक्ष–

कल सदन में श्री शतरुद्र प्रकाश जी..

(व्यवधान)

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े होकर कुछ कहने पर)

कृपया बैठ जांय। कल सदन में श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने 6-2-86 की घटना के सम्बन्ध में इस सदन में कुछ सदस्यों के खिलाफ थाना हजरतगंज में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात उठाई थी। विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि नेताओं की बैठक में इस विषय पर विचार किया जाय। तदनुसार आज नेताओं की बैठक में इस मामले पर विचार किया गया। पूरे मामले पर गौर करने के बाद मैं इस विचार का हूं कि विधान सभा अथवा उसके परिसर में किसी घटना के मसले में कोई रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि अध्यक्ष, विधान सभा से पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली जाय।

उपर्युक्त परिस्थिति में प्रश्नगत प्रथम सूचना पर कोई कार्यवाही न की जाय तथा इस घटना से सम्बन्धित सभी मामलों को मैं समाप्त करता हूं। बाकी सूचनाएं नियम 300 के अन्तर्गत जो हैं, को मैं अस्वीकार करता हूं।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन †

श्री त्रिलोक चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 के अन्तर्गत 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

(इस समय 3 बजकर 50 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री त्रिलोक चन्द्र पीठासीन हुए।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)‡

*श्री लाल प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में प्रदेश और देश के सामने उत्पन्न समस्याओं और चुनौतियों को प्रदर्शित किया है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का हर पैराग्राफ चिंतन का विषय है। (व्यवधान) मान्यवर, सदन में बहुत अशांति है।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा निवेदन है सदन में शांति बनाये रखें।

श्री लाल प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि अभिभाषण का हर पैराग्राफ चिंतन का विषय है। अंग्रेजी में एक शब्द है 'प्रैगनैंट विद मीनिंग।'' माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का आखिरी पैरा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता के प्रति वचनबद्ध है उसके लिए हम सब को आह्वान किया है कि हम एकता और अखंडता, कौमी एकजहती से देश को मजबूत करें। आज देश और प्रदेश के सामने एकता और अखण्डता को बहुत बड़ा खतरा है बाहरी ताकतों से उतना नहीं जितना अंदरूनी ताकतों से है जिसको अंग्रेजी में 'रिवाई-वलिज्म' कहते हैं, 'मजहबी उन्माद' कहते हैं इसका मुकाबला करने की आवश्यकता है। यदि हमें लोकतंत्र को कायम रखना है और हम चाहते हैं कि हमारा संविधान कायम रहे तो उसमें धर्मान्धता कितना बड़ा विष है उसके सम्बन्ध में मैं थोड़ी सी मिसाल रखना चाहता हूं। अयोध्या में कुछ बातें शुरू हुई हैं राम जन्म भूमि और मस्जिद को लेकर। मैं उसकी मैरिट या डिमैरिट पर नहीं जाना चाहता हूं। दुनिया में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां पर कुछ इस किस्म की तोड़-फोड़ न हुई हो 12वीं 13वीं शताब्दी से आज तक जब मन्दिर और मस्जिद तोड़े गये, झगड़े हुए, बाद में भी होता रहा और आज भी लेबनान में हो रहा है। तो इस पर विवाद करना ठीक नहीं है। किसी ने सही कहा है कि ''इफ वी इंटर इंटू क्वैरल इन पास्ट, बी आर बाउन्ड टु लूज फ्यूचर।'' पुरानी बातों को लेकर झगड़ने से हमारा भविष्य लुप्त हो जायगा।

मान्यवर, मैं आपका और सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस तरह मंदिर मस्जिद के विवाद हमारे प्रदेश में 2-3 स्थानों पर हुआ है, इसलिये इनको पुरातत्व विभाग को दे दिया जाये चूंकि पुरातत्व विभाग को देने से इनका मेन्टीनेन्स सरकार और पुरातत्व

---

† छापा नहीं गया।

‡ दिनांक 11 फरवरी, 1986 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विभाग करेगा और दूर से लोग दर्शन कर सकेंगे। यह हमारी हिस्टारिकल रेलिक्स आफ मानूमेन्टस की चीजें हैं, विरासत की चीजें हैं, इसलिये इनको कायम रखना चाहिए।

धर्मान्धता के सम्बन्ध में किसी ने कहा है:—

"इन एवरी कन्ट्री इन एवरी एज, प्रीस्ट हेज आलवेज बीन होस्टाइल टू फ्रीडम" इसलिये धर्म और राजनीति दोनों अलग-अलग होने चाहिए। आगे भी उन्होंने कहा है—

"इफ रिलीजन एन्ड पालिटिक्स आर ज्वाइन्ट टुगेदर, यू कैन नाट कन्सीव ए कामनवेल्थ बेस्ट आन जस्टिस एण्ड फेयर प्ले।"

यह धर्मान्धता की बात है, इसमें कितना विष है जो आपके सामने है। देश में ऐसी शक्तियां पैदा हो गयी हैं जिनको आप देख सकते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने संसार में सबसे बड़ी कुरबानी इस देश को बचाने के लिये इन ताकतों के साथ लड़कर दी है। इसलिये सदन से निवेदन करूंगा कि पूरी ताकत के साथ, जो हमारे बीच में सेकुलर ताकतें हैं, उनसे मिलकर लड़ें। इसलिए मजहब और राजनीति दोनों अलग-अलग हैं और यदि मजहब को राजनीति में लायेंगे तो मजहब खराब हो जायेगा। संसार में जहां कहीं भी मजहब और राजनीति मिलकर चले हैं वहां कोई लोकतंत्र नहीं है और न किसी व्यक्ति की कोई कीमत है। मजहब के लोग कहते हैं कि जो हमारी जाति, धर्म का विरोध करते हैं उनको जाति से निकाल दो। इस प्रकार की जो बात कही जाती है यह धर्मान्धता है। इसलिये धर्मान्धता से दूर रहना चाहिये और देश को आगे ले जाना चाहिए।

अंत में कहना चाहता हूं कि नेता विरोधी दल ने कहा है कि रास्ता रोको आन्दोलन सफल रहा है। मैं मानता हूं कि वह सफल रहा, लेकिन क्या दुनियां में ऐसा सिविलाइज्ड तरीका आंदोलन करने का है? इस तरह कहीं नहीं होता है। कहीं भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होता है रास्ता रोक दें, बसों का चक्का जाम कर दें, इस तरह के आन्दोलन से वायलेन्स होना लाजमी है और उससे आप बच नहीं सकते हैं। नेतागण नहीं चाहते हैं कि कोई हिंसा हो, ...

हम सबका अहिंसा में विश्वास है, कोई नहीं चाहता है कि हिंसा हो। लेकिन जब माब जमा होता है तो उसकी एक अलग से मेन्टल्टी होती है और वह दूसरा रुख अख्तियार करती है। उसमें डेटरमिनेशन की काफी उग्र भावना होती है। मांब हटाया जाता है, फिर जमाव हो जाता है, बलपूर्वक तितर-बितर किया जाता है, किन्तु फिर जमाव हो जाता है। उसमें डिटर-मिनेशन होता है, वह कुछ कर गुजरने, कर दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसी में हिंसा होती है, क्योंकि वह करने को तैयार हैं और व्यवस्था उसको रोकने को तैयार है। माब इजकैपबेल आफ टु डू एनीथिंग एक्सेप्ट इन्टलीजेन्ट एक्शन, अर्थात् माब कुछ भी कर सकता है, सिवाय अच्छा काम करने के। पुलिस का काम तो तलवार की धार है, वह सख्ती न करे, न बचाए, तो उस पर शिकायत होती है। वह कुछ कर बैठें, तो उस पर भी शिकायत होती है। हमारे जनपद प्रतापगढ़ में पट्टी के पास एक स्थान पर लोकदल के एक नेता एक स्कूल चलाते हैं। रास्ता रोको आन्दोलन के दिन उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को लाकर

सड़क पर बस के सामने कर दिया। अब आप लोग बताएं कि पुलिस क्या करे? उनको पहले मोहब्बत से पुलिस ने हटाया। फिर आ गये तो फिर हटाया, तो पुलिस कब तक हटाती रहे, यह आप बताएं वह सख्ती न करे तो फिर क्या करे। तो इस तरह का सिविल डिस्आर्डर पैदा करने की जो कोशिश है, आप लोग जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं, आप पूरी तरह चाहते हैं कि देश और प्रदेश में अराजकता का वातावरण पैदा हो, किन्तु ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। इसके साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, यह बड़े खेद की बात है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर जिनका धन्यवाद का प्रस्ताव है, वह प्रस्तावक महोदय आज यहां उपस्थित नहीं हैं, उनको यहां होना चाहिए। मैं मानता हूं और हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह माना जाता है कि राज्यपाल का अभिभाषण किसी सरकार के द्वारा पेश किया हुआ ऐसा दस्तावेज होता है, जिसमें एक साल के कामों के बारे में पूरी जानकारी होती है और जो प्रदेश के सामने समस्याएं हैं, उनका उसमें खुलासा विवरण होने के साथ उनके निराकरण की व्यवस्था की गई हो। मुझे खेद है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो आज की ज्वलन्त समस्याएं हैं उत्तर प्रदेश के सामने मंहगाई की समस्या, बेरोजगारी की समस्या व शिक्षा को ठीक तथा नियमित करने आदि की समस्याएं, उनके निदान का कोई जिक्र नहीं है। प्रदेश में व्याप्त तमाम समस्याओं के विषय में, इसमें कुछ नहीं बताया गया है तथा क्या उचित निराकरण हो सकता है, नहीं है। एक करोड़ बच्चे जो प्राईमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके पढ़ने के लिए स्कूल भवन नहीं हैं, टाट-पट्टी नहीं है, किताबें नहीं हैं और ब्लैक बोर्ड नहीं है, उनकी व्यवस्था के लिए यह सरकार क्या करने जा रही है, इस पर भी इसमें कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। एक करोड़ बच्चों में से अधिकांश कक्षा 6 भी पास नहीं कर पाते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 90 लाख परिवारों के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए 45 सौ करोड़ रुपया खर्च किया गया है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उसमें कितने लोगों की गरीबी की रेखा से ऊपर ले जाया गया है। खान गुफरान जाहिदी ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, मैं जानता हूं कि वह एक बहुत अच्छे गोताखोर हैं। अफसोस है कि वह गोताखोर हैं पर पत्थर को रत्न समझ बैठे हैं। एक बच्चे के चौराहे पर पेशाब करने की समस्या उनके सामने थी, लेकिन एक बलवान सिंह के आने से वह दूर हो गई। लेकिन यह समस्या हमारे सामने भी है। आज उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की सरकार रूपी बच्चा चौराहे पर पेशाब कर रहा है, गलत काम कर रहा है।

मान्यवर, हम शिकायत करने कहां जायं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कर रही है तो कहां जाय? मैं मानता हूं कि बिजली बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था है। उसको आपने अधिकार दिया है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी बोर्ड के गठन से ज्यादा महत्व रखती है। हम सब इस बात से अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विधान सभा का सत्र आहूत करके हम सबको बुलाया है। ठीक किया है हम स्वागत करते

हैं और यहां उपस्थित हैं लेकिन सदन के आहूत होने पर बिजली की कीमत बढ़ा दें तो आखिर यह बजट सत्र शुरू हो रहा है उसका फिर क्या मतलब है? जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि शिकायत करने कहां जायें। एक लड़का चौराहे पर पेशाब कर रहा था तो शिकायत करने बाप के पास पहुंचे तो देखा बाप छप्पर से पेशाब कर रहा था। तो शिकायत किससे करें ? केन्द्र सरकार ऊर्जा के स्रोत, कोयला, तेल, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ा रही है। ठीक है कीमत बढ़ाने का हक है लेकिन आखिर इस सदन की गरिमा क्या है?

मान्यवर, समस्या यह है कि आज तक यह होता था कि साल भर में बजट आता था तो आम आदमी अपनी आमदनी के हिसाब से अपना बजट बनाता था और अपनी जिंदगी एक बरस बजट के अनुसार चलाता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार उन सारी मान्यताओं का अव-मूल्यन कर दिया है जो जनतांत्रिक प्रणाली की रीढ़ होती हैं। अगर कीमतें बढ़ानी हैं तो बजट के दौरान बढ़ायें। यह एक जनतांत्रिक मान्यता है कि मूल्य बजट सत्र के दौरान बढ़ाये जाय ताकि आम आदमी अपनी व्यवस्था कर सके। लेकिन आज यह व्यवस्था नहीं है। मूल्य बढ़ाने का फैसला रातों-रात हो जाता है। गेहूं, चावल, राशन के दाम बढ़ जाते हैं। 6 या 7 महीने पहले सरकार ने जो इक्ट्ठा किया है उसकी कीमत सरकार रातों-रात बढ़ा देती है। आज यह व्यवस्था हो रही है और गुफरान जाहिदी को गोताखोरी के लिये छोड़ दिया गया है और वे कंकड़ों को रत्न समझ गये। मान्यवर, विकेन्द्रीयकरण की बात कर रहे हैं। जो डिवीजनल कमिश्नर्स हैं उनके पद निरर्थक हैं। अंग्रेजों ने इनको सिर्फ इस लिए बनाया था कि जो दूर-दूर के इलाके थे उन पर ऐसी व्यवस्था की जा सके जिससे उनका शासन तंत्र मजबूत रहे। पिछले 20 साल से जो मंडलायुक्त हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे खुशी है थोड़ा सा आपने उनको जिम्मेदारी दी है लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। विकास के कामों की देखरेख के संबंध में जब तक सरकार कोई स्पष्ट, सुनिश्चित नीति नहीं बनायेगी और सारी चीजों की मानीटरिंग नहीं करेगी और जब तक जनता की सीधे-सीधे हिस्सेदारी नहीं करेगी तब तक मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठाया जा सकता है। 45 सौ करोड़ रुपया खर्च किया गया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसमें से जो 4 हजार करोड़ रुपया गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के मामले में खर्च किया गया है, वह बिल्कुल निरर्थक गया है। आप बतायें कि किस ब्लाक में कितने लोगों को गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि किस ढंग से आप गरीबों की गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं? अभिभाषण में इस बात की चर्चा नहीं है।

मान्यवर, विकेन्द्रीकरण एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल हम लोग बड़ी खूबी से कर रहे हैं बल्कि जो विकेन्द्रीकरण की रीढ़ की हड्डियां थीं, उन्हीं को आप आज तोड़ रहे हैं। जिला परिषदों के चुनाव आप करायेंगे नहीं, स्थानीय निकायों के चुनाव आप करायेंगे नहीं, जनता की सुख-सुविधा की बात तो अलग रही, उनकी जरूरत की चीजें समय पर सही मूल्य पर

आप दिलायेंगे नहीं और उन पर जो बीत रही है, उसको सुनेंगे नहीं तो किस प्रकार से आप शासन व्यवस्था को चलायेंगे? मैं तो मान्यवर, विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हे कांग्रेसी विशिष्ठ बंधुओं ! आप अपना भी ख्याल करो और हमारा भी ख्याल करो और लोकतंत्र की व्यवस्था का भी ख्याल करो और लोकतंत्र के मत का आदर करो (हंसी) शासन व्यवस्था के बारे में वैसे माननीय राज्यपाल ने अपने भाषण में जिक्र किया है। साथ ही मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग से एक किताब मिली है, उसे आपने भी देखा और पढ़ा होगा, मैंने भी देखा और पढ़ा है, उसमें मा0 मुख्य मंत्री जी और मा0 राजीव गांधी का जो फोटो छपा है, वह बहुत ही खूबसूरत है, और होना भी चाहिए ।

एक सदस्य यह लोग खूबसूरत है ही, इसलिए ऐसा खूबसूरत चेहरा आपको लगा, कोई बनावटी चेहरा तो है नहीं लेकिन आप उसमें नहीं आते हैं। (हंसी)

श्री कौशिक रमाशंकर–

लेकिन मान्यवर, उसमें लिखा है कि माननीय मुख्य मंत्री ने आदेश दे दिये हैं कि प्रदेश के प्रत्येक अंग की व्यवस्था सही होनी चाहिए, शासन व्यवस्था सही होनी चाहिए, यह कहीं नहीं लिखा कि यह नीति बनायी है। मान्यवर, मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि आप इस बात को क्यों नहीं सोचते कि आपके आदेशों का आज पालन क्यों नहीं हो रहा है ? ठीक है, आदेश तो होने ही चाहिए मैं भी मानता हूं, बगैर आदेश के काम भी नहीं चलेगा । लेकिन अनेकों वर्षों से आपकी सरकार चल रही है और आपसे पहले भी मुख्य मंत्री थे और उन्होंने भी बहुत से आदेश दिए, लेकिन किसी के आदेशों पर पालन नहीं हो रहा है और शासन व्यवस्था पहले से भी बद्तर होती जा रही है । आप यह सोचते हैं कि शायद यह गिरोहबंदी वाला कानून जारी करके अपनी शासन व्यवस्था को ठीक कर लेंगे, ऐसा नहीं है, खैर मैं इसकी गहराई में नहीं जाता ।

आप गुण्डों को दबाना चाहते हैं, डकैतों को दबाना चाहते हैं और गैर कानूनी ढंग से काम करने वालों को सजा देना चाहते हैं, लेकिन जनतंत्र में डंडे के जोर पर शासन व्यवस्था को नहीं चलाया जा सकता । यह तानाशाही व्यवस्था होगी और इससे फिर हर जगह 'बंद' होगा । तो इस तरह से आपकी कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, यह गलत है । मैं यह कहना चाहता हूं जनतंत्र की व्यवस्था में आपको शान्ति बनाये रखने के लिए एक अलग से व्यवस्था करनी होगी जो तानाशाही के कानूनों से अलग होगी। आपकी कौन सी व्यवस्था ठीक है हर अंग अव्यवस्थित है, इसका उदाहरण आपके सामने है । आज हर जगह आन्दोलन हो रहे हैं । आन्दोलन में लोग गिरफ्तार किये गये, ठीक है, मैं तो कहता हूं कि जब वह कोई गड़बड़ी करते, तब आप उन्हें गिरफ्तार करते लेकिन जब तक उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया था तो आपको उन्हें किसी भी तरह से बंद नहीं करना चाहिए था यह है आपके शासन की चुस्ती और दुरुस्ती की मिसाल।

(4 बजकर 20 मिनट)

आप कहते हैं कि शान्ति व्यवस्था ठीक हो गयी है, मुरादाबाद में 21/22 जनवरी की रात में दो हरिजनों को जान से मार डाला गया और 7 आदमियों को घायल कर दिया गया, इत्तफाक से वे बच गये । आपके शासन को मालूम था कि वहां पर एक जमीन के मामले को लेकर तनाव है, लेकिन कोई व्यवस्था शासन की ओर से नहीं हुई । तब आपकी शासन व्यवस्था कहां रही ? आप कहते हैं कि हमने आदेश दे दिया और उसका

पालन हो जायगा । इस ढंग से मान्यवर, पालन नहीं हो सकता ।

शिक्षा की व्यवस्था बड़ी विचित्र है पिछले सत्र में हमसे कहा गया कि शीघ्र ही हम इसमें सुधार कर रहे हैं । जो प्राइमरी शिक्षा है, उसके बारे में आपको सोचने में क्या कठिनाई है? क्यों नहीं आप उसको ठीक करते । जब तक आप प्राइमरी शिक्षा में यह व्यवस्था नहीं लाते हैं कि सबको समान रूप से शिक्षा दी जायगी, तब तक आप इसमें सुधार नहीं ला सकते हैं । मान्यवर, जब हम यह महसूस करेंगे कि हमारे बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर टाट-पट्टी नहीं है, तभी आप इसमें सुधार लाने के लिए सोच सकते हैं और इसके लिए व्यवस्था करेंगे, अन्यथा आप इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, इससे बात साफ है कि इनकी नीयत क्या है । क्या क, ख, ग, घ पढ़ाने के लिए उसमें, शिक्षा व्यवस्था में, परिवर्तन की आवश्यकता है ? जब तक आप यह नहीं करेंगे कि सभी बच्चों को समान शिक्षा मिलेगी, तब तक आप यह व्यवस्था ठीक नहीं कर सकते हैं ।

मान्यवर, मैं दूसरी बात उद्योग नीति के संबंध में कहना चाहता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में यह बात कही है कि हम अपने प्रदेश में औद्योगीकरण करना चाहते हैं। मान्यवर, उन्होंने यह भी कहा कि अनाज की पैदावार बढ़ाई है। मान्यवर, इसका श्रेय आपको नहीं है, यह श्रेय मौसम को है । मान्यवर, औद्योगीकरण कैसे होगा ? आज ही शासन ने बताया कि 25 लाख बेकार लोग सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं और 31 हजार लोगों को रोजगार दे दिया गया है । तो मान्यवर, इस प्रकार से लाखों लोग बेकार हैं । मान्यवर, जो प्रति वर्ष नये बेरोजगार लोग सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होंगे, तो उनकी स्थिति क्या होगी? क्या आप बड़े-बड़े उद्योग लगा कर अपने प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या को खत्म कर सकते हैं? यह नामुमकिन बात है। जब तक आप स्पष्ट नीति इस मामले में नहीं बनाते कि हम ऐसी उद्योग व्यवस्था करेंगे, हम ऐसे उद्योगों की स्थापना करेंगे, जो रोजगारपरक हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला है । मान्यवर, 25 करोड़ की एक फैक्ट्री गजरौला में लगी है । आमतौर से एक चीनी फैक्ट्री को बनाने में 10 करोड़ या 12 करोड़ लगता है, जिसमें 10 हजार लोगों को काम मिल सकता है, लेकिन यह 25 करोड़ की फैक्ट्री बनी है और इसमें डेढ़ सौ लोग ही काम पाए हैं ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री हरदेव–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

समय बहुत कम है, अब कौशिक जी आप बैठ जाए ।

श्री महरम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने जो राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में, धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी ने जो अपना अभिभाषण दिया है, उसमें प्रदेश की व्यापक रूप से विकास की योजनाओं का संकेत किया है । हमारे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्य आलोचना का भंडार भरे हुए हैं। मैं कहता हूं कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिसकी आलोचना न की जा सके । 1977 से 1980 के बीच जब राज्यपाल महोदय

अभिभाषण करते थे, उस समय के राज्यपाल महोदय का अभिभाषण और इस समय के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मिलाकर देखना चाहिए, कितना फर्क है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, लेकिन वर्तमान राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो इतनी व्यापक योजनाओं का इतने व्यापक पैमाने पर उल्लेख किया गया है उससे प्रदेश की व्यापक प्रगति के संकेत मिलते हैं। जिसकी पिछले समय से तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि आज हम प्रगति कर रहे हैं।

आज संसार के सबसे अधिक प्रगतिशील नेता राजीव गांधी के नेतृत्व में सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने का दृढ़ संकल्प प्रदेश का है। मैं मानता हूं कि विपक्षी सदस्यों के सुझाव को मानना चाहिए, लेकिन यह कहना कि महामहिम राज्यपाल ने प्रदेश के विकास के लिए किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं दिया, यह बहुत निरर्थक होगा। इसमें बहुत सी बातें कही गई हैं। मैं एक बात माननीय उपाध्यक्ष जी, के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तमाम जिलों की जितनी योजनायें थी, उनकी आलोचना की जाती थी और सरकार की आलोचना की जाती थी। इसलिये हमारा ख्याल है, कभी भी ऐसा नहीं था, कांग्रेस की सरकार ने यह फैसला किया कि हमारे राज्य की बहुत बड़ी धनराशि जिला सेक्टर की योजनाओं के अंतर्गत खर्च किया जायेगा। उस पर राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। जिला योजना समिति में विपक्ष के सदस्य को भी वही अधिकार होगा, जो सत्ता पक्ष के सदस्य को है। एक बड़ी धनराशि हम सम्मिलित रूप से पास करके जिलों में खर्च करते हैं। जिले की विकास योजनाओं में खर्च करते हैं। विरोध पक्ष के विधायक अपने क्षेत्रों में विकास की योजनायें स्वयं स्वीकृत कराते हैं। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि सरकार की जिम्मेदारी है, कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है। जिस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, मैं तो कहूंगा कि सर्वेक्षण करा लिया जाय, कहां विकास नहीं हुआ।

जो विरोध पक्ष के विधायक यह कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार है, इसलिये मेरे क्षेत्र में विकास नहीं होता है, जिन क्षेत्रों में विकास होता है, कांग्रेस के प्रभाव से होता है, तो मेरा कहना है कि इसे तो कांग्रेस की सरकार ने ऐसा कर दिया है कि सब को एक समान अधिकार है, चाहे विरोध पक्ष का विधायक हो या सत्ता पक्ष का हो। जिले की जो भी कमेटियां हैं, चाहे जिले की, बीस सूत्री कमेटी या गवर्निंग बाडी हो या अनुश्रवण समिति हो या चाहे जो भी समिति हो, उसमें कांग्रेस के विधायक को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। यह कांग्रेस सरकार का किया हुआ फैसला है, माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने यह फैसला किया था और माननीय वीर बहादुर सिंह जी उसको बड़े ही प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। इस बात को विरोध पक्ष के सदस्य, प्रदेश की जनता सभी जानते हैं। माननीय वीर बहादुर सिंह के प्रभावी कदम से प्रदेश में शान्ति व्यवस्था में काफी प्रगति आयी है। कौन नहीं जानता है कि सरकारी कर्मचारियों की हम लोग शिकायत करते रहते थे? आज प्रदेश की जनता और सरकारी कर्मचारियों में यह भावना है कि अगर गलत काम करेंगे, तो दण्ड मिलेगा और अगर अच्छा काम करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा और उसकी प्रसंशा की जायेगी। विरोध पक्ष को सरकार के हाथ मजबूत करने चाहिये, प्रगतिशील कार्यों के लिये। आपके विरोध की कोई बात हो तो उसको न माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री खान गुफरान जाहिदी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका तो मैं समर्थन करता ही हूं, इसके साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं । मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के अंदर जितने धार्मिक स्थान हैं, जितने ऐतिहासिक स्थान हैं, उनको सुरक्षित कर दिया जाय । मैंने बहुत से स्थान देखें हैं, जो आजादी की लड़ाई में बड़े महत्वपूर्ण स्थान थे, लेकिन उनकी सुरक्षा नहीं है, आज इंक्रोचमेंट हो रहा है । मैं फर्रुखाबाद में ठठिया गया था । 1857 की आजादी की लड़ाई में यह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा है । अंग्रेजों ने किले को गिरा दिया था और सारी जायदाद जप्त करके दूसरे को दे दिया । इस किले की सुरक्षा नहीं की गयी । वह याद दिलाता है आजादी की लड़ाई की । इसी तरह से और भी बहुत से स्थान हैं । दूसरी प्रार्थना यह है कि फर्रुखाबाद आलू का मुख्य केन्द्र है । पिछले वर्ष वहां पर 11 लाख मैट्रिक टन आलू पैदा हुआ । हमारे पास उसको रखने के लिये स्थान नहीं है । फर्रुखाबाद में आलू का एक बड़ा कारखाना लगा दिया जाय । उस कारखाने को लगाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से सिफारिश करे कि शीघ्र से शीघ्र उस पर कार्यवाही कर दी जाय। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं और विपक्ष से से प्रार्थना करता हूं कि वह संशोधन प्रस्ताव को वापस ले ।

श्री मित्रसेन–

माननीय उपाध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल के भाषण के संबंध में माननीय सदस्य बरार जी ने जो समर्थन किया है, उसके संबंध में ढोल में पोल बताने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हमारी सरकार का वह दस्तावेज है जो उसकी नीतियों और कार्यक्रमों का जिक्र करता है । उन्हीं के चलते आज जो प्रदेश की स्थिति है विभिन्न अंगों की चाहे जो व्यवस्था हो, चाहे वह कानून व्यवस्था और पुलिस से संबंधित हो, चाहे मंत्रीजी का स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे औद्योगीकरण हो और चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे बेरोजगारी की समस्या हो या और कोई व्यवस्था हो, उसमें सरकार की नीतियां जमीन पर न उतरने के कारण ही इतना बड़ा असंतोष है । इतनी बड़ी गिरावट की स्थिति है। रोज अखबारों और टेलीविजन में मुख्य मंत्री वीर बहादुर सिंह के कार्यक्रमों और भाषणों की चर्चा होती है। प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से देखें तो हमारा प्रदेश समग्र विकास की परिधि में नीचे से तीसरे नम्बर पर है ।

राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति विकास की जो दरें हैं, वह शायद 711 रु0 है जबकि हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति मासिक आमदनी 500/- रुपये के करीब है । हम करीब 200/- रुपये पीछे हैं । औसत आमदनी में भी इसी तरह से अंतर है । श्रीमन्, आज विकास की दर, समग्र विकास का जो कार्यक्रम है, उसके तहत सभी क्षेत्रों में हम आज हिन्दुस्तान के सभी प्रदेशों से काफी पीछे हैं । स्वास्थ्य विभाग का बजट करीब 25 करोड़ का है, इसको देखें तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति 2/- रुपये की दवा आती है । दो रुपये से क्या साल भर किसी व्यक्ति की जिन्दगी बचाई जा सकती है । यह हमारे विकास की दर है ।

इसी तरह से मान्यवर, बिजली को देखें । हमारी आवश्यकता राष्ट्रीय स्तर

पर जो उपभोक्ता दर है, उसके अनुसार करीब 180 यूनिट की है । हमारे प्रदेश में उपभोक्ता दर 114 यूनिट है। पूर्वांचल में तो केवल 75 यूनिट है। आप देख लें कि विद्युत हमारी जिन्दगी का इतना महत्वपूर्ण सवाल है । हर क्षण विद्युत की आवश्यकता है। बिजली न हो तो सुबह शाम खाना और पानी न मिले । लेकिन फिर भी हमारे प्रदेश में पूर्वांचल में प्रति व्यक्ति 75 यूनिट बिजली दी गयी है । श्रीमन्, जैसा अभी हमारे साथी कह रहे थे, हमारे प्रदेश के अंदर अगर सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को सही ढंग से लागू किया जाता तो शायद कुछ अंश तक उसका लाभ मिलता। तमाम योजनायें जो ग्रामीण अंचल में चलायी जा रही हैं, उनका लाभ कौन लोग ले रहे हैं ? वे पात्र व्यक्तियों तक पहुंच रहीं हैं या नहीं ? चाहे आई0 आर0 डी0 स्कीम हो, स्वत. रोजगार स्कीम हो एन0 आई0 ई0 पी0 स्कीम हो और चाहे भूमिहीन योजना हो । इन योजनाओं का करोड़ों रु0 बीच के लोग और सरकारी कर्मचारी, अधिकारी खाते हैं । सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, वे भले ही इसकी चर्चा सदन में न करें, किन्तु बाहर अन्य मीटिंग में जरूर करते हैं और यहां तक कि उनके मंत्री लोग भी इसको महसूस करते हैं कि अधिकांश पैसा यूं ही लोगों की जेबों में इन स्कीमों के अंतर्गत जा रहा है । मान्यवर, प्रदेश को बाढ़ की विभीषिका से निपटने के लिए केन्द्र से करोड़ों रु0 सहायता मिलती है, क्या वास्तव में उसका पूरा उपयोग होता है ? विभाग के लोग यह मनौती करते हैं कि अगर बाढ़ आ जाये तो हमारी जेब भर जाये। यदि कहीं महामारी फैल जाती है, तो इनके डाक्टरों की बन आती है । श्रीमन्, आप देखें, बाढ़ से 1978 में इस प्रदेश की कुल क्षति 5 अरब थी जबकि मुश्किल से 5 साल बाद यह क्षति बढ़कर 16 अरब हो गयी है । मान्यवर, आप देखें वही खेत, वही नदियां, वही गांव, तो यह चौगुनी कैसी क्षति हो गयी है? मान्यवर, यह सिर्फ लूटने खाने के लिये है ।

मान्यवर, शिक्षा नीति के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इस प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र के अंतर्गत 2-3 स्कीम चलायी गयी, प्रौढ़ शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। अभी माननीय कौशिक जी कह रहे थे कि देश में एक करोड़ बच्चों के पढ़ने के लिये समुचित व्यवस्था नहीं है । बच्चों को नहीं पढ़ायेंगे, बूढ़ों को पढ़ायेंगे, जिनके पैर कब्रिस्तान में लटके हुए हैं, उनको पढ़ायेंगे । मान्यवर, इस योजनाओं के अंतर्गत जो तेल, लालटेन आदि की सुविधा उपलब्ध होती है, वह तमाम चीजें चोरी चली जाती हैं । लाखों रु0 फर्जी रूप से इन योजनाओं के अंतर्गत व्यर्थ में जा रहे हैं । गरीब किसान, मजदूर आदि की मेहनत की गाढ़ी कमाई का पैसा जिस तरीके से फूंका जा रहा है, चाहे केन्द्र सरकार फूंक रही हो या प्रदेश सरकार, आप भले ही उसको रोक नहीं पा रहे हैं लेकिन जनता यह महसूस कर रही है कि प्रदेश सरकार उनके हितों की कितनी रक्षा कर रही है ? मान्यवर, प्रदेश में लगभग 50 निगम और स्वायत्तशासी संस्थायें हैं । यह जो स्वायत्तशासी संस्थायें, यह तो बिल्कुल चारागाह है। मान्यवर, हमारे जनपद में एक कृषि विश्वविद्यालय है उसके कुलपति क्या कर रहे हैं ? समयाभाव के कारण, मैं उसका जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूं । मान्यवर, प्रदेश का जो विद्युत परिषद् है, इसके ऊपर करीब 25 अरब का कर्जा है और इसमें 550 करोड़ का घाटा है । इसके अतिरिक्त जो निगम हैं चाहे चीनी निगम हो,

पूर्वांचल विकल निगम हो या अन्य निगम हों, सारे प्रदेश का अरबों रुपया प्रतिवर्ष यह निगम खा रहे हैं और उस पर कोई अंकुश नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार इस पर अंकुश लगाये। लेकिन, ऐसा महसूस होता है कि यह खुद ही इन निगमों से परेशान है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा में एक सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के नाम से समिति गठित है। यह प्रदेश के तमाम निगमों के कार्यों की समीक्षा करती है। प्रदेश के जो तमाम निगम हैं, उनके अधिकारी 5-5 और 6-6 साल तक लूट कर चले गये और अब उनकी आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत हो रही है। अधिकारी रिटायर हो कर चले गये हैं। यह तो इनके निगमों की हालत है। सत्ता पक्ष में हमारे कई नवजवान साथी बैठे हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से प्रदेश का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा? यह सही है कि आज बंधुवा मजदूर की तरह यहां पर बैठे हो। कोई अपनी कमाई से जीतकर तो आप यहां पर आये नहीं हो। चाहे आप राजीव गांधी के नाम पर जीतकर आये और चाहे किसी और गांधी के नाम पर जीतकर आये हो, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि आप इस तरह से प्रदेश का विकास नहीं कर सकते हो।

छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बेरोजगारी के मामले को आप देख लीजिए। आज सड़कों पर कट्टे चलते हैं और चौराहों पर छूरियां चलती हैं लेकिन आप कानूनों का आडम्बर बनाते चले जा रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह से आप समस्या को समाप्त कर देंगे? आज इतने लम्बे समय से यह सरकार काम कर रही है। लगातार यह कानून बढ़ाते गये। ज्यों-ज्यों इन्होंने इलाज करने की कोशिश की है त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता गया। पुलिस के दस्ते बढ़ाये गये, उनके संसाधन बढ़ाये गये, लेकिन उसके साथ ही चोरियां और डकैतियां भी बढ़ती गईं। इसके बावजूद भी ये कहते हैं कि कानून-व्यवस्था पर हमारा कंट्रोल है। यदि कानून व्यवस्था पर आपका कंट्रोल है तो फिर यह गिरोहबन्दी के बिल को लाने की क्या आवश्यकता थी? इससे स्पष्ट है कि आज कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने में यह सरकार बिलकुल असफल रही है और इनका प्रशासन बिलकुल असफल रहा है। जो गिरोहबन्दी का बिल यहां पर लाया गया, उसका उपयोग किसके लिए किया जायेगा, उसके बारे में मैं इस समय नहीं कहूंगा।

मान्यवर, अब मैं ग्रामीण अंचलों में रहने वाले भूमिहीन किसानों के बारे में कहना चाहता हूं। उन्हें जमीन पर कब्जा दिलाने की बात यह सरकार जो काफी समय से करते आ रही है, आज स्थिति यह है कि इन्हीं के दल में बैठे हुए लोगों ने उन भूमिहीन किसानों की जमीन पर कब्जा किया है। उसका आवंटन ये पूरा नहीं होने देते हैं। जो जमीन उन गरीबों को आवंटित थी और जो उनके खाते में भी थी, उन पर आज भी जमींदारी लोग बैठे हुए हैं। इसलिए मान्यवर, जो महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, यह ढोल का पोल है। जो नीतियां इसमें दी गई हैं, उसमें से किसी एक-दो पर तो आप काम शुरू कीजिए।

मान्यवर, आज सारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 48 प्रतिशत है लेकिन हमारे प्रदेश में 51 प्रतिशत है। हम सभी चीजों में पीछे हैं इसलिए आपका यह दावा करना कि हम सब चीजों में प्रगति कर रहे हैं, विश्वास करने योग्य नहीं है।

मान्यवर, अब सिंचाई की नीतियों को आप ले लें। रेडियों पर भी श्री वीर बहादुर सिंह जी ने कहा कि बाढ़ और जल भराव को समाप्त करने के लिए 1 अरब और 35 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। पिछले सत्र में भी मैंने इस संबंध में निवेदन किया था और माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी मुख्य मंत्री थे, तो उस समय वर्तमान मुख्य मंत्री जी ने साफ-साफ इन्कार किया था कि हम इतनी बड़ी योजना को नहीं बना पायेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वे सब घटिया किस्म के हो रहे हैं। इनके विभागों जैसे इरीगेशन और पी0 डब्लू0 डी में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। इसी का नतीजा है कि शारदा सहायक कैनाल जो बाराबंकी में बाढ़ और जल भराव के कारण बनी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हुआ, कृपया आप बैठ जायें।

श्री मित्रसेन–

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यबाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल द्वारा विधान मण्डल के समवेत सदनों में दिये गये अभिभाषण का धन्यवाद करते हुए, जो समय आपने दिया है, उसके लिये आभार प्रकट करता हूं।

विगत दिवसों में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के मूर्धन्य लोगों ने अपने विचार प्रकट किये।

विरोध पक्ष सत्ता पर नियंत्रण रखने वाला वह अंकुश होता है जो सत्ता की गलतियों को बताता है। यहां पर एक से एक मूर्धन्य लोग बैठे हैं। चौधरी चरण सिंह, चन्द्रभान गुप्त जैसे लोग यहां विरोधी पक्ष के नेता के रूप में आये। जनता शासन के दौरान मा0 नारायण दत्त तिवारी, नेता विरोधी दल थे, तब मैंने उनकी कार्य प्रणाली देखी थी। उसके बाद लोक दल के विरोधी दल के नेता के रूप में राजेन्द्र सिंह जी की भी स्थिति सराहनीय रही है। जहां एक तरफ ऐसे मूर्धन्य लोग विधान सभा में विरोधी पक्ष का नेतृत्व करते आ रहे हैं, आज विरोध पक्ष का नेतृत्व कौन कर रहा है, यह सोचकर ग्लानि होती है।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं सदन का कनिष्ठतम सदस्य हूं, कुछ सीखने की भावना से आया था। मेरी मान्यता थी कि सत्ता पक्ष के बजाय विरोधी पक्ष से सीखने का अवसर ज्यादा मिलेगा। जिस सदन में आप बैठे हों, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है।

(घोर व्यवधान)

राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर जो कुछ हुआ है, वह अत्यन्त ही अशोभनीय और शर्मनाक रहा है।

(मेजों की थपथपाहट)

(कागजों का एक पुलिन्दा दिखाते हुए)

नेता विरोधी दल ने एक लम्बा चौड़ा पुलिन्दा बनाकर अपने भाषण के नाम पर दे दिया है। नेता, विरोधी दल ने कहा कि विधान मण्डल की उपेक्षा हो रही है। माननीय नेता, विरोधी दल देखें कि विधान मण्डल की उपेक्षा किसने प्रारम्भ की है। विपक्ष की कुछ मर्यादायें होती हैं, परिपाटियां होती हैं, यदि आप ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो संसदीय प्रणाली का स्थान कहां रह जायगा? हमारे आचरण को समाज देखता है, जनमानस देखता है और इस आचरण को, जो सदन के अन्दर हुआ है, यदि जनता को दिखा दिया जाय तो हमारी क्या इज्जत

रह जायगी? जनतंत्र का क्या सम्मान रह जायगा ? इसके बाद नेता, विरोधी दल ने कहा कि राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल पर विधान मण्डल का अंकुश होना चाहिये। जिस व्यक्ति को, सदन को, परिवार को अपने मुखिया का सम्मान करना और उसका तरीका न मालूम हो, उसे मुखिया चुनने का हक कैसे दे दिया जाय ?

(मेजों की थपथपाहट)

आज सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि नेता, विरोधी दल ने अपने भाषण में "रास्ता रोको" आन्दोलन की बात कही।

(घोर व्यवधान)

जहां एक तरफ शासन एक अभियान चलाकर फलों को और वृक्षों को बचाकर हरीतिमा को कायम रखना चाहता है। वृक्ष हमारी आत्मा में बसे हुए हैं। हमारा पर्यावरण, हमारा वातावरण सब हरीतिमा पर आधारित है, वृक्षों के समाप्त हो जाने से इन सब पर असर पड़ेगा, समाज बरबाद हो जायेगा। वृक्षों में भी आत्मा होती है, उन्हीं वृक्षों को काट कर रास्ता को रोकने का प्रयास किया गया, मैं पूछता हूं कि क्या यह अपराध नहीं था?

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, आपको मालूम होगा कि वहां पर इन्होंने लाठी चार्ज कराया था और यहां अपराध की परिभाषा बतला रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र नाथ ...

ये लोग संसदीय प्रणाली को भंग कर देना चाहते हैं। मैं कह रहा था कि वृक्ष जो काट कर इटावा और फिरोजाबाद के रास्ते में डाले गये, वृक्षों की हत्या की गयी। वृक्षों की हत्या, आदमियों की हत्या से कम अपराध नहीं है। नेता विरोधी दल को और भी जिस व्यक्ति ने यह किया हो उसे इस कार्य के प्रति बन्द कर देना चाहिए। परन्तु यदि कार्यपालिका (पुलिस) इनके साथ ऐसा व्यवहार करती तो यह उसे विधायिका की अवमानना का प्रश्न बना कर सदन में व्यवधान उपस्थित

(व्यवधान)

कर अपने अपराध को उचित ठहराते। इस प्रकार के क्रिया कलाप एक प्रश्न चिन्ह सदन की मर्यादा पर लगाते हैं।

श्री राम सरन –

मान्यवर, इनसे कहिए कि विषय पर बोलें।

श्री सुरेन्द्र नाथ –

मान्यवर, यह दूसरे पर आरोप लगाते हैं, इन्हें अपने गिरेबान में मुंह डाल कर देखना चाहिये। उत्तर प्रदेश में सफेद पोश अपराधियों तथा सफेद पोश अपराधिक पृष्ठ भूमि के राजनीतिज्ञों को समझाने के लिए यह गिरोहबन्द अध्यादेश लाया गया कि इस विधेयक के द्वारा उन पर अंकुश लगाया जा सके। इस गिरोहबन्द अध्यादेश के विरुद्ध भाषण करके इन्होंने यह साबित कर दिया है कि इन्हें जनता के प्रतिनिधि के रूप में यहां का सदस्य नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, यह तो हुई नेता विरोधी दल के कार्यकलाप की बात।

(लाल बत्ती होने पर -)

मान्यवर, बस एक मिनट में अपनी बात को कह कर समाप्त करता हूं। मान्यवर, एक नियमावली होती है जिसके माध्यम से सदन का संचालन होता है। मान्यवर, मैं तो एक कनिष्ठ सदस्य हूं, कुछ करूं तो लोग कहेंगे कि यह नौजवान गलत काम करता है, यह आरोप लगाया जाता है, कहते हैं कि यह नौजवान बर्गला गया है। लेकिन यहां के वरिष्ठतम सदस्य यहां बेल में कपड़ा उतार कर महिलाओं के सामने

खड़े होते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है ?

(व्यवधान)

मान्यवर, संसदीय परम्पराओं की रक्षा के लिए, सदन के सम्मान की रक्षा के लिए, विरोध करने का भी एक तरीका होता है । मान्यवर, मैं और कुछ ज्यादा न कहकर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव की हार्दिक समर्थन करता हूं।

*श्री मनोहर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जो बात मैं कहूंगा वह सच-सच कहूंगा । राज्यपाल के अभिभाषण को जिसको मैंने सुना नहीं है, उसको नहीं पढ़ूंगा । (व्यवधान) पहले आप सुनिये . . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग शान्ति बनाए रखें ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, खान गुफरान जाहिदी साहब नहीं हैं इस समय, उन्होंने किस्से और कहानियों में अपना प्रस्ताव पेश किया है। मैं भी सुनाता हूं । (माइक पर बोलने की आवाज) माइक छोटा है और मैं लम्बा हूं । तो मैं छोटा तो हो नहीं जाउंगा, सीना तान कर खड़ा हूं । तो मान्यवर, एक शराबी था, वह शाम को शराब पीकर निकला, बड़ी झोंक में था । उस समय पानी बरस रहा था, बरसात हो रही थी, वह आगे चला तो एक गढ़े में फिसल कर गिर गया । उसी समय बिजली चमकी, बड़े जोर की कड़क हुई जैसे कैमरे की फ्लैश होती है, उसी तरह से रोशनी हुई, तो शराबी ने कहा कि वाह रे भगवान तू बड़ा मेहरवान है पहले कीचड़ में गिरा दिया और अब फोटो खींच रहा है । तो वही हालत इनकी है, यह गड्ढे में गिरते हैं और जब बिजली कड़कती है तो कहते हैं कि भगवान फोटो खींच रहा है ।

मान्यवर, अभी हमारे साथी, नवजवान साथी बड़े जोरदार शब्दों में बोल रहे थे और कुछ शब्द वह नेता विरोधी दल के बारे में भी कह रहे थे, कि शान्तिपूर्वक सुनना चाहिए । तो मैं ज्यादा लम्बे समय की बात नहीं करता हूं, 1978 की बात कह रहा हूं जब आप लोग इधर बैठ रहे थे ।

एक सदस्य–

तब हम लोग नहीं थे ।

श्री मनोहर लाल–

कुछ लोग थे, सभी नहीं थे लेकिन कांग्रेस के लोग थे । मेरा कहना है कि उस समय आप लोगों ने चप्पलें फेंकी थीं और हम लोगों ने विरोध किया था, यह चीज अखबारों में है, आपकी प्रोसीडिंग में है, उसको निकलवा कर आप देख लीजिए । तो उस समय आपकी शालीनता कहां चली गई थी । मान्यवर, विरोधी पक्ष और सत्ता पक्ष प्रजातंत्र रूपी रथ के दो पहिए हैं और अगर एक भी पहिया टूट जाता है तो रथ बेकार हो जाता है । यह लोग "पर उपदेश कुशल बहु तेरे" वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं । अगर मैं आपको उपदेश देना शुरू कर दूं तो उपदेश दे सकता हूं । किसी ने भी राज्यपाल के अभिभाषण को सुना नहीं है, लेकिन चूंकि उस पर आप बहस करवा रहे हैं, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है ? आज उत्तर प्रदेश की हालत इन लोगों ने इतनी बदतर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से बद्तर कर दी है। आज उत्तर प्रदेश में कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। मान्यवर, जब यह अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे तो उनके मतदाता उनसे पूछेंगे कि तुमने हमारे लिए विधान सभा में क्या किया (शोर)। मान्यवर, मैं 2-4 उदाहरण रख रहा हूं। इन्होंने कहा कि वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैं उन्नाव का उदाहरण रख रहा हूं। एक हमारे जियाउर्रहमान अंसारी, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। 40 बीघे जमीन उनके खानदान के नाम से गैर कानूनी ढंग से दे दी गई है। राजस्व मंत्री बैठे हुए हैं, अगर हिम्मत हो तो जांच करवा लें।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जो माननीय व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो क्या उसके ऊपर आरोप लगाए जा सकते हैं।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम सरन–

मान्यवर, इस सदन की सदस्य फूलन देवी भी रही हैं। फूलन देवी और छवि-राम जैसे लोग उधर बैठे हुए हैं।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी भी इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम इस सदन में, ये लोग क्यों लेते हैं, राजीव गांधी का नाम लेना छोड़ दें तो हम नहीं कहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

आरोप नहीं लगाना चाहिए। नेता का नाम लिया जा सकता है, आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

(घोर व्यवधान)

शान्तिपूर्वक सुनें। एक दूसरे का जवाब तर्क से दें। अगर किसी पर आक्षेप होता है तो शान्तिपूर्वक व्यवस्था बनाये रखें और एक दूसरे को सुनने की कोशिश करें और तर्क से अपना जवाब दें।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, अगर राजस्व मंत्री के अन्दर हिम्मत हो तो जो [***] केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री हैं....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मनोहर लाल जी, आप उनका नाम न लें।

श्री मनोहर लाल–

एक केन्द्रीय मंत्री हैं, मैं एक केन्द्रीय मंत्री की बात कर रहा हूं।

श्री नरेश चन्द्र–

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री मनोहर लाल–

एक उन्नाव के मंत्री हैं उनके परिवार के नाम से 40 एकड़ जमीन ली गई है, (व्यवधान) उत्तर प्रदेश सरकार ने उस जमीन पर वृक्षारोपण कर दिया, अपने हर्जे-खर्चे से। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि हम हरिजनों के खैरख्वाह हैं। इस तरह से किसानों की जमीन लेकर उस पर वृक्षा-रोपण इस सरकार ने किया है। यह हैं किसानों की हितैषी। 40 एकड़ जमीन नाजायज कब्जा करके वृक्षारोपण कराया गया है।

यही नहीं, उन्नाव के एक दूसरे मंत्री हैं उनके नाम 5 लाख रुपए का लोन था। उसकी वसूलियाबी अभी तक नहीं हुई। उनके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं की

नोट–[***] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गई । यदि किसान कोई लोन की अदायगी नहीं कर पाता है तो उसकी कुर्की हो जाती है । उसको 10 दिन के लिए तहसील में बन्द करवा देते हैं । लेकिन उन्नाव के मंत्री जिनके ऊपर 5 लाख रुपए का लोन है, उसकी वसूलियाबी की कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैं यह बात चैलेन्ज के साथ कहना चाहता हूं ।... (लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मेरे समय में तो बड़ा डिस्टरबेंस हो गया था ?

श्री उपाध्यक्ष–

समय तो सबको समान रूप से दिया जायेगी। आप एक मिनट में समाप्त कर लें ।

श्री मनोहर लाल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय राजीव गांधी यहां के प्रधान मंत्री हैं । वे भारत को 21 वीं सदी में ले जाने की बात कर रहे हैं । मैं कहता हूं कि इस तरह से यह देश 21वीं सदी की ओर नहीं जा सकता है जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में गरीबी है, जिस तरह से लोग गरीबी की रेखा से नीचे गुजर कर रहे हैं, जिस तरह से यहां पर किसानों से दुर्व्यवहार किया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है, जिस तरह से यहां पर बेरोजगारों की पलटन बढ़ती जा रही है, कानपुर में 80 हजार राज्य कर्मचारी 16 जनवरी से हड़ताल किए हुए हैं, इस तरह से प्रदेश आगे नहीं जा सकता है । कानपुर की आबादी 25 लाख की है । सन् 73 में वहां पर 10 दिन की हड़ताल हुई थी और उससे 500 आदमी पीलिया रोग से मरे थे । इस समय भी वहां पर स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गई थी उनका विचार है कि अबकी बार वहां पर लगभग डेढ़ लाख लोग पीलिया से मरेंगे । माननीय चौधरी नरेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री ने यहां पर कह दिया कि हड़ताल वापस हो गई है । कोई हड़ताल वहां पर वापस नहीं हुई है। यदि मान्यवर, 13 तारीख तक उनके बीच कोई समझौता नहीं होता है तो राज्य कर्मचारी पूरे उत्तर प्रदेश के अन्दर हड़ताल कर देंगे । यह विषम परिस्थिति है । आज डाक्टर, जूनियर इंजीनियर, मास्टर सभी हड़ताल पर हैं। इस तरह से सरकार चल रही है । महामहिम राज्यपाल ने इस बात पर अपने भाषण में कुछ नहीं कहा है । यह सरकार शासन और प्रशासन को चुस्त करने के लिए लम्बी लिस्ट निकालती है । वह फर्जी है, , , . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री मनोहर लाल–

आखिर मैं एक बात कहूंगा । इस सरकार ने बिक्री कर के 60 कर्मचारियों को निकाला। वह पिछले 6 साल से निकाले हुए थे जिन पर हाई कोर्ट में केस चल रहा है । माननीय मुख्य मंत्री कहते हैं कि मैंने निकाले हैं । इसी तरह से दूसरे विभागों में भी स्थिति है । कोई काम नहीं हो रहा है । सब अपनी जेब भर रहे हैं । जनता, पब्लिक, किसान की कोई नहीं सुन रहा है । खाद में दी गई छूट नहीं मिल रही है । 70 रुपए ब्लैक में खाद की बोरी बिक रही है । इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

(कई सदस्यों द्वारा बोलने के लिए खड़े होने पर)

एक सदस्य–

सदन का समय 1 घण्टा और बढ़ा दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

सदन की अनुमति होनी चाहिए ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, समय बढ़ाना तो आपके हाथ की बात है। इसमें प्रस्ताव की जरूरत नहीं है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

राजस्व राज्य मंत्री (श्री गौरी शंकर)–

श्रीमन्, अब नियम 51 लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम 51 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं, सभी को माननीय अध्यक्ष जी ने अस्वीकार किया है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, नियम 51 में हम महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। इधर लगातार जब से हाउस चल रहा है इस प्रकार की सूचनाओं को अस्वीकार किया जा रहा है। यह हमारा एक अधिकार है...

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय अध्यक्ष का निर्णय हो चुका है किसी को स्वीकार नहीं किया है। (व्यवधान)

अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ:

12 फरवरी, 1986।

भवल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 3 पर)

मांगें	न माने जाने के कारण
1--समस्त छटनी शुदा श्रमिकों (जो एक वर्ष लगातार काम कर चुके हैं) को काम पर वापस किया जाय।	1--छटनी शुदा कर्मचारियों की निर्माण कार्य समाप्त हो जाने पर किसी विशिष्ट इकाई पर वापसी का प्रश्न नहीं उठता। छटनी श्रम कानूनों के अनुसार की जाती है।
2--पी0आर0डब्लू0 प्रथा एवं ठेकेदारी के माध्यम से कराए जा रहे काम समाप्त कर समस्त काम विभागीय स्तर पर स्वयं अपने श्रमिकों से निगम करावें।	2--पी0आर0डब्लू0 का प्राविधान, निगम के वर्किंग मैनुअल के अनुच्छेद 4 से 9 तक में हैं और उसी के अनुरूप निगम में कार्य कराया जाता है।
3--एक वर्ष काम पूरा करने वाले श्रमिकों को रेगुलर किया जाय और एक यूनिट का काम समाप्त होने पर दूसरे यूनिट में पुरानी सेवा को बरकरार रखते हुए स्थानान्तरण किया जाय।	3--निगम का कार्य भवनों आदि के निर्माण का होने के कारण बिल्कुल अस्थायी प्रकृति का है। अतः इस प्रकार के कर्मचारियों को रेगुलर करने का प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य समाप्त हो जाने की स्थिति में लगाये गये कर्मचारियों की छटनी की व्यवस्था नियमों में है। अतः पुरानी सेवा बरकरार रखते हुए स्थानान्तरण का सुझाव/मांग उपरोक्त कानूनी स्थिति से पूर्णतया असंगत है।
4--निगम के ही प्रस्तावना के अनुसार श्रम कल्याण योजना, एवं नियमानुसार भविष्य निधि योजना, मेडिकल, आवास, छुट्टियां, शिक्षा, नौकरी की गारन्टी आदि सुविधाएं उपलब्ध किया जाय।	4--निगम अपने स्मृति पत्र में उल्लिखित श्रम कल्याण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से सजग है
5--जीवनधारी वेतन, कार्य के अनुसार पद व पद के अनुसार वेतन ग्रेडेशन, नियमानुसार सुविधाएं आदि का पालन किया जाय।	5--नियम शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन देता है। कार्य के अनुसार वेतन और देय सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

वीर बहादुर सिंह,
मुख्य मन्त्री।

नत्थी 'ख

(देखिए ता0प्र0सं0-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर)

1--श्री दुर्वेश त्रिवेदी--विस्तृत जांच कराने पर इनके द्वारा पाम आयल उठाया जाना नहीं पाया गया था केवल दुकान पर अनधिकृत व्यक्ति काम करता पाया गया था जिसके कारण 100 रु0 (सौ रु0) अर्थ दण्ड सहित जिलाधिकारी के आदेशानुसार दुकान बहाल कर दी गयी थी।

2--श्री विशाल चन्द्र चौधरी--यह दुकान माननीय न्यायालय मण्डलायुक्त लखनऊ के आदेश दिनांक 23 अगस्त, 1982 के तहत चलाई गयी थी।

3--श्री ई0आई0आर0सी0 सी0 स्टोर नं0 1--यह दुकान शासन के आदेश संख्या 2766/29-खाद्य-6, दिनांक 13-4-81 के तहत पुनः संचालित करवाई गयी थी उक्त शासनादेश में यह स्पष्ट अंकित है कि समिति की दुकानें निलम्बित अथवा निरस्त न की जायें। केवल दुकान पर कार्यरत अधिकृत विक्रेता के विरुद्ध गड़बड़ी पाए जाने पर कार्यवाही की जाय।

4--मे0 ई0आई0आर0सी0सी0 स्टोर नं0 2--यह दुकान शासन के आदेश संख्या 2766/29-खाद्य-6, दिनांक 13-4-81 क तहत पुनः संचालित करवाई गयी थी। उक्त शासनादेश में यह स्पष्ट अंकित है कि समिति की दुकानें निलम्बित अथवा निरस्त न की जायं। केवल दुकान पर कार्यरत अधिकृत विक्रेता के विरुद्ध गड़बड़ी पाए जाने पर कार्यवाही की जाय।

5--श्री बख्शी ताल--इस दुकान के विरुद्ध पाम/रेपसीड की चोर बाजारी का ठोस प्रमाण नहीं पाया गया था। मात्र दुकान ठेके पर चलाए जाने की सम्भावना थी जिससे दुकानदार का भविष्य के लिए कठोर चेतावनी देते हुए जमा प्रतिभूति की धनराशि अर्थ दण्ड स्वरूप जब्त करते हुए दुकान पुनः संचालित कर दी गयी थी।

6--श्री बलवीर कुमार चावला--बाद में दुकानदार के विरुद्ध साक्ष्य के अभाव में आरोप सिद्ध नहीं हो पाए थे। अतः दुकान बहाल करके पुनः संचालित करा दी गयी थी।

7--मे0 जनता उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड--यह दुकान शासन के आदेश संख्या 2766/29-खाद्य-6, दिनांक 13-4-81 के तहत पुनः संचालित करवा दी गयी थी उक्त शासनादेश में यह स्पष्ट अंकित है कि समिति की दुकानें निलम्बित अथवा निरस्त न की जायं केवल दुकान पर कार्यरत सेल्समैन के विरुद्ध गड़बड़ी पाए जाने पर कार्यवाही की जाय। माननीय न्यायालय मण्डलायुक्त, लखनऊ के आदेशानुसार भी दुकान संचालित करवाना था।

8--श्री हरिकिशन लाल अग्रवाल--इस दुकानदार के विरुद्ध विशिष्ट एवं गम्भीर आरोप पाए जाने के कारण तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश दि0 5-7-81 द्वारा दुकान निरस्त कर दी गयी थी किन्तु मण्डलायुक्त के आदेश दि0 15-2-82 के तहत दुकान बहाल करके पुनः संचालित करा दी गयी थी।

9--श्री जय नारायन अग्रवाल--पुलिस द्वारा की गयी विवेचना में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी थी और न्यायालय द्वारा भी उसे स्वीकार कर लिया गया था। अतः दुकान निलम्बित अथवा निरस्त करने का कोई औचित्य नहीं था अतः दुकान पुनः संचालित करवा दी गयी थी।

10--अजमत उल्ला--इस दुकानदार के विरुद्ध प्रथम दृष्टया पाम आयल के वितरण में गड़बड़ी पाए जाने का आरोप था किन्तु जांच करने पर पता चला कि उसे जो पाम आयल गोदाम से इशू किया गया था वह कुछ ही देर बाद दुकान पर पहुंच गया था अतः आरोप सिद्ध न होने के कारण तात्कालीन जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 25-7-80 द्वारा 50 रु0 (पचास रु0) जुर्माना करके दुकान पुनः संचालित करवा दी गयी थी।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0सं0–13 का उत्तर पीछे पृष्ठ सं0 28 पर)

सिंचाई मजदूर संघ उत्तर प्रदेश की मुख्य मांगों का विवरण

मांग	टिप्पणी
1—सिंचाई विभाग में कार्यरत समस्त वर्क-चार्ज कर्मचारियों को नियमित किया जाय एवं मस्टर-रोल कर्मचारियों को भी विभागीय कर्मचारी या वर्कचार्ज में किया जाय।	1—विभाग में नियमित ऐसे पद जिनकी सीधी भर्ती करने के लिए विभाग के अधिकारी सक्षम हैं जो इस समय रिक्त हैं या भविष्य में सृजत होंगे, को भरते समय कार्य-प्रभावित अधि0 के अर्ह अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस विभाग में कम से कम तीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, वरीयता दी जाती है।
2—सिंचाई विभाग में कार्यरत अंशकालीन कूप चालकों को नियमित किया जाय एवं पूरा वेतन दिया जाय।	2—अंशकालीन कूप चालक पहले से ही नियमित है अतः इन्हें पुनः नियमित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अंशकालीन कूप चालकों को निर्धारित नीति के अनुसार ही भुगतान किया जाता है।
3—सेक्शन मिस्त्रियों का वेतनमान बढ़ाया जाय एवं रिंग मशीनों पर कार्यरत ड्रिलर आपरेटर एवं कर्मचारियों के वेतन कार्य को देखते हुए कम हैं उसे बढ़ाया जाय। रिंग मशीनों पर भूगर्भ शास्त्री रखे जायं।	3—सेक्शन मिस्त्रियों व अन्य आपरेटिंग स्टाफ को वेतन निर्धारित नीति के अनुसार ही दिया जा रहा है। जहां तक रिंग मशीनों पर भूगर्भ शास्त्री रखे जाने का प्रश्न है सूचित करना है कि फिलहाल विश्व बैंक संगठन में 2 भूगर्भ शास्त्री रखे जाने का प्रश्न विचाराधीन है और विश्व बैंक संगठन में नियुक्ति होने एवं उनकी उपयोगिता सिद्ध होने पर सामान्य रूप से उनकी नियुक्तियों पर विचार करना सम्भव होगा।
4—प्रत्येक कर्मचारी को दस वर्ष में एक पदोन्नति अवश्य दी जाय तथा विभाग में नए पद बढ़ाए जायें।	4—नियमित अधिष्ठान के कर्मचारियों को निर्धारित सेवा नियमों एवं नीतियों के अनुसार पदोन्नतियां दी जाती हैं विभाग में आवश्यकतानुसार ही पद सृजित किए जाते हैं। कार्य प्रभारित कर्मचारियों को प्रमोशन देय नहीं है केवल उनके अच्छे कार्य, अनुभव एवं योग्यता के आधार पर उनके वेतन में बढ़ोत्तरी कर दी जाती है।
5—संघ को विभागीय कमेटियों में स्थान दिया जाय।	5—संघ को किस विभागीय कमेटी में स्थान दिया जाय, स्पष्ट नहीं है।

6—प्रदेश में कर्मचारी हित में विभाग से ठेकेदारी प्रथा को तुरन्त समाप्त किया जाय और कर्मचारियों को वहां से हटाया जाय।

6—कार्य की प्रकृति एवं विभाग के संसाधनों के अनुसार ही कार्य विभागीय प्रणाली/ठेकेदार द्वारा कराया जाता है।

7—प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों को सेवा के दस वर्ष में एक पदोन्नति अवश्य ही दी जाय जिन पदों के लिए समयबद्ध बेतनमान व सेलेक्शन ग्रेड नहीं है उनकी तुरन्त घोषणा की जाय।

7—नियमित अधिष्ठान के कर्मचारियों को पदोन्नतियां उनकी सेवा नियमावलियों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाती है कि किन पदों के लिए समयबद्ध वेतनमान व सेलेक्शन ग्रेड नहीं है संघ ने स्पष्ट नहीं किया है अतः विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

8—विभाग के प्रत्येक कर्मचारियों को आवासीय सुविधा प्रदान की जाय या हर संस्थान पर आवासीय ग्रामीण भत्ता दिया जाय।

8—नियमित अधिष्ठान के कर्मचारियों को आवास भत्ता शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत दिया जाता है। आवास सुविधा विभाग में उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत दी जाती है। कार्यप्रभारित अधिष्ठान के कर्मचारियों को शासन द्वारा आवास एवं ग्रामीण भत्ता अनुमन्य नहीं है।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

तत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं058 का उत्तर पीछे पृष्ठ 47 पर)

नहर कालोनी बाराबंकी, में बी एवं सी टाईप क्वाटर्स में रह रहे कर्मचारियों की सूची

संख्या	कर्मचारी का नाम पद नाम	आवंटन सं0 व दिनांक	अधिग्रहण तिथि
1	2	3	4
		बी–टाइप क्वार्टर्स	
बी–1	श्री वीरेन्द्र सिंह, अवर अभियन्ता।	2120/19-7-84	1-10-84
बी–2	श्री जमशेद अहमद खां सहायक अभियन्ता।	2401/21-6-85	17-7-85
बी–3	श्री अवधराज चौधरी, सहायक अभियन्ता/बाढ़।	2901/1-8-85	12-10-85
बीटी–1	श्री पी0के0 अग्निहोत्री अवर अभियन्ता।	2684, 13-9-83	1-12-83
बीटी–2	श्री जयकिशन वर्मा, प्रारूपकार।	2901/1-8-85	4-8-85
		सी–टाइप क्वार्टर्स	
सी–1	श्री इन्दर प्रसाद, लिपिक।	1108/28-12-78	1-1-79
सी–2	श्री निर्मल राय, प्रारूपकार।	2310/10-8-79	1-11-79
सी–3	श्री असगर अली, लिपिक।	2100/26-6-80	26-6-80
सी–4	श्री मो0 इदरीस, लिपिक।	2278 एकादशम, 26-4-75	1-5-75
सीटी–1	श्री मनोहर लाल, मुन्शी।	1633/28-5-81	1-6-81
सीटी–2	श्री जय प्रकाश, मुन्शी।	2007/9-7-84	10-7-84
सीटी–3	श्री सीताराम खण्डीय लेखाकार।	2900 1-8-85	6-10-85
सीटी–4	श्री गंगाराम, लिपिक।	2899/1-8-85	22-10-85

1	2	3	4
सीटी–5	श्री मेवा लाल, लिपिक ।	2901/1–8–85	6–8–85
सीटी–6	श्री पी0 के0 सिंह, आशुलिपिक ।	313/23–8–85	..
सीटी–7	श्री मुख्तार अहमद, लिपिक ।	1834/16–6–79	1–7–80
सीटी–8	श्री राम सिंह, चालक ।	443/21–10–85	22–10–85
सीटी–9	श्री राजेन्द्र लाल, लिपिक ।	1835/16–6–79	5–5–79
सीटी–10	श्री हौसिला यादव, लिपिक ।	1835/16–6–79	25–5–79
सीटी–11	श्री आर0 सी0 जायसवाल, लिपिक ।	2042/6–7–81	1–7–81
सीटी–12	श्रीमती कमला देवी, धावक ।	..	1–12–80
सीटी–13	श्री मोहम्मद अमीन, लिपिक ।	630/रेंट/25–2–77	1–2–77

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी 'ङ'

(देखिए अता0प्र0सं0--113 का उत्तर पीछे पृष्ठ 65 पर ।)

जिला पूर्ति कार्यालय/उप संभागीय विपणन अधिकारी कार्यालय, झांसी को आवंटित धनराशि का विवरण

क्रम सं0	लेखा इकाई (मद)	1982-83		1983-84		1984-85		1985-86		योग
		जिलापूर्ति अधिकारी	उपसंभागीय विपणन अधिकारी	जिलापूर्ति अधिकारी	उपसंभागीय विपणन अधिकारी	जिलापूर्ति अधिकारी	उपसंभागीय विपणन अधिकारी	जिलापूर्ति अधिकारी	उपसंभागीय विपणन अधिकारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1–वेतन	1,67,000	2,50,000	3,02,700	4,97,000	2,32,000	5,60,000	2,33,000	4,90,000	27,31,700
	2–मंहगाई भत्ता	1,55,300	1,95,000	1,08,200	2,05,000	1,04,000	2,10,000	1,37,300	2,80,000	13,95,000
	3–अन्य भत्ते	23,700	6,500	18,800	14,100	19,700	14,000	15,400	35,000	1,47,200
	4–यात्रा व्यय	6,000	17,000	4,500	11,000	9,900	11,000	10,000	11,500	80,900
	5–कार्यालय व्यय	8,000	4,500	7,000	6,000	7,100	3,758	8,600	4,000	48,958
	6–टेलीफोन	2,500	1,000	3,000	1,650	2,200	1,800	800	1,700	14,650
	7–किराया उपशुल्क एवं कर	10,950	5,900	10,800	11,402	10,600	5,500	10,700	5,000	70,952
	8–गाड़ियों का अनुरक्षण व पट्रोल की खरीद	..	..	..	..	..	..	1,000	..	1,000
	योग	3,73,450	4,79,900	4,55,000	7,46,152	3,85,600	8,06,058	4,17,300	8,27,200	44,90,660

पा0एल0यू0पा0-एल0 15 वि0सभा (30)—1986—813 ।

अध्यक्ष सभा